प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा
(डी.एल.एड.)

पाठ्यक्रम–507

समुदाय और प्राथमिक शिक्षा

ब्लॉक–1
समाज, समुदाय और विद्यालय

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
A-24/25, सांस्थानिक क्षेत्र, सैक्टर–62 नौएडा,
गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201309
वैबसाइट : www.nios.ac.in

विशेषज्ञ समिति

डॉ. सीतांशु एस. जेना
(अध्यक्ष)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

श्री बी. के. त्रिपाठी
आईएएस, प्रधान सचिव, मासवि
झारखंड सरकार, रांची

प्रो. ए. के. शर्मा
भूतपूर्व निदेषक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रषिक्षण परिषद
नई दिल्ली

प्रो. एस.वी.एस. चौधरी
भूतपूर्व उपाध्यक्ष
रा.अ.शि.प. नई दिल्ली

प्रो. सी.बी. शर्मा
शिक्षा विद्यापीठ,
इ.गा.रा.मु.वि. नई दिल्ली

प्रो. एस. सी. अगरकर
प्रो. होमी भाभा विज्ञान षिक्षा केन्द्र, मुम्बई

प्रो. नागाराजु
भूतपूर्व प्रधानाचार्य
क्षे.शि.सं. (रा.शै.अ.प्र.प.) मैसूर

प्रो. के. दोराईसामी
भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा
एवं विस्तार विभाग, रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली

डा. बी. फलाचन्द्र
भूतपूर्व अनुदेशन विभागाध्यक्ष
क्षे.शि.सं. (रा.शै.अ.प्र.प.) मैसूर

प्रो. के.के. वशिष्ठ
भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, प्रा. शि. विभाग
रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

प्रो. वसुधा कामठ
कुलपति
एस.एन.डी.टी.,
महिला वि.वि. मुंबई

डा. हुमा मसूद
शिक्षा विशेषज्ञ, यूनस्को
नई दिल्ली

प्रो. पवन सुधीर
विभागाध्यक्ष, कला एवं सौंदर्य विभाग,
रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

श्री बिनय पटनायक
शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, रांची

डॉ. कुलदीप अग्रवाल
निदेषक (षैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

प्रो, एस. सी. पांडा
वरिष्ठ सलाहकार, (शैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

डा. कंचन बाला
कार्यकारी अधिकारी (षैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

पाठ्य समन्वयक एवं संपादक

प्रो. एस. सी. पांडा
वरिष्ठ परामर्षदाता, अध्यापक षिक्षा, शैक्षिक विभाग
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

डॉ. कंचन बाला
कार्यकारी अधिकारी (षैक्षिक विभाग)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

पाठ लेखक

डॉ. स्मृति पाहवा
प्रथम, नई दिल्ली

डॉ. निशा सिंह
उप निदेषक, आई यू सी, इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. प्रदीप कुमार
सहायक प्रोफेसर
एस ई डी एस, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. वी. पी. गर्ग
भूतपूर्व प्रोफेसर रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

डॉ. राजश्री प्रधान
वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, कडकडडूमा, दिल्ली

डॉ. चम्पा पन्त
वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली

डॉ. हेमा पन्त
उप निदेषक, क्षेत्रीय कार्यालय, इग्नू, नोएडा

डॉ. नीरज त्रिवेदी
प्रथम, नई दिल्ली

श्री कार्तिक दलाई
उप निदेषक, क्षेत्रीय कार्यालय, इग्नू, **द्वारका**

डॉ. सुनीता चुघ
सहायक प्रोफेसर, न्यूपा, नई दिल्ली

पाठय वस्तु संपादक

डॉ. सीतांशु एस. जेना
अध्यक्ष,राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

अनुवादक

डा. चंपा पन्त
वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट
राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली

श्रीमति अनुराधा
प्रवक्ता, डायट,
कडकडडुमा, दिल्ली

डा. अनिल कुमार तेवतिया
वरिष्ठ प्रवक्ता
एस.सी.ई.आर.टी. दिल्ली

डा. सतनाम सिंह
वरिष्ठ प्रवक्ता
एस.सी.ई.आर.टी. दिल्ली

डा. सत्यवीर सिंह
प्रधानाचार्य
एस. एन. आई. कॉलिज, पिलाना, बागपत (उ.प्र.)

डा. वीरेन्द्र सिंह
रीडर, डी. जे. पी. जी. कालेज, बड़ौत
बागपत(उ.प्र.)

कार्यक्रम समन्वयक

डॉ. कुलदीप अग्रवाल
निदेषक (षैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

प्रो, एस. सी. पांडा
वरिष्ठ परामर्षदाता (अध्यापक षिक्षा),
शैक्षिक विभाग,
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

डॉ. कंचन बाला
कार्यकारी अधिकारी (षैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

आवरण संकल्पना एवं रूपांकन

श्री डी.एन. उप्रेती
प्रकाशन अधिकारी, मुद्रण,
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

धर्मानन्द जोशी
कार्यकारी सहायक, मुद्रण
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

टाईपसैटिंग

मैसर्स शिवम ग्राफिक्स
रानी बाग, 431, ऋषि नगर
दिल्ली–110034

लिपिकीय सहयोग

सुश्री सुषमा, कनिष्क सहायक, शैक्षिक,
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा

अध्यक्ष का संदेश .....

प्रिय अधिगमकर्ता,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लगभग 2.02 करोड़ अधिगमकर्ताओं के साथ वर्तमान में यह विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के पास अपने शैक्षिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए देश में और उसके बाहर 15 से अधिक क्षेत्रीय केंद्रों, 2 उपकेंद्रों और 5000 अध्ययन केंद्रों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तन्त्र है। यह अधिगमकर्त्ताओं को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से केंद्रिक गुणवत्ता-शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण का उपागम उपलब्ध कराता है। इसके कार्यक्रमों का वितरण मुद्रित सामग्री के माध्यम से मुखाभिमुख शिक्षण से युग्मित, सूचना एवं संचार तकनीकि, श्रव्य-दृश्य कैसेट्स, आकाशवाणी प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण आदि से अनुपूरित होता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को प्रारंभिक स्तर पर अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अधिकार संपन्न किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण प्रस्ताव राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य अभिकरणों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह संस्थान शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार विभिन्न राज्यों में अप्रशिक्षित अंत:सेवी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में एक बहुत ही नवीन एवं चुनौतीपूर्ण द्वि-वर्षीय उपाधि प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम के इस उपाधि पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे सुखानुभूति हो रही है। मैं आपके राज्य के बच्चों के प्रारंभिक-शिक्षा में योगदान के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अनुसार सभी शिक्षकों के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य हो गया है। हम समझते हैं कि एक अध्यापक के रूप में आपका अनुभव, एक अच्छा शिक्षक होने के लिए आवश्यक अपेक्षित कौशल आपको पहले ही प्रदान कर चुका है। चूंकि कानून द्वारा अब यह अनिवार्य है अत: आपको यह कार्यक्रम पूर्ण करना पड़ेगा। मैं आश्वस्त हूं कि आपके द्वारा अब तक संचित ज्ञान और अनुभव निश्चय ही आपको इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रशिक्षण मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से दिया जाता है और एक शिक्षक के रूप में आपके नियमित कार्य को बाधित हुए बिना आपको पेशेवर रूप से प्रशिक्षित होने का विस्तृत अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से आपके उपयोग के लिए विकसित स्व-अनुदेशात्मक सामग्री आपको सेवा के लिए योग्य होने के अतिरिक्त आपकी समझ सृजित करने और एक अच्छा शिक्षक होने में सहायक होनी चाहिए।

इस महान प्रयत्न में शुभकामनाओं सहित!

एस.एस. जेना

अध्यक्ष

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

पाठ्यक्रम अवधारणा मानचित्र

पाठ्यक्रम-507 समुदाय और प्राथमिक शिक्षा

श्रेय अंक (4=3+1)

खण्ड	इकाई	इकाई का नाम	सैद्धान्तिक अध्ययन अवधि (घंटों में)		प्रयोगात्मक अध्ययन
			विषय-वस्तु	क्रियाकलाप	
ब्लॉक-1 समाज, समुदाय एवं विद्यालय	**इकाई 1**	समाज एवं शिक्षा	3	1	• परिवेष में उपलब्ध षैक्षिक सुविधाओं तथा समाज के मध्य संबंध स्थापित करना।
	इकाई 2	समुदाय एवं विद्यालय	4	2	• अपने विद्यालय के षिक्षार्थियों के सांस्कृतिक विकास में समुदाय के प्रभाव का पता लगाना। • अपने विद्यालय प्रणाली में उदाहरण सहित जीवन कौषलों के विकास की प्रक्रिया का पता लगााना।
	इकाई 3	विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदान	4	2	• क्षेत्रीय समुदाय आपके विद्यालय को किस प्रकार योगदान करता है? • आपका विद्यालय अपने हित के लिए क्षेत्रीय संसाधनों का संचालन किस प्रकार करता है?
	इकाई 4	सर्वशिक्षा अभियान तथा शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत समुदाय की भागीदारी के लिए प्रावधान	4	3	• उन परिस्थितियों का पता लगाना जहां आपका विद्यालय षिक्षा के अधिकार कानून का जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है? • अपने विद्यालय प्रणाली में अभिथावक षिक्षक संघ के योगदान का पता लगाना।
ब्लॉक-2 विद्यालय प्रणाली	**इकाई 5**	बाल अधिकार एवं विद्यालय प्रावधान	4	2	• अपने विद्यालय में उपलब्ध षैक्षिक तथा भौतिक सुविधाओं के उपयोग करने में आने वाली समस्याओं का पता लगाना। • उन परिस्थितियों का पता लगाना जहां आपके विद्यालय में बाल अधिकारों की अवहेलना की जाती हो।
	इकाई 6	अध्यापक एवं विद्यालय	4	2	• उन परिस्थितियों का पता लगाना जहां आप अपने विद्यालय में एक षिक्षक की भूमिका का निर्वहन करनें में असफल होते हैं। • आप अपने आपको समुदाय के नेता के रूप में कैसे सिद्ध करोंगे।
	इकाई 7	शिक्षक नेतृत्व	4	2	• आप किस प्रकार के नेतृत्व को पसन्द करते हैं और क्यों? • आप अपने विद्यालय में एक षिक्षक के रूप में किस प्रकार के नेतृत्व का प्रदर्षन करना चाहेंगें?
	इकाई 8	शिक्षा ऐजेंसियों के साथ	5	2	• अपने क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण षैक्षिक

		संबंध			ऐजेंसियों की भूमिकाओं का पता लगाना। • समुदाय के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए अपने साथी अध्यापकों एवं मुख्याध्यापकों की भूमिका परीक्षण करना।
ब्लॉक-3 विद्यालय तथा समुदाय सहभागिता प्रबंधन	**इकाई 9**	सामुदायिक संचालन (अभ्यास आधारित)	5	3	• सामुदायिक गतिषीलता की आवष्यकता क्यों है? • अपने विद्यालय द्वारा सामुदायिक गतिषीलता हेतु किये जाने वाले कार्य क्या हैं?
	इकाई 10	विद्यालय का प्रबंधन	3	2	• आप अपने विद्यालय में किस प्रकार का प्रबंधन पसन्द करते हैं? • अपने विद्यालय प्रणाली में प्रबंधन के घटकों का पता लगाना।
	इकाई 11	विद्यालय तथा समुदाय के संसाधनों का प्रबंधन	3	1	• अपने विद्यालय प्रणाली में आर्थिक संसाधन ऐजेंसियों की भूमिकाओं का पता लगाना।
	इकाई 12	विद्यालय और समुदाय सहभागिता प्रबंधन के उपागम	3	2	• विद्यालय और समुदाय सहभागिता के साथ जुड़े सामाजिक न्याय की सार्थकता। • अपने विद्यालय प्रणाली की लागत लाभ विष्लेषण करना।
		शिक्षण	20	-	
		कुल	66	24	30
कुल योग		**कुल योग**	**66+24+30=120**		

ब्लॉक-1
समाज, समुदाय एवं विद्यालय

खंड प्रस्तावना

शिक्षार्थी के रूप में आपमें समाज, समुदाय तथा विद्यालय को समझने, विद्यालय शिक्षा में समुदाय की भागीदारी विद्यालय प्रबंधन विद्यालय तथा समुदाय से संबंधित संसाधनों के प्रबंधन की समझ विकसित करने हेतु इस विषय को विकसित किया गया है। यह विषय तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खण्ड को इकाईयों में बाँटा गया है।

खण्ड-1 समाज, समुदाय एवं विद्यालय

शिक्षार्थी के रूप में आप खण्ड-1 : समाज, समुदाय एवं विद्यालय का अध्ययन करेंगें। इस खण्ड एवं शिक्षा, समुदाय एवं विद्यालय विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदाना तथा विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत समुदाय की भागीदारी से संबंधित चार इकाईयाँ हैं। प्रत्येक इकाई भागों तथा उप-भागों में विभाजित की गई है।

इकाई-1 समाज एवं शिक्षा

यह इकाई आपको समाज का अर्थ समझने तथा समाज के विभिन्न अंगों या अभिकरणों जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म इत्यादि की शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका को समझने में मदद करेगी। आप यह भी जानेंगे कि शिक्षा संस्थान, समाज के महत्वपूर्ण अंग है तथा सीखना सामाजिक उत्पाद है। यह इकाई आपको भारतीय समाज के विकास, सकी प्रकृति तथा भारतीय समाज की विविधताओं को समझने के योग्य बनाएगी।

इकाई-2 समुदाय एवं विद्यालय

यह इकाई आपको समुदाय का अर्थ एवं इसके प्रकारों की समझने में सहायता करेगी। आप प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में समुदाय को समझ सकेंगें। यह इकाई आपको समुदाय एवं विद्यालय के अन्र्तसंबधों को समझने में मदद करेगी। आप शिक्षार्थी के भाषा विकास, सांस्कृतिक विकास तथा जीवन कौशल विकास में समुदाय की भूमिका को समझ सकेंगे।

इकाई-3 विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदान

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप शिक्षा में समुदाय की भागीदारी एवं सार्थकता को समझ सकेंगे। आप विद्यालयी शिक्षा में समुदाय के शामिल होने तथा समुदाय के विभिन्न तरीकों के योगदान के लिए सरकारी पहल को समझ सकेंगे। आप समझेंगे कि किस प्रकार विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु स्थानीय संसाधनों की पहचान एवं उनके समुचित उपयोग में समुदाय किस प्रकार सहायता करता है।

इकाई-4 सर्वशिक्षा अभियान एवं शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत समुदाय की भागीदारी के लिए प्रावधान

यह इकाई आपको शिक्षा में समुदाय की भागीदारी तथा इसकी महत्ता को समझने में सक्षम बनायेगी। आप सर्वशिक्षा अभियान तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समुदाय की भागीदारी की मुख्य विशेषताओं या लक्षणों को समझ सकेंगें। आप समझेंगे कि किस प्रकार समुदाय की भागीदारी शिक्षा में गुणात्मक सुधार में सहायता करती है तथा विभिन्न राज्यों में सामुदायिक भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन सी पहल हुई है। आप विद्यालय प्रबन्धन समिति तथा ग्रामीण शिक्षा समितियों की संरचना एवं उनके कार्यों को भी समझ सकेंगे।

विषय सूची

इकाई 1 समाज एवं शिक्षा

संरचना

1.0 प्रस्तावना

इस इकाई में आप सीखेंगे कि समाज क्या है? भारतीय समाज की प्रकृति और व्यक्ति तथा समाज के बीच संबंधों का नेटवर्क क्या हैं? यह समाज के विविध संस्थानों जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। इन संस्थाओं के माध्यम से आप समाज में इनकी मौलिक संरचना और इनके कार्य को जानेंगे। जैसा कि इस इकाई का शीर्षक समाज एवं शिक्षा है, इसलिए मुख्य केन्द्र समाज एवं शिक्षा प्रणाली के बीच संबंध को समझने को निर्देशित करता है। शैक्षिक संस्थायें समाज का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग हैं और अधिगम सामाजिक उत्पाद है। अत: आप समाज या मानव जाति के विकास में शिक्षा प्रणाली के मुख्य योगदानों को सीखेंगे। इसके विपरीत, शैक्षिक संस्थाओं का विकास एवं प्रकृति समाज के मूल्यों एवं नियमों के द्वारा इसके सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों, आर्थिक वातावरण और राजनीतिक स्थितियों का अनुकरण कर सुगठित भी होती हैं।

1.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे:-

- समाज की परिभाषा देने में और इसकी संवैधानिक संस्थाओं, उनके संबंधो और कार्यो पर विचार विमर्श करने में।

टिप्पणी

- भारतीय समाज की प्रकृति इसके विकास तथा शिक्षा प्रणाली के साथ संबंध का वर्णन करने में।
- समाज और शिक्षा के बीच जुड़ावों का विश्लेषण करने में।
- समाज के एक अंग के रूप में विद्यालयों की भूमिका पर विचार विमर्श करने में।

1.2 समाजः अर्थ एवं इसकी संस्थायें

समाज रिश्तों का एक नेटवर्क है और ये रिश्ते मानवीय व्यवहार और समाज की विभिन्न संस्थाओं को समझने के लिए मूलाधार हैं। आपको अपने परिवार, समुदाय और समाज के विभिन्न प्रकार के रिश्तों के बारे में अवश्य जागरूक होना चाहिए। परिवार के अन्तर्गत माता-पिता, बेटा, बेटी, पति-पत्नी भाई-बहन जैसे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक रिश्तों के अन्तर्गत रखते हैं जबकि चाचा-चाची, भतीजा-भतीजी द्वितीयक रिश्तेदार कहलाते हैं। दोस्तों, पड़ोसी रिश्तों और अन्य समान रिश्तों जैसे तृतीयक रिश्तेदार भी होते हैं। ये सामाजिक रिश्ते समाज में भूमिका और स्थिति से समझे जा सकते हैं। भूमिका एक व्यक्ति की क्रियाओं का समुच्चय हैं, एक शिक्षक विद्यालय में शिक्षण, मूल्यांकन, कक्षा-कक्ष में समूह गतिविधि से संबंधित विविध कार्य तथा विद्यालय प्रशासन से संबद्ध कार्यों का निष्पादन करता है। उसी प्रकार वह परिवार के अन्तर्गत और अन्य स्थितियों में भी कार्यों का निष्पादन करता है। इस प्रकार दैनिक जीवन में एक व्यक्ति बहुसंख्य भूमिकाओं का निष्पादन करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए पिता, अपने अभिभावकों के लिए बेटा, अपनी पत्नी के लिए पति, अपने सहोदरों के लिए भाई, अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षक तथा अन्य दूसरी भूमिकाओं को निभाता है। यह दिखाता है कि बदले सामाजिक सन्दर्भ के साथ भूमिका बदल रही है और प्रत्येक भूमिका समाज में निश्चित स्थिति के साथ जुड़ी है जो सामाजिक स्थिति कहलाती है। भूमिका और स्थिति दोनो समाज के निश्चित मानदण्डों एवं मूल्यों से संचालित होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानदण्ड और मूल्य सामूहिक अंत:करण और किसी भी समाज के अलिखित संविधान है जो समाज के सदस्यों के बीच विस्तृत रूप से जाने जाते हैं साथ-ही-साथ दण्ड-विधानों (पुरस्कार और सजा) से जुड़े हैं। अत: सामाजिक रिश्तों, भूमिका और स्थिति, मानदण्ड, तथा मूल्यों की समझ का समाज की समझ से केन्द्रिक सरोकार है।

'सोसाइटी' शब्द लैटिन शब्द 'सोसाइटस' से उत्पन्न हैं जिसका अर्थ है दोस्त और बन्धु। यह शब्द समूह के बीच रिश्ता या पारस्परिक क्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। समाज की संकल्पना बहुत से चिन्तकों-समाज शास्त्रियों, सामाजिक मानव विज्ञानियों और अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित की गयी है। इन परिभाषाओं के बीच अधिकांशत: समाज में इकाई के रूप में दो तरीकों का अनुकरण करते हैं- पहला है 'सामाजिक क्रिया' और दूसरा है पारस्परिक क्रिया। अमेरिकी समाजशास्त्री 'मैकाइवर और पेज ने समाज को सत्ता के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली तथा बहुत से समूहों के आपसी साधन तथा मानवीय व्यवहार एवं स्वतंत्रताओं के नियंत्रणों के भागों के रूप में विचार किया है। यद्यपि हम समाज को लोगों के एक बड़े समूह के रूप में देख सकते हैं जो एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया

टिप्पणी

करते हैं, एक जैसी संस्कृति, क्षेत्र और जीवन-शैली को साझा करते हैं। इसका अनुप्रयोग बहुत विस्तृत है और विस्तार एक छोटे गाँव से विश्व मानव समाज तक, आदिम संस्कृति से उत्तर आधुनिक संस्कृति तक है जो स्थान और समय के साथ बदलते जाते हैं। फिर भी समुदाय एवं समाज की संकल्पना एक समान नहीं हैं। समाज एक अमूर्त, विस्तृत और सामान्य संकल्पना है जबकि समुदाय समाज का संघटक है और निश्चित क्षेत्र, नजदीकी संबंध जो हमारी भावनायें कहलाती हैं, सांस्कृतिक समानता आदि से अभिलक्षित होता है। अमेरिकी समाजशास्त्री टालकॉट पारसन्स ने (Talcott Parsons) समाज के लिए सामाजिक प्रणाली शब्द का प्रयोग किया है तथा मानवीय व्यवहार को वर्णित करने की मौलिक इकाई 'पारस्परिक क्रिया' को माना है। उनके लिए प्रत्येक तब तक सामाजिक नहीं है जब तक कि लोगों का बाहुल्य पारस्परिक क्रिया में शामिल नहीं होता।

व्यक्ति एवं समाज

प्रत्येक व्यक्ति एक समाज या दूसरे समाज का एक सदस्य है। समाज के एक सदस्य के रूप में आपको समाज की विभिन्न संस्थाओं के प्रति अवश्य जागरूक होना चाहिए जो समुदाय केप्रति सार्थक योगदान देती है। समाज, सामाजिक संबंध और इसकी गतिकी को समझने के लिए इसके मौलिक संघटक इकाईयों जो हैं- सामाजिक संस्थायें एवं सामाजिक प्रक्रियाये को जानना प्रासंगिक है। सामाजिक संस्था मानव व्यवहार के विविध पहलुओं में प्रयुक्त 'मानदण्डों के एक समुच्चय' का निर्देश देती है जो समाज तथा सामाजिक रिश्तों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अच्छी तरह स्थापित, सहज स्वीकृत और अपेक्षाकृत स्थायी मानदण्डों द्वारा नियंत्रित होता है। परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति जैसी कुछ महत्वपूर्ण संस्थायें हैं जो एक विशेष समाज के मानदण्डों एवं मूल्यों का अनुकरण करते हुए विभिन्न भूमिकायें निभाती हैं। अब हम विस्तार से इन संस्थाओं का अध्ययन करेंगे।

1. परिवार पहला विद्यालय है जहाँ बच्चे अपना प्रारंभिक अधिगम शुरू करते हैं। शिक्षक की भूमिका माता एवं परिवार के अन्य सदस्य निभाते है। यद्यपि औपचारिक विद्यालय प्रणाली में विभिन्न भूमिकायें जैसे शिक्षक, छात्र और माता-पिता समाज के सदस्य हैं तथा हमेशा अपनी संस्कृति और उसी समाज के मूल्यों को वहन करते है। यह सामान्य संस्कृति अधिगम के सामान्य संदर्भो और समान संरचनाओं को मार्गदर्शित भी करती हैं। वर्षों से समाज के केन्द्र में परिवार एक मौलिक सामाजिक संस्थान हो चुका है। परिवार किसी भी समुदाय एवं समाज की एक मौलिक इकाई है जो व्यक्ति एवं समाज के बीच संस्था को जोड़ने का कार्य करता है। इसका लगभग विश्वभर में सार्वभौमिक अस्तित्व है। वैवाहिक बन्धन को नियंत्रित कर, प्रजनन को वैध ठहराकर, युवाओं की देखभाल कर, मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करता है और उपभोग के लिए कम से कम एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य कर बहुत से कार्यों को व्यक्ति एवं समाज के लिए छोड़ देता है।

2. **धर्मः-** धर्म भी एक सार्वभौमिक संस्था है जो आदिम से लेकर उत्तर-आधुनिक समाज तक अस्तित्व मे है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री Emile Durkhiem ने धर्म को पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं एवं आदतों को एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है।

टिप्पणी

कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त सर्वसम्मति है कि समाज में धर्म की कार्यात्मक भूमिका है। जबकि कभी-कभी इसकी दृढ़ता अकार्यात्मक भी हो जाती है। धर्म के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है सामाजिक नियंत्रण।

3. **अर्थव्यवस्था:-** आर्थिक संस्था उत्पादन, वितरण, उपभोग के साथ-साथ कार्य प्रणाली और प्रतिमानों के नियमों, प्रक्रियाओं तथा मानकों से संबंध रखती है। आर्थिक गतिविधि यॉं और जरूरतें किसी भी समाज के विकास के चरणों का ध्यान दिये बगैर बदलती रहती हैं। कार्ल मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को किसी भी समाज की मौलिक संरचना माना है जिस पर अन्य संस्थाये निर्भर हैं।

4. **शिक्षा:-** शिक्षा की प्रक्रिया प्रत्येक समाज में स्थान रखती है। यद्यपि एक समाज से दूसरे समाज में इसके कई रूप हो सकते हैं। प्रत्येक समाज में शिक्षा के दो सामान्य कार्य हैं। शिक्षा का पहला सार्वभौमिक कार्य है समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना और अगली पीढ़ी को संस्कृति संप्रेषित करना। दूसरा कार्य है मानव संसाधन से संबंधित समाज की जरूरतों को परिपूर्ण करना। समाजीकरण करने वाली मुख्य एजेंसियाँ हैं- समुदाय, परिवार, साथी समूह और औपचारिक शैक्षिक संस्थायें। इसके अतिरिक्त शिक्षा के अन्य बहुत से कार्य हैं- सामाजिक गतिशीलता और अन्तर्पीढ़ीय बदलाव। वर्तमान प्रजातांत्रिक प्रणाली समान अवसर, प्रतियोगिता एवं उपलब्धि के सिद्धान्त पर आधारित है अत: कोई भी शिक्षित एवं समर्थ व्यक्ति अपने स्थिति को बढ़ा सकता है।

5. **राजनीति:-** प्रत्येक समाज में शासन के कुछ या अन्य प्रणाली है। राजनीतिक संस्थायें अपने संगठनों एवं शक्ति के वैधानिक प्रयोग के माध्यम से नियंत्रण की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित होती है। TB Bottomore के अनुसार राजनीति मुख्यत: शक्ति के विभाजन और समाज में सत्ता से सम्बद्ध है।

ये मूल संस्थायें हैं जिनका प्रचलन थोड़ी सी विविधता के साथ लगभग सार्वभौमिक है। इन संस्थाओं की संरचना और कार्य समय के साथ बदलते हैं और जो सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समझे जा सकते हैं। सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक अंत क्रियाओं की गतिकी को वर्णित करती है और सामाजिक अंत:क्रियायें विविध संस्थाओं के संरचनात्मक संगति के अन्तर्गत स्थान ग्रहण करती हैं। दो महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रियायें हैं: समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण जिन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। गौणत: विद्यालय एवं समुदाय के बीच अन्त क्रिया बढ़ते हुए औपचारिक एवं नौकरशाही हो जाती है। इस प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए विद्यालय बृहद संरचना हो रहे हैं जो समुदाय एवं समाज से एक दूरी रख रहे हैं। John Dewey लिखते है कि हम विद्यालय को एक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से देखने में प्रवण हैं जैसे शिक्षक एवं छात्र के बीच या शिक्षक एवं अभिभावक के बीच कुछ है। इस बदलती स्थिति का परिणाम इसकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व के विचलन को मार्गदर्शित करती है। यदि हम समाज को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में मानते हैं तो हम इसे पाँच उप प्रणालियों में बाँट सकते हैं जो परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था एव राजनीति के रूप में जाने जाते हैं। समाज को संपूर्णता में बनाये रखने के लिए प्रत्येक उप प्रणाली अपने स्वयं के कार्यों को करती है। इस तरह हम

टिप्पणी

कह सकते हैं कि सभी शैक्षिक संस्थायें समाज का आवश्यक अंग हैं।

इस खण्ड में आपने समाज की संकल्पना, विविध सामाजिक संस्थाओं के साथ इसके सम्बन्ध और इसकी गतिकी के बारे में पढ़ा। अब अपनी प्रगति जाँचने के लिए दिये गये प्रश्नों का जवाब दें।

प्रगति जाँच-1

नोट - (a) अपने जवाब लगभग 50 शब्दों में लिखे।

(b) इकाई के अंत में दिये गये संभावित जवाबों से अपने जवाब को जाँचे।

1. समाज से आप क्या समझते है?

....

....

....

2. समाज में परिवार की भूमिका पर विचार-विमर्श करें।

....

....

....

1.3 भारतीय समाज का विकास

भारतीय सामाजिक प्रणाली बहुत प्राचीन और जटिल है। भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक विकास पुरापाषण और मध्य पाषाण काल से उद्‌भूत है। गहरा अथाह भारतीय इतिहास प्रायः प्राचीनतम एवं वृहदतम सभ्यता (सिंधु घाटी सभ्यता) से खोजा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य प्रकट करते हैं कि विकसित शहरी योजना, लेखन प्रणाली के साथ, ताँबा और सोने की जानकारी रखने वाला, तौलों एवं मापों के मानकीकरण वाला तथा अन्य आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के साक्ष्य के साथ यह सबसे संगठित सभ्य जीवन था। वैदिक काल चार वेदों, भजनों और धार्मिक आदतों तथा शिक्षा-शास्त्रीय प्रेरण के लिए वैदिक प्रतिमान के विकास के लिए जाना जाता है।

ऐतिहासिक रूप से भारत विश्व के विविध भागों विशेषत यूरोप एवं एशिया से आये हुए बहुसंख्यक अप्रवासियों जैसे शक, पार्थियन, कुषाण, मंगोल, मुगल, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एवं अन्यों सांस्कृतिक सम्पर्कों ने लम्बे समय में एक दूसरे को प्रभावित किया और इस उपमहाद्वीप को विविध संस्कृतियों का 'एक घरिया का स्थान' सृजित कर दिया। इसका परिणाम

टिप्पणी

हुआ कि भारत ने विविध संस्कृतियों को संघटित किया और विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी इस देश में एक साथ रह रहे हैं। इसकी जटिल सामाजिक संरचना और संस्कृति दूसरा पृथक लक्षण है जो विविध वंशों, जातियों, समुदायों, धर्मों एवं भाषाओं के माध्यम से खोजा गया हैं। ऐसी जटिलता और विविधता के बावजूद इसकी एक पहचान है जिसे अनेकता में एकता कहा जाता है।

अनेकता में एकता

अनेकता में एकता भारत की एक सुपरिचित पहचान है जिसे आपने बचपन से अवश्य सुना है। प्राचीन काल से यह लक्षण अधिकांश-विदेशी यात्रियों-मेनस्थनीज (315 ई.पू.), फाह्यान (405-11 ई.पू.) मार्कोपोलो (1280 ई.) इब्नेबतुता (1325-51 ई.) एवं अन्यों द्वारा पहचाना गया है। यहाँ हम अनेकता में एकता को इसके स्वगुणार्थों एवं वर्तमान भारतीय सामाजिक वास्तविकता के संदर्थ में विचार-विमर्श करेंगे। भारतीय समाज में अनेकता के कारक हैं- विविध वंश, बहुसंख्यक जाति एवं उपजाति समूह, सभी प्रमुख धर्म, सम्प्रदाय एवं पंथ, पृथक समुदाय, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र तथा भाषायें।

अनेकता के लक्षण निम्नलिखित हैं:-

1. **वंश** - BS Guha ने भारतीय जनसंख्या में सभी छः प्रमुख जातीय तत्वों को पहचाना है जिनके नाम हैः- नेग्रिटो, प्रोटो-आस्ट्रोलॉयड, मंगोलॉयड, भूमध्यसागरीय, पश्चिमी ब्रासेफेलस (Western Brachecephals) और नार्डिक। जिसमें से प्रथम तीन इस उपमाहद्वीप के प्राचीनतम निवासी हैं फिर भी निरंतर सामाजिक गतिशीलता के कारण संकल्पना की शुद्धता सामाजिक वास्तविकता नहीं है। आजकल 'नृजातीय समूह' शब्द विस्तृत रूप से प्रयुक्त होने लगा है।

2. **जातियाँ:-** आज जाति भी सबसे सामान्य एवं विस्तृत रूप से प्रचलित भारतीय सामाजिक वास्तविकता है। भारत का मानव-वैज्ञानिक सर्वे उद्घाटित करता है कि भारत में 4600 से अधिक जातियों या उप-जातियों पर आधारित समुदाय चिह्नित किये गये हैं। ये वर्ण से भिन्न हैं, मूल पाठ से लिया गया यह सबसे काल्पनिक वर्गीकरण और सन्दर्भ है। यद्यपि यह न केवल सामाजिक स्थिति बल्कि समाज में आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवहार को भी नियंत्रित करता है।

3. **धर्मः-** विश्व के प्रमुख धर्मों में से अधिकांश जैसे बौद्ध, ईसाई, हिन्दू, मुस्लिम, जैन, यहूदी, जरथुस्ट्र और बहुत से पंथों, सम्प्रदायों के विस्मयकारी प्रकार तथा उनके अनुयायी भारतीय समाज में एक साथ रहते हैं।

4. **समुदायः-** जाति एवं उप जाति समूहों के अलावा 700 से अधिक पृथक जनजाति और मानव जातीय समुदाय भारतीय जनसंख्या के लगभग 7.5 प्रतिशत को समाविष्ट करता है। वे हमारे जाति प्रणाली से भिन्न हैं तथा अन्य सांस्कृतिक समूहों से पृथकता बनाये रखे हैं। फिर भी स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने विकास के लिए एकीकरण की प्रक्रिया की नीति शुरू की।

टिप्पणी

5. **भाषायें एवं अन्य सांस्कृतिक अनेकता:-** जैसा हमे मालूम है कि संस्कृति कि एक विस्तृत संकल्पना है अत: यहाँ हम अनेकता के अन्य बचे हुए कारकों को जोड़ते हैं। यहाँ विविध भाषायें एवं विविध सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 179 भाषायें एवं 544 बोलियाँ हैं किन्तु इस आकलन को प्रमाणिक ठहराना जरूरी है। यद्यपि भारतीय संविधान में 22 क्षेत्रीय भाषायें सूचीबद्ध है जिनमें भील, गोंडी, कुमांऊनी, टुलु, कुरूख और अन्य शामिल नहीं है। उसी प्रकार विविध सांस्कृतिक कारक, भाषाओं, बोलियों, पहनावा, आहार एवं अन्य आदतों के आधार पर भारत को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र में विभाजित करता है।

एकता के लक्षण उपर वर्णित अनेकता के लक्षणों के साथ भी जारी हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि विविध लक्षण हमेशा टकराव एवं विवाद के लिए नहीं हैं बल्कि एक साथ अस्तित्व में भी रहती हैं। M.N. Srinivas ने हिन्दू धर्म में अन्तर्निहित एकता के लक्षण को देखा है जो 3/4 से अधिक जनसंख्या को प्रस्तुत करता है। एकता के लक्षणों ने भारतीय राष्ट्र निर्माण में सार्थक भूमिका भी निभाया है।

1. **एक राजनीति अस्तित्व:-** राजनीतिक रूप से लगभग सम्पूर्ण उप महाद्वीप एक बादशाह जैसे प्राचीन भारत में चन्द्रगुप्त मौर्य एवं गुप्तकाल के अन्तर्गत था। चूँकि मुगल काल एवं ब्रिटिश काल स्पष्टत: एक राजनीतिक शासन प्रणाली के रूप में चिहिनत थे। इसलिए प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारतीय उप महाद्वीप में थोड़े विपथगमनों के अतिरिक्त कम या अधिक राजनीतिक एकता रही है।

2. **भारतीय उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय एकता:-** भौगोलिक रूप से संपूर्ण उपमहाद्वीप की हिमालय एवं भारतीय सागर से एक पृथक पहचान है। यद्यपि यह इसके अन्तर्गत उत्तरी हिमालय, अरावली श्रेणियाँ, प्राय द्वीपीय भारत के रूप में रूपान्तरित होता है तथा मजबूत नदी तंत्र जो संपूर्ण उप महाद्वीप आवृत्त कर लेता है के द्वारा संघटित होता है।

3. **सामान्य संस्कृति:-** सामान्य सांस्कृतिक पहल सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में प्रवर्तित हुआ है। सम्राट अशोक ने अहिंसा के सिद्धान्त से सांस्कृतिक एवं धार्मिक सामंजस्य प्राप्त कर भारत को जोड़ने का कार्य किया। मुगल बादशाह अकबर ने एक 'धर्म दीन-ए-ईलाही' की संकल्पना प्रस्तुत किया जिसे हिन्दूवाद एव 'इस्लाम का संशलेषण भी कहा गया। उपर्युक्त सभी का हम अपने गाँवों में अवलोकन कर सकते हैं जहाँ विभिन्न धार्मिक समूह एक साथ रहते हैं, उनकी जीवन शैली साझा करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और भारतीयता के एक धागे से बँधे हैं।

4. **वर्ण प्रणाली:-** एक वर्ण प्रारूप और वर्णाश्रम प्रणाली संपूर्ण भारत को एक समाज के रूप में समेटता है। सामाजिक वर्गीकरण का वर्ण प्रारूप किसी क्षेत्र विशेष में प्रतिबंधित नहीं है अपितु भारत के सभी सामाजिक समूहों और उनकी विशिष्ट भूमिका तथा स्थिति को व्याख्यायित करता है।

5. **ऐतिहासिकता:-** भारतीय उपमहाद्वीप की दीर्घ सामान्य ऐतिहासिकता इसे अद्वितीय

टिप्पणी

सांस्कृतिक परंपरा बनाती है। 5000 वर्षों से अधिक पुराना समाज इसकी अद्वितीयता को सांस्कृतिक समन्वयवाद, स्वांगीकरण तथा समावेशन के साथ-साथ नये सांस्कृतिक-सामाजिक समूहों के निर्माण के रूप में दिखाता है। यदि हम जातियों एवं उप जातियों की संख्या को देखें तो सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में अधिकांश समूहों को प्रकट होते पाते हैं।

6. **हिन्दूधर्म से बाहर जाति व्यवस्था का अस्तित्वः-** जातियाँ और उप जातियाँ हिन्दू सामाजिक व्यवस्था की श्रेणियाँ हैं जबकि दीर्घ सामान्य ऐतिहासिकता हिन्दू आस्तिको की अपेक्षा सामाजिक प्रारंभिकरण और जाति के अस्तित्व को प्रकट करती है। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण (1991) ने भारतीय मुसलमानों में जाति आधारित श्रेणियों को अवलोकित किया। ये इस उप महाद्वीप के सांस्कृतिक स्वांगीकरण को दिखाता है।

अतः एक तरफ जहाँ हम में वंश, जाति, धर्म, संस्कृति और समुदायों के सन्दर्भ में विविधता हैं जबकि दूसरी तरफ हम एक राजनीतिक सत्ता, भारतीय उप महाद्वीप की क्षेत्रीय एकता, एक धागे से बँधे हुए सभी प्रमुख धर्मों का अस्तित्व, एकल वर्ण प्रारूप, संपूर्ण भारत को आवेष्टित करने वाला वर्णाश्रम व्यवस्था जैसे समेकक लक्षणों को पाते हैं। गौणतः शिक्षा का लक्ष्य विविध सामाजिक पर्यावरणों में अन्तरों को स्थायी बनाना एवं दृढ़ करना है। समांगता एवं विषमांगता के सम्मान से शिक्षा राष्ट्र निर्माण में एक सर्थक भूमिका निभाता है जिसे Durkhiem जैविक एकात्मता कहते हैं। A.R Desai (1976) अपनी पुस्तक 'भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि' में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद के उद्‌भव एवं विकास की व्याख्या भी करते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उपर वर्णित विभिन्न पहचान बाधाओं के रूप में मानी गयी जबकि एक छाते के नीचे एक साथ जुटीं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलायीं। विभिन्न पहचान सह अस्तित्व में थे किन्तु लड़े एक राष्ट्र के लिए।

द्वितीय खण्ड भारतीय समाज, इसके प्रमुख स्वगुणार्थों और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के विकास के बारे में सम्बन्ध रखता है। अब अपनी प्रगति जाँच के दिये गये प्रश्नों का जवाब दें।

प्रगति जाँच-2

नोट (a) अपने जवाब लगभग 50 शब्दों में लिखे।

(b) इकाई के अंत में दिये गये संभावित जवाबों से अपने जवाब को जाँचे।

1. भारतीय समाज में एकता के चार लक्षणों पर विचार-विमर्श करें।

....

....

....

2. विश्व के विविध भागों से भारत में आये अप्रवासियों के प्रमुख समूहों की सूची बनायें।

....

....

....

टिप्पणी

1.4 समाज एवं शिक्षा के जुड़ाव

शिक्षा को सामान्यत: समाज के आधारशिला के रूप में देखा जाता है जो आर्थिक वैभव, सामाजिक समृद्धि एवं राजनीतिक स्थिरता लाता है। यह किसी भी आधुनिक समाज के विकास का एक मुख्य पहलु है तथा किसी क्षेत्र के समग्र विकास का सर्वाधिक सार्थक सूचक है। Emile Durkhim समाज एवं संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका पर बल देते हैं विशेष रूप से जटिल समाजों में यह बहुत महत्वपूर्ण हैं जहाँ परिवार एवं अन्य प्राथमिक समूह युवा को व्यस्कता के लिए तैयार करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हैं जो कि वृहत समाजों के लिए अपेक्षित है। John Deway ने इस विषय पर व्यापक रूप से लिखा है और उनके दो योगदान यहाँ बहुत उपयुक्त है–विद्यालय और समाज (1899), प्रजातंत्र एवं शिक्षा (1961)। वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि विद्यालय एक लघुचित्र है और समाज का परावर्तन थोड़ा वैयक्तिक। विद्यालय और विद्यालयी प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य सामाजिक प्रगति और प्रजातंत्र के विस्तार की वृद्धि का पोषण करना है। अन्य बहुत से विचारकों जैसे Leo Tolstoy, Antonio Granss, Panlo freire, Brasil Bernstein, Ivan Illich, Pierre Bourdieu, Rabindranath Tagore Sarvepalli Radhakrishnan M.K. Gandhi आदि ने शिक्षा एवं समाज के बीच संबंध पर योगदान दिया एवं विचार विमर्श किया है।

शिक्षा का सामाजिक कार्य

शिक्षा सभी लोगों से संबद्ध है और सभी समाजों की आधारभूत सामाजिक जरूरत के रूप में मानी जाती है। John Deway ने देखा कि एक सामाजिक जरूरत होने के कारण यह समाज के प्रमुख कार्यों का निष्पादन करता है जो निम्नलिखित है।

(a) **संस्कृति का संचारण:-** मानव सत्तायें विश्व के निर्माता जीव हैं। ऐसे जीवों के संम्पूर्ण योग, इनका संरक्षण और संचारण अगली पीढ़ी को करना किसी भी संस्कृति से केन्द्रिक रूप से सम्बद्ध है। संस्कृति अन्य जीवों के साथ एक पृथक्करण करती है। प्रत्येक समुदाय की एक अपनी सांस्कृतिक संपदा होती है जिसे वे अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित एवं संप्रेषित करते हैं। समाज के नये सदस्यों को परंपरा, संस्कृति, कौशल और ज्ञान को संप्रेषित करने में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार समाज एवं शिक्षा के बीच सबसे सामान्य जुड़ाव है संस्कृति। संस्कृति क्या है तथा समाज और शिक्षा के साथ इसके क्या सम्बन्ध है को जानने के लिए अब आपको अवश्य उत्सुक होना चाहिए। संस्कृति एक विस्तृत शब्द है जिसमें मानव समाज का सब कुछ शामिल है। ब्रिटिश सामाजिक मानव वैज्ञानिक E.B. Taylor ने संस्कृति को इस प्रकार परिभाषित किया है-'एक जटिल सम्पूर्णता जिसमें समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, मान्यतायें, कला, नियम, नैतिकता, रीतियाँ और अन्य योग्यतायें एवं आदतें शामिल

टिप्पणी

है। चूँकि समाज का प्रारंभ अपने आप में होता है अत: हम देख सकते हैं कि प्रत्येक समाज का अपने सदस्यों को समाज के विविध एजेंसियों जैसे परिवार समुदाय एवं अन्य दूसरी औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने की कुछ तकनीके होती हैं।

(b) **असमानता एवं विषमता घटाना:-** शिक्षा हमें ज्ञान देता है और ज्ञान ही शक्ति है। समाज की समस्याओं का समाधान कर शिक्षा समाज में सार्थक भूमिका निभाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं- हमारी समस्या का समाधान ढूढ़ कर, हमें विश्व की समस्या का समाधान करने में मदद करनी चाहिए, यदि भारत विश्व को उनके समाधान के लिए आग्रह कर सकता है तो यह मानवता के लिए एक योगदान होगा।'' शिक्षा के माध्यम से कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकता है और सशक्तिकरण की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली न तो सबके लिए खुली थी न ही इसमें कोई समानता थी। यह चरित्र में कुलीन थी और धार्मिक उद्‌देश्य से समर्थित थी, कुछ-कुछ तर्कशीलता पर आधारित थी जो कि सामाजिक आर्थिक असमानता सृजित करती थी। स्वतंत्रता के पश्चात् संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 21-A और 45) ने इस कुलीनतावादी उपागम को समतावादी उपागम में बदल दिया तथा सशक्तिकरण की प्रक्रिया विविध अनुभूतिमूलक अध्ययनों में देखी गयी। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (2000) ने आठ लक्ष्यों को चिहिन्त किया जिसमें से दो यहाँ सार्थक हैं- पहला है- सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना और दूसरा लैगिक समानता। इसे विश्व में भारत के साथ-साथ 189 देशों द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इन लक्ष्यों का अनुकरण करते हुए एक राष्ट्रीय पताका के रूप में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) को प्रवर्तित किया गया है। महिला साक्षरता के लिए महिला संस्था, कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV) आदि जैसे बहुत से पहल किये गय हैं। जहाँ तक क्षेत्रीय विषमता का सम्बन्ध है किसी क्षेत्र का विकास प्रत्यक्षत उस क्षेत्र की शैक्षिक स्थिति के साथ सह सम्बन्धित है। इस प्रकार क्षेत्रीय विकास किसी क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर है।

(c) **सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन:-** सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य है। सामाजिक गतिशीलता किसी समाज के सामाजिक श्रेणीक्रम में वैयक्तिक या समूह स्थिति के गति संचालन का उल्लेख करता है। सामाजिक गतिशीलता के दो महत्वपूर्ण कारक हैं–शिक्षा और आय की स्थिति। अब सबकों मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा किसी की शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। भारत में स्वतंत्रता से शिक्षा के अवसर की समानता प्रमाणित हो चुकी है जो पहले प्रतिबंधित थी।

(d) **नवीन ज्ञान का विकास:-** शिक्षा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्जित करने का तरीका है। शिक्षा के माध्यम से हम नवीन ज्ञान को विकसित करते हैं या हमारी नयी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए विद्यमान ज्ञान में नया जोड़ते हैं। जैसा हम जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सामान्य जंगली समाज से वर्तमान उत्तर

आधुनिक समाज तक बहुत सी खोजों एवं आविष्कारों के कारण हम प्रबल परिवर्तनों को देख सकते हैं। सम्पूर्ण विश्व की सभ्यता के प्राचीन विकास में धातुओं, आग और पहिये के प्रारंभिक ज्ञान ने विवेचनात्मक भूमिका निभाया था। भोजन इकट्ठा करने से लेकर व्यवस्थित कृषि समाज में यह एक संधिकाल के रूप में कार्यान्वित हुआ। उसी प्रकार मानव के इतिहास में नवीन ज्ञान के अन्य बहुत से उदाहरण हैं। इन्टरनेट, मल्टीमीडिया और संचार के माध्यम से समकालीन तकनीकी क्रांति ने सम्पूर्ण विश्व को एक गाँव बना दिया।

(e) **वैयक्तिक विकास:-** जीवन में एक व्यक्ति की सफलता के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा बच्चों को शिक्षण कौशलों को प्रदान करता है ताकि बाद के जीवन में कार्य के लिए वे शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से तैयार हों। उच्चतम शिक्षा एक स्वस्थ समाज बनाए रखने में सहायता करती है जो स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मियों, शिक्षित स्वास्थ्य देखभाल करने वाले उपभोक्ताओं को तैयार करता है तथा स्वस्थ जनसंख्या बनाये रखता है। यदि समाज में शिक्षित लोगों की कमी है तो समाज अपनी आगे की प्रगति को रोक देगा।

अत: हम समाज के प्रति शिक्षा प्रक्रिया द्वारा निभायी गई भूमिका को सम्पूर्णता में देख सकते हैं। यहाँ शिक्षा प्रणाली औपचारिक, अनौपचारिक एवं गैर औपचारिक सभी रूपों को शामिल करती है। इन रूपों का संयोग समय एवं स्थान के साथ बदल सकता है। अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया सबसे प्राचीनतम रूप है और इसका अस्तित्व इतना ही पुराना है जितना कि स्वयं समाज। औपचारिक एवं गैर औपचारिक का बाद में विकास हुआ है। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक अधिगम सन्दर्भ में अधिगमकर्ता एवं शिक्षक के बीच बदलते रिश्तों के साथ अभिलक्षित है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का लक्ष्य हमेशा से मूल्य प्रणाली में दृढ़ता से स्थित है। इसका डिग्री या डिप्लोमा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है तथा औपचारिक एवं गैर-औपचारिक शिक्षा दोनों को जोड़ता है। शिक्षा के ये सभी रूप विश्व के विभिन्न भागों में समान रूप से विकसित नहीं हुए हैं। बिना विद्यालयी जनसंख्या का प्रतिशत कम विकसित देशो में बहुत परिवर्तित होता है जो 10% से 65% के बीच है। जबकि अधिक विकसित देशों में यह परिवर्तन बहुत कम है जो 2% से 17% से कम है (विश्व विकास रिपोर्ट 2000)

इस खण्ड में आपने शिक्षा एवं समाज के संबंध के बारे में पढ़ा, विशेषत: समाज में शिक्षा के सामाजिक कार्यों तथा विकास में इसके योगदान के बारे में पढ़ा। अब अपनी प्रगति जाँच के दिये गये प्रश्नों का जवाब दें।

प्रगति जाँच-3

नोट - (a) अपने जवाब लगभग 50 शब्दों में लिखें।

(b) इकाई के अन्त में दिये गये संभावित जवाबों से अपने जवाबों को जाँचे।

1. शिक्षा समाज में असमानता को कैसे कम करता है?

....

टिप्पणी

....

....

2. शिक्षा विकास का एक सार्थक सूचक है।'' टिप्पणी लिखें।

....

....

....

1.5 समाज के एक अंग के रूप में विद्यालय

पूर्ववर्ती खण्ड में हमने समाज में शिक्षा की भूमिका के बारे में पढ़ा और विद्यालय को हमारी प्रगति से प्रतिबद्ध प्रजातांत्रिक, उदार संस्था के रूप में देखा है। अब इसके विपरीत हम शिक्षा प्रणाली पर समाज के प्रभाव और विशेषतः प्रभावी संस्कृति, असमान तथा स्तरीकृत समाज पर प्रभाव पर विचार करेंगे। विद्यालय समाज का एक अंग है, शिक्षक, अधिगमकर्ता और अभिभावक बहुत अधिक उसी असमान एवं स्तरीकृत समाज से लिये गए हैं। विद्यालयों को पृथकता में नहीं लिया जा सकता। समाज भी शिक्षा प्रणाली के विकास में सार्थक भूमिका निभाता है। सामाजिक आर्थिक कारकों, राजनीतिक स्थितियों एवं आर्थिक क्षेत्रों की भूमिका शैक्षिक संस्थानों की प्रकृति एवं इसके उद्देश्यों तथा पाठ्यचर्या विकास को निर्धारित करता है।

शिक्षा प्रक्रिया में समाज का प्रभावः-

(a) **सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावः-** किसी समाज को शिक्षा की सहसम्बन्ध इसके सामाजिक-आर्थिक कारकों के साथ होता है। शिक्षा की प्रक्रिया अपने सामाजिक संरचना सामाजिक नियमों एव मूल्य प्रणालियों में विकसित होता है। विद्यमान सांस्कृतिक विषय वस्तु को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानान्तरित करने के लिए मानव समाज का एक ऐसा ही सृजन है विद्यालय। अनौपचारिक व्यवस्था में सामाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों को समाज के नियमों एवं मूल्यों के बारे में सम्पादित या शिक्षित करता है। परंपरागत रूप से शिक्षा इसाई मिशनरियों, इस्लामी मदरसों, बौद्ध विहारो, एवं अन्य धार्मिक संगठनों जैसी धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती थी। इन संस्थाओं का धर्मप्रचारक लक्षण था और वे अपने धार्मिक आदर्शों को मन में बैठा कर रखती थी। ये सीमित स्थापित धर्म नहीं हैं, प्रत्येक समुदाय अपने नियमों एवं मूल्यों को संप्रेषित करता हैं, शिक्षा एवं समाजीकरण की इस प्रक्रिया में हम हमारे समाज के पूर्वाग्रहों एवं भिन्नताओं को भी संप्रेषित करते हैं जो इस प्रकार है–धर्मतन्त्र, स्तरीकरण और अन्तर्निहित असमानता। कुलीन संस्कृति, लैंगिक भिन्नता और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक लक्षणों का प्रभुत्व भी युवा पीढ़ियों को संचरित होता है। फ्रांस के समाज शास्त्री Pierre Bourdieu ने देखा कि शिक्षा प्रभावी वर्ग की संस्कृति को स्थायी करता है, इस परिदृश्य

को उन्होंने 'सांस्कृतिक पुररूत्पादन' कहा। उसी प्रकार Paulo freire ने देखा कि शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि एवं भाषा दमनकारियों एवं दलित के बीच एक अन्तर पैदा करती है। आज विद्यालय की प्रमुख भूमिका-विद्यालय एक नैतिक सत्ता के रूप में, एक व्यवसाय के लिए लोगों को तैयार करने में है। विद्यालय को समुदाय के प्रभावी वर्ग का चापलूस नहीं होना चाहिए।

(b) **आर्थिक पहल:-** अवसर की समानता, प्रजातंत्र और शिक्षा के भारतीय संवैधानिक प्रावधान का एक केन्द्रीय मूल्य है। यद्यपि यह वर्धमान रूप से स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में अवसर के समानीकरण को प्राप्त करना अत्यधिक मुश्किल है। आर्थिक प्रक्रिया गरीब एवं अमीर के बीच अत्यधिक खाई सृजित कर रही हैं। Apple (2004) के अनुसार निश्चित ज्ञान का आर्थिक उत्पादन के साथ जुड़ाव हैं. बाजार की स्थिति में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे - अभियांत्रिकी चिकित्सा MCA, MBA एवं अन्य व्यावहारिक पाठ्यक्रमों का भारतीय सन्दर्भ अत्यधिक माँग है। इसलिए समाज की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है जिसका किसी क्षेत्र के शैक्षिक एव मानवीय विकास पर गहरे निहितार्थ हैं। कार्ल मार्क्स ने 'अर्थव्यवस्था को समाज में शक्ति प्राप्त करने और प्रभावी होने के लिए मौलिक संरचना माना है। आगे शैक्षिक प्रणाली समाज के प्रभावी वर्ग पर वैधानिक नियंत्रण करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इस प्रकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था धन सृजित कर सकती है किन्तु शैक्षिक शक्ति केवल इसे धारणीय बना सकती है तथा समाज में वैधता प्रदान करती है।

(c) **राजनैतिक स्थितियाँ एंव इसके प्रभाव:-** राज्य की प्रकृति, राजनीतिक पार्टियाँ, इनकी विचारधारा एवं नीति समाज में शिक्षा प्रणाली की प्रकृति और इसकी नीति को निर्देशित करती हैं। प्रजातांत्रिक राज्य शिक्षा के प्रजातांत्रिक विकास के आदर्शों को प्रकट करते हैं। जबकि अन्तर्निहित असमानता इन राज्यों की कमजोरी है। भारतीय प्रजातंत्र सामान्य विद्यालय प्रणाली के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। सभी प्रजातांत्रिक समाज सबको शिक्षा प्रदान करने में असफल है। विशेषत: वंचित एवं सीमान्त खण्डों के लोग विभेदक स्थिति के कारण शिक्षा तक समान पहुँच नहीं पा सके हैं। इसके विपरीत समाजवादी राज्य सामान्य शिक्षा प्रणाली का दावा करते हैं किन्तु धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की अपेक्षा वे अपनी राजनीतिक विचारधारा को मन में बैठाते हैं। सोवियत संघ की साम्यवादी शासन प्रणाली एवं जर्मनी का नाजी समाजवादी सिद्धान्त इसके दो सर्वोत्तम उदाहरण हैं। 1933 में नाजी जर्मन शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत विद्यालयों को बच्चों को उन्हें निर्विवाद रूप से नाजी सिद्धान्तों को स्वीकार करने के लिए बनाया गया था। उसी प्रकार, 1917 के बाद सोवियत संघ में उनके साम्यवादी एजेंडे को जारी रखने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया गया तथा शैक्षणिक संस्थान सत्य की खोज की अपेक्षा राजनीतिक सामाजीकरण के स्थान हो गये।

उपर्युक्त वर्णित कारकों का शिक्षा प्रणाली और इसके विकास पर गहरा प्रभाव है। इन तीन कारकों के अतिरिक्त समाज की ऐतिहासिकता, भौगोलिक सन्दर्भ एवं अन्य जटिलतायें समाज की शिक्षा प्रक्रिया एवं समग्र विकास को अप्रत्यक्षत: प्रभावित करती हैं। इन प्रभावों के बावजूद

टिप्पणी

योग्यताओं एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि में अन्तरों वाले बच्चे आदर के समान रूप से हकदार होने चाहिए, विद्यालय समुदाय में समान रूप से सदस्यता के स्वामी तथा अपनी अद्वितीय क्षमता को विकसित करने के लिए समान रूप से हकदार होने चाहिए।

इस अंतिम खण्ड में आपने शिक्षा प्रक्रिया के प्रति समाज की भूमिका के बारे में पढ़ा, विशेष रूप से सामाजिक- सांस्कृतिक, आर्थिक एवं समाज की राजनीति स्थिति तीनों कारक शिक्षा प्रणाली के विकास में भूमिका निभाती है। अब अपनी प्रगति जाँच के नीचे दिये गये प्रश्नों का जवाब दें।

प्रगति जाँच-4

नोट (a) अपने जवाब लगभग 50 शब्दों में लिखें।

(b) इकाई के अन्त में दिये गये संभावित जवाबों से अपने जवाब को जाँचे।

1. सामाजिक-सांस्कृतिक घटक शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं?

....

....

....

2. समाजवादी राज्य शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं?

....

....

....

1.6 सारांश

इस इकाई में आपने समाज, इसकी मौलिक संवैधानिक संस्थाओं जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति और शैक्षणिक प्रणाली तथा समाज के प्रति उनकी सामूहिक भूमिका के बारे में पढ़ा। हमने भारतीय समाज के बारे में भी पढ़ा तथा कैसे यह गहरे स्थित इतिहास में विकसित हुआ। इतिहास न केवल मुख्य घटनाओं को चित्रित करता है बल्कि एक भारतीय संस्कृति के रूप में एकता, अनेकता एवं सततता के इसके अद्‌भूत लक्षणों को भी चित्रित करता है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी समाज और इसके शिक्षा प्रणाली को समझने में संस्कृति बहुत सार्थक है।

समाज के प्रारंभ से ही शिक्षा एवं समाज में नजदीकी संबंध हैं एक तरफ शिक्षा समाज में व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं के निष्पादन के लिए तैयार करता है जबकि दूसरी तरफ समाज और संस्कृति समाजीकरण की प्रणाली और शिक्षा की प्रकृति सदस्यों को बताना निश्चित करती है। सरल से जटिल प्रत्येक समाज का अपनी युवा पीढ़ी को शिक्षित करने की

अपनी प्रणाली है तथा तद्नुसार संस्थायें विकसित हुई हैं। ऊपर वर्णित अंतिम दो खण्ड इस समझ को समर्पित हैं। पहला, संस्कृति और ज्ञान को संचारित करने में शिक्षा समाज में बहुत से सामाजिक कार्यों को वहन करती हैं। यह अकेला मानव को पृथ्वी पर अन्य जीवों की अपेक्षा अलग करता है। दूसरा, समाज शिक्षा की प्रक्रिया में हानिकारक भूमिका निभाता है।

टिप्पणी

1.7 शब्दावली/संकेताक्षर

1. **समुदाय**- एक निश्चित क्षेत्र में एक साथ रहने वाले लोगों का समूह जो एक सामान्य संस्कृति साझा करते हैं तथा जिनकी एक समझ होती है जिसे हम अनुभव करते हैं, समुदाय कहलाता है। यह गाँव, शहर, जनजाति या राष्ट्र का एक नाम है।

2. **समाजीकरणः**- यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय एवं परिवार अपने सदस्यों विशेषतः युवा सदस्यों को शिक्षित करते हैं। जहाँ समाज के सदस्य सामाजिक नियमों, मूल्यों को मन में बैठाते हैं। सामाजिक नियम एवं मूल्य कई बार तार्किक-वैधानिक कानून एवं नीति से असंगत होते है। यद्यपि यह बदलते समय के साथ बदलता है।

3. **औपचारिक शिक्षाः**- औपचारिक शिक्षा एक व्यवस्थित, संगठित शिक्षा मॉडल के अनुकूल होता है, एक दिये गये कानून एवं नियमों के समुच्चय के अनुसार संरचित एवं प्रशासित होता है।, उद्देश्यों विषयवस्तु और शिक्षण विधि के क्रम में एक थोड़ा दृढ़ पाठ्यचर्या प्रस्तुत करता हैं यह हमारे विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा सामान्यतः अपनायी गयी शिक्षा प्रक्रिया के अनुकूल होता हैं

4. **गैर औपचारिक शिक्षाः**- औपचारिक शिक्षा से भिन्न , गैर औपचारिक शिक्षा के लक्षण सुपरिभाषित नहीं होते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षित नहीं होती हैं, विद्यार्थियों एव शिक्षक के बीच संपर्क को घटाता है तथा अधिकांश गतिविधियाँ संस्थान से बाहर होती हैं जैसे घर आधारित पाठ या अन्य नियत कार्य। यह नमनीय पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधि से सम्पन्न होता है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं रूचियों को उनकी गति एवं अपेक्षा के लिए अपनाने में सक्षम होता है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली अपने लक्षणों के कारण गैर औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में आता है।

1.8 प्रगति जाँच के उत्तर

प्रगति जाँच-1

1. समाज संबंधों का नेटवर्क है जो भूमिका एवं स्थिति के माध्यम से व्याख्यायित होता है। मैकाइवर एवं पेज ने ''समुदाय को प्रयोगों एवं प्रक्रियाओं की प्रणाली, अधिकार एवं आपसी साधन की प्रणाली, बहुत से समूहों एवं विभागों की प्रणाली, मानवीय व्यवहार एवं स्वतंत्रताओं की एक प्रणाली के रूप में पारिभाषित किया है।''

टिप्पणी

2. परिवार, प्रत्येक समाज में सर्वाधिक आधारभूत इकाई है। यह पहला विद्यालय है जहाँ बच्चे अपना प्रारंभिक अधिगम शुरू करते हैं। यह व्यक्ति एवं समाज के अधिकांश कार्यो, भूमिका को मातृक बन्धनों को नियंत्रित कर, पुनरूत्पादन को वैधानिक कर, युवाओं के लिए देखभाल, मानवीय व्यवहार नियंत्रित कर, उपयोग के लिए कम-से-कम एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य कर मुक्त करता है। यह अन्य संस्थाओं के साथ संबंद्ध भूमिकाओं को भी मुक्त करता है जैसे-विवाह एवं सगोत्रता।

प्रगति जाँच-2

1. भारतीय समाज को समझने में एकता के निम्नलिखित लक्षण महत्वपूर्ण हैं:-

   (a) भारतीय उप महाद्वीप की क्षेत्रीय अखंडता।

   (b) सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में सामान्य सांस्कृतिक उपक्रमण प्रवर्तित होते हैं।

   (c) एकल वर्ण मॉडल तथा वर्णाश्रम प्रणाली सम्पूर्ण भारत को आवृत करता है।

   (d) भारतीय उपमहाद्वीप की लम्बी सामान्य ऐतिहासिकता इसे अद्वितीय सांस्कृतिक परंपरा बनाती है। 5000 वर्षों से अधिक पुराना समाज सांस्कृतिक समन्वयवाद एवं आत्मसातकरण के सम्बन्ध में अपनी अद्भूतता दिखाता है।

2. ऐतिहासिक रूप से भारत विश्व के विभिन्न भागों विशेषत: यूरोप एवं एशिया से आये बहुसंख्यक आप्रवासी समूहों जैसे शक, पार्षियन, कुषाण, मंगोल, मुगल, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एवं अन्यों का स्थान रहा है।

प्रगति जाँच-3

1. असमानता एवं भिन्नता को शामिल करते हुए समाज की समस्याओं का समाधान कर शिक्षा समाज में एक सार्थक भूमिका निभाता है। शिक्षा के माध्यम से कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकता है एवं अपनी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति बदल सकता है। अत: शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर व्यक्ति शक्ति अर्जित कर सकता है तथा सशक्तिकरण की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। यह नारी साक्षरता में बहुत सुस्पष्ट है तथा नारी सशक्तिकरण के लिए पहल करता है। इस प्रकार क्षेत्रीय विकास किसी क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

2. शिक्षा को सामान्यत: सामाज के आधार के रूप में देखा जाता है जो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि एवं राजनीतिक स्थायित्व लाता है। यह किसी समाज के विकास का एक मुख्य पहलू है तथा किसी क्षेत्र के समग्र विकास का सर्वाधिक सार्थक सूचक है। शिक्षा हमें ज्ञान देता है और ज्ञान ही शक्ति है। आज किसी व्यक्ति और समाज के विकास के स्तर का निर्धारण करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व भर में यह स्वीकृत तथ्य है और इसे विश्व विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, सामाजिक विकास रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

टिप्पणी

प्रगति जाँच-4

1. किसी समाज की शिक्षा का इसके सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों से सीधा सह सम्बन्ध है शिक्षा की प्रक्रिया अपने सामाजिक संरचना, सामाजिक नियमों एवं मूल्य प्रणाली में विकसित होती है। विद्यमान सांस्कृतिक विषय वस्तु को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करने का मानव समाज का एक ऐसा ही सृजन है विद्यालय। इस प्रकार विद्यालय समाज का एक अंग है, शिक्षक, अधिगमकर्ता और अभिभावक बहुत अधिक इसी असमान एवं स्तरीकृत समाज से लिये जाते हैं। विद्यालयों को पृथकता में नहीं लिया जा सकता।

2. राज्य की प्रकृति, राजनीतिक दल एवं इनकी विचारधारा तथा नीति, समाज में शिक्षा प्रणाली की प्रकृति एवं इसकी नीति से निर्देशित होती है। समाजवादी राज्य सामान्य शिक्षा प्रणाली का दावा करते हैं। 1933 में नाजी जर्मन शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत विद्यालयों को बच्चो को उन्हें निर्विवाद रूप से नाजी सिद्धान्तों को स्वीकार कराने के लिए बनाया गया था। उसी प्रकार 1917 के बाद सोवियत संघ में उनके साम्यवादी एजेंडे को जारी रखने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया गया तथा शैक्षणिक संस्थान सत्य की खोज की अपेक्षा राजनीतिक समाजीकरण के स्थान हो गये।

1.9 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

S.C. Dube (1996) Indian Society–National Book Trust, New Delhi.

Maciver, R.M. and Page. C.H. (1996) Society : An Introductory Analysis, Macmillan India, Madras.

Apple Michael (2004) Ideology and carriculum, Rutledge, New York.

Kumar Krishna (1992) What is Worth Teaching? Orient Longman, New Delhi

Antonio Gramsci, David Forgacs, Eric J. Hobsbawn (2000) The Antonio Gamsci Reader : Selected Writings, 1916-1935[New York University Press.

Poul freire (1970) Pedagogy of the Oppressed, (translated in 1982) Seabury Press, Yew York.

K.S. Singh (1991) The People of India, Anthro pological Survey of India. Gov-ernment of India, New Delhi.

1.10 अन्त्य इकाई अभ्यास

i. समाज की विभिन्न संस्थाओं की भूमिका की व्याख्या करें।

ii. भारतीय समाज में विविधता के लक्षणों का वर्णन करें।

टिप्पणी

iii. समाज के विकास के प्रति शिक्षा की भूमिकाओं पर विचार विमर्श करें।

iv. औपचारिक एवं गैर-औपचारिक शिक्षा के बीच विभेदीकरण करें।

v. समाजीकरण एवं शिक्षा कैसे सहसम्बन्धित है?

टिप्पणी

इकाई 2 समुदाय एवं विद्यालय

संरचना

2.0 प्रस्तावना

पूर्व की इकाई में आपने समुदाय एवं भारतीय समुदाय में स्थित विविधताओं के बारे में सीखा। इस इकाई में आप समुदाय के अर्थ और सामान्य संस्कृति (जीवन जीने का तरीका) रीतिया/परम्परायें/लोकगीत/संचार के माध्यम (भाषा) और विभिन्न कौशलों के अस्तित्व को धारण करने वाले एक वृहद समाज के अंग के रूप में समुदाय कैसे विद्यालय में बच्चों के अधिगम को प्रभावित करता है के बारे में सीखेंगे।

समुदाय से विद्यालय का जुड़ाव विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को प्रभावित करती है। विद्यालय समुदाय में रहने वाले लोगों की जरूरतों, रूचियों, अभिलाषाओं के सन्दर्भ में समुदाय का अपेक्षाओं को परिपूर्ण करता है।

2.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप सक्षम होंगे:-

- समुदाय की संकल्पना का वर्णन एक लघु समाज के रूप में करने में।

टिप्पणी

- प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में समुदाय की भूमिका का विश्लेषण करने में।
- समुदाय एवं विद्यालय के बीच जुड़ाव की व्याख्या करने में।
- अधिगमकर्ता के भाषा विकास पर समुदाय के प्रभाव पर विचार विमर्श करने में।
- अधिगमकर्ता के सांस्कृतिक विकास पर समुदाय के प्रभाव को स्पष्ट करने में।
- अधिगमकर्ता के जीवन कौशल विकास पर समुदाय के प्रभाव का सम्बन्ध दिखाने में।

समुदाय की समझ (समाज एवं समुदाय आमने-सामने)

(सबके लिए शिक्षा-भारतीय दृश्य) (MHRD 1993)

समुदाय को समझने से पूर्व आपको समुदाय के अर्थ को जानना चाहिए। समुदाय सामान्य रूचियों वाले लोगों एवं सामान्य परम्पराओं का अवलोकन करने वाले लोगों का अन्त निर्भर इकाई है जो उस विशेष समुदाय में रहने वाले लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए जरूरी विधियों और अपने नियमों के द्वारा जीते हैं।

वे अरस्तु थे जिन्होंने सर्वप्रथम 'समुदाय' शब्द को साझा मूल्यों वाले लोगों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में पारिभाषित किया। समुदायों के तीन विभिन्न प्रकार है पहला है भौगोलिक समुदाय जो इसके सदस्यों के रहने के स्थान जैसे एक गाँव या जिला के अनुसार पारिभाषित होता है। दूसरा प्रकार है मानवजातीय और धार्मिक समुदाय जिसमें सदस्यता मानवजातीय, जातीय या धार्मिक पहचान पर आधारित होती है तथा सामान्यत भौगोलिक स्थिति पर आधारित सदस्यता को अमान्य करता है। तीसरा प्रकार है साझा परिवार या शैक्षिक सम्बद्धों पर आधारित

टिप्पणी

समुदाय जिसमें अभिभावक संघों और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए संबद्ध साझा परिवारों पर आधारित समान संस्थायें शामिल हैं। (Bray, 1996).

जीवविज्ञान में समुदाय अंत:क्रिया करने वाले सजीवों का एक समूह है जो एक बसाये हुए पर्यावरण को साझा करते हैं।

चूँकि इण्टरनेट के आगमन से समुदाय की संकल्पना की अधिक लम्बी भौगोलिक सीमायें नहीं हैं क्योंकि लोग अब वस्तुत: एक ऑनलाइन समुदाय में एकत्र हो सकते हैं और भौतिक स्थिति के बजाय सामान्य रूचियों को साझा करते है। उपर्युक्त सभी ज्ञान को साझा करने और संचारित करने के बारे में एक समुदाय हैं ताकि प्रत्येक उन्नति करता रहे।

चूँकि परिवार के तुलना में समुदाय अपेक्षाकृत एक वृहद सामाजिक इकाई है, समुदाय के कार्य हैं परिवार के कार्यो का पुनग्रहण और प्रोत्साहन। यद्यपि इसके अतिरिक्त समुदाय बच्चे की औपचारिक शिक्षा के लिए व्यवस्थायें भी करता है। घर के समान यह एक सामाजिक संस्थान है जो अधिक कार्यात्मक और व्यवस्थित तरीके से कार्यों को कार्यान्वित करने के दृष्टिकोण से शैक्षिक संस्थानों की स्थापना का उत्तरदायित्व लेता है। स्पष्टत: यह परिवार की अपेक्षा अधिक सामान्यीकृत तरीके से तथा समाज की अपेक्षा कम सामान्यीकृत तरीके से कार्य करता है।

आप स्थानीय समुदायों में विविधता पाते हैं? क्यों?

स्थानीय समुदायों में विविधता इन कारणों से हो सकती है- (i) जनसंख्या (गाँव समुदाय, शहरी समुदाय) (ii) भाषा (iii) धर्म (iv) सामाजिक गठन (v) जनसंख्या की समग्र आर्थिक स्थितियाँ और जीवन का सांस्कृतिक तरीका। भारत में ग्रामीण समुदाय प्रभावी रूप से जाति, पन्थ और धर्म के आधार पर विभाजित हैं। किन्तु शहरों में सामाजिक विभाजन व्यक्ति के सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है जो समुदाय को समाविष्ट करता है।

उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति/वर्ग से संबद्ध लोग सामान्यत: शैक्षिक रूप से अधिक सजग होते हैं तथा उनके लिए बेहतर एवं अच्छी गुणवत्ता के शैक्षिक संस्थान होते हैं। आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में होने के कारण वे उनकी संस्थाओं में बेहतर शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने में समर्थ होते हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण एवं जनजातीय समुदाय तथा शहरों में मलीन बस्तीवासी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी जरूरतों के अनुसार शैक्षिक संस्थायें स्थापित करने में असमर्थ होते हैं।

जैसा कि हम जानते हैं समुदाय के सदस्यों के बीच सतत अंत: क्रिया होत है ताकि वे एक दूसरे के साथ संचारित करें और सामान्य सामाजिक घटनाओं और मुद्दों पर विचार-विमर्श करें। सामुदायिक जीवन की प्रकृति समुदाय के सदस्यों के बीच हस्तक्षेप की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके विपरीत समुदाय का मुक्त जीवन सदस्यों के बीच मुक्त एवं स्पष्ट अन्त क्रिया पर निर्भर करता है।

टिप्पणी

समुदाय को कैसे समझें:-

- समुदाय के सदस्यों के साथ सम्बद्ध होकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, आपको लोगों की संस्कृति और कैसे वे एक दूसरे के साथ अंत:क्रिया करते हैं के बारे में जानना जरूरी है।
- स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपरा के प्रति तटस्थ, मैत्रीपूर्ण एवं संवेदनशील हों।
- अपने आप को समुदाय के उत्सवों और घटनाओं में शामिल करें।
- विभिन्न सामुदायिक उत्सवों, अवसरों आदि में समुदाय के प्रमुख ज्ञापकों एवं नेताओं से मिलने की कोशिश करें।

बहुत से औपचारिक तरीके हैं जैसे- उत्सवों और सामुदायिक आयोजनो जैसे विवाह, त्योहार, धार्मिक आयोजन आदि जिसके माध्यम से समुदाय अपनी समझ अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक रीतियों और इसके सदस्यों की परम्पराओं को सम्प्रेषित करता है जिसे बच्चे आत्मसात करते हैं।

इस प्रकार यह आवश्यक है कि समुदाय को इसकी सहभागिता के लिए समझें। यह ध्यान देना चाहिए कि विविध समुदायों के विभिन्न कारक हो सकते हैं जो समान तरीके या विभिन्न तरीके से परिचालित होते है तथा जो दिखाते है कि समुदाय को अनत्य तरीके से विचारित किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए तथा इसके विशिष्ट संदर्भों में देखा जाना चाहिए। कोई समुदाय, समूह या परिवार सजातीय नहीं हैं। इस प्रकार यह समुदाय के सन्दर्भों के साथ उसके लक्षणों और शक्ति संतुलन को जाँचने और समझने में निर्णायक है। समाज में कुछ गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी की डिग्री को जाँचने में यह महत्वपूर्ण है। यद्यपि कुछ समुदाय परंपरागत रूप से सामुदायिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं जबकि कुछ अन्य समुदाय विद्यालयों या अन्य समुदाय के सदस्यों के साथ कार्य नहीं करते हैं।

प्रगति जाँच-1

1. समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय को समझने के लिए दो रणनीतियों को सूचीबद्ध करें।

   ....

   ....

   ....

2.3 प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में समुदाय

जैसा कि हम जानते हैं कि समुदाय सामाजिक मूल्यों, संस्कृतियों, परंपराओं, धर्मों, विश्वास तथा भाषा को बनाये रखने और प्रोत्साहन देने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त यह शिक्षा को

प्रोन्नत करने में भी सहायता करता है। क्योंकि यह समग्र सन्दर्भ है जिसमें बच्चे रहते और सीखते हैं तथा जो हम उन्हें पढ़ाते हैं उसे लागू करते हैं। समुदाय माता-पिता विद्यार्थियों के अभिभावक, परिवारों के अन्य सदस्य के साथ-साथ पड़ोसी तथा अन्य जो विद्यालय के समीप रहते है को शामिल करता है। इतिहास में इसके बहुत से उदाहरण हैं। डेलर (Delor) आयोग (1996) के अनुसार-शैक्षिक सुधारों की सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख पक्ष हैं- सर्वप्रथम स्थानीयसमुदाय जिनमें माता-पिता, विद्यालय प्रमुख और शिक्षक शामिल हैं। देश जहाँ शैक्षिक सुधारों की प्रक्रिया सफल हो चुकी हैं वे ऐसे देश है जहाँ माता-पिता शिक्षक और स्थानीय समुदाय दृढ़ निश्चय दिखाते हैं और प्रतिबद्धता बनाये रखते हैं जो सतत् संवाद तथा तकनीकी और आर्थिक सहायता से समर्थित होते हैं। यह स्वाभाविक है कि किसी भी सफल सुधार रणनीति में स्थानीय समुदाय एवं सर्वोपरि भूमिका निभाता है।

किन तरीकों से सामुदायिक लक्षण शिक्षा को प्रभावित करते हैं? संरचनात्मक एंव कार्यात्मक दोनों सामुदायिक लक्षण एक समुदाय से संबद्ध बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता, प्रकृति और विस्तार को निश्चित करते हैं सामुदायिक कारक इन बच्चों की शिक्षा प्रक्रिया में बाधाओं के रूप में या सुसाधकों के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन कारकों की समझ शैक्षिक कार्यक्रमों और विद्यालय में योजनाओं की बेहतर योजना करने और उन्हें लागू करने में सहायक हो सकती है और इस प्रकार समुदाय के विकास पर शिक्षा के प्रभाव को अधिकतम करता है। समुदाय के कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं कार्यात्मक लक्षण जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं वे है- सामाजिक जनसांख्यिकी, तथा जाति संघटन व्यावसायिक पैटर्न, विश्वास प्रणाली, रीति और परंपरायें, लिंग भूमिकायें, अशक्तों के प्रति शैक्षिक मनोवृत्ति के अभिप्राय के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान, असहाय और सीमान्त लोग तथा समुदाय में निर्णय निर्माण प्रक्रिया आदि।

शिक्षा प्रणाली का विकेन्द्रीकरण पैमानों के माध्यम से विद्यालय में अत्यधिक लचीलेपन की संभावना बनाये रखता है। यहाँ तक कि स्थानीय सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के उपयुक्त कैलेण्डर का समय और विद्यालय का समय भी परिवर्तित होता है। 1964-66 के शिक्षा आयोग से सामुदायिक सम्मिलन और स्थानीय स्तर की योजना महत्वपूर्ण नीति अभिधारण करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत 73वें और 74वें संविधान संशोधन में संशोधित कार्य योजना 1992 प्रस्तुत किया गया है।

स्वतंत्रता से हमारे देश के शैक्षिक विकास में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राथमिकता बन चुकी है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में समुदाय की भागीदारी अनिवार्य है।

यदि हम स्थानीय लोगों को भागीदारी बनाना चाहते हैं तो हमें लोगों को जानना, उनके साथ प्रतिवेदनों को देखना, स्थितियों और समस्याओं को विश्लेषित करना तथा जो जरूरतें पूरी की जाती हैं के बारे में विचार विमर्श करना शुरू कर देना चाहिए। शिक्षकों की अनुपस्थिति की पुरानी समस्या से जूझने के लिए 'रिक्त स्थान को भरना' शीर्षक से राजस्थान का शिक्षा कर्मी परियोजना एक ऐसा ही उदाहरण है।

टिप्पणी

शिक्षा कर्मी परियोजना सुदूर एवं दुर्गम गाँवों में शिक्षक की अनुपस्थिति से जूझने के लिए एक परियोजना है जिसमें दो साधारण ग्रामीणों को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों (औपचारिक रूप से योग्य किन्तु लम्बे समय से अनुपस्थित) को हटाकर चयनित किया जाता है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह योजना सामान्य लोगों की असामान्य अन्तः शक्ति पर स्पष्टतया भरोसा करती हैं सामान्य शब्द उस अर्थ में कि औरतों के सम्बन्ध में वे केवल कक्षा 5 तक औपचारिक शिक्षा जबकि पुरूषों के मामले में कक्षा 7 तक की औपचारिक शिक्षा प्राप्त किये रहते है। उनके प्रभावी शिक्षण के माध्यम से शिक्षा कर्मी वास्तव में बच्चों, अभिभावकों और समुदाय को विद्यालयों को सकारात्मक एवं अधिगम के इच्छित स्थान के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। मुश्किल क्षेत्रों के विद्यालयों में लड़कियों एवं उनके सहोदरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्ध महिलाओं को महिला सहयोगी के रूप में सेवाओं के उपयोग को अपरिहार्य बनाने का दूसरा काल्पनिक नवीन विचार है। एक बार खाली प्राथमिक विद्यालय भवन में जीवन को वापस लाता है। लोकाचारों को बनाये रखना, अनुभूतियों के स्तर पर लोकाचरों को शामिल करना, सहयोग तथा सम्पत्ति की एक समझ को बनाये रखना एक चुनौती है।

शिक्षा में समुदाय के सम्मिलन का एक दूसरा उदाहरण है- PROPEL जो एक क्रिया शोध परियोजना है जो ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक विद्यालयों की रूपरेखा बनाने में आगे बढ़ाता है। शोध का सबसे महत्वपूर्ण अंग था कि परियोजना का मालिकाना और नियंत्रण ग्रामीणों का था। इस प्रकार कार्यक्रम की सफलता का श्रेय और किसी प्रकार की असफलता का उत्तरदायित्व ग्रामीणों का होगा।

राजस्थान का लोक-जुम्बिश परियोजना जिसकी राजपूत ऐतिहासिकता पर्यटकों को आकर्षित करती है किन्तु पिछड़ा राज्य जहाँ पारंपरिक राजस्थानी समाज औरतों को घर से बाहर निकलने को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करता है। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लोगों के ज्ञान और कौशलों

टिप्पणी

के उपयोग द्वारा अधिगम के लिए वातारण सृजित करने के लिए लोगों का लोगों के लिए एक आन्दोलन के द्वारा एक जिम्मेदार जनता सृजित करना इसकी मुख्य सफलता थी। इस प्रकार बच्चों और समुदाय के लिए प्रासंगिक गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में शिक्षकों की सहभागिता परियोजना का एक मुख्य फलक है।

सर्व शिक्षा अभियान भी विकेन्द्रीकरण और विद्यालयें पर समुदाय के मालिकाना हक पर बल देता है। अधिवास स्तर पर योजना और विद्यालय की गतिविधियों के देखभाल के लिए समुदाय आधारित उपागम अपनाया गया है। विद्यालय आधारित गतिविधियों की एक शृंखला के माध्यम से समुदाय की भागीदारी को देखा गया है जो समुदाय के लिए सामाजिक संस्थान के रूप में विद्यालय खोलता है। सामुदायिक मालिकाना अनुभूति एवं मनोवृत्ति के अलावा कुछ नहीं हैं निरपेक्ष अर्थ में नहीं किन्तु सहयोगी एवं साझेदारी के अर्थ में यह हमारा विद्यालय है और हमारे बच्चों के लिए है।

सामुदायिक मालिकाना के विभिन्न सूचक हैं:-

- समुदाय एवं विद्यालय के बीच लेन-देन का संबंध स्थापित होता है।
- आपातकाल में समुदाय के द्वारा विद्यालय की देखभाल होती है।
- विद्यालय की सम्पूर्ण गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता।
- विद्यालय की शिक्षण अधिगम गतिविधियों, निर्णय निर्माण, गतिविधियों के स्थानान्तरण और सम्पूर्ण गुणात्मक एवं मात्रात्मक पहलु में समुदाय सम्मिलित रहता है।

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण सांदर्भिक है। यह सांदर्भिकता विभिन्न प्रकार के समुदायों के अस्तित्व के कारण देश भर में परिवर्तित होती रहती है।

प्रगति जाँच-2

1. सर्व शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में कम-से-कम दो उदाहरणों को लेकर सामुदायिक मालिकाना को व्याख्यायित करें।

....

....

....

2.4 समुदाय एवं विद्यालय अंतरापृष्ठ

शिक्षा का सामाजिक सन्दर्भ है जिसमें इसे समझा जाना चाहिए। सबसे पहले यह सन्दर्भ स्थानीय समुदाय में अवलोकनीय है जो शैक्षिक प्रक्रिया को समझने और दिशा निर्देश देने में एक मार्मिक

टिप्पणी

भूमिका निभाता है। भारत में स्थानीय समुदाय अधिवासों की प्रकृति पर विविध प्रकार से निर्भर रहते हैं जो इसे समाविष्ट करता है। विभिन्न प्रकार के समुदायों की शैक्षिक जरूरतें उनकी प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होती हैं।

सामुदायिक संघटन:-

समुदाय का संरचनात्मक संघटन विभिन्न तरीकों से शिक्षा को निश्चित करता है। इस प्रकार विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों और पंथों वाली विजातीय जनसंख्या वाला एक समुदाय उस समुदाय में शिक्षा प्रणाली के लिए एक चुनौती पैदा कर सकता है या विविध जनसंख्या उपसमूहों के बीच आपसी संबंधों और सामंजस्य पर निर्भर प्रणाली को समृद्ध कर सकता है। श्रेणीबद्ध जाति या सामाजिक आर्थिक प्रणालियाँ, शिक्षा प्रणाली से निम्न जाति या गरीब लोगों का बहिष्कार करने में नेतृत्व कर सकती हैं। अल्पसंख्यक पंथ या धार्मिक समूहों के प्रति मनोवृत्तिया इन समूहों की शिक्षा को प्रभावित कर सकती है। समुदाय में बोली जाने वाली भाषा विद्यालय में निर्देश के माध्यम में एक निर्धारक भूमिका निभायेगी।

व्यावसायिक एवं आर्थिक कारक:-

गरीबी जीवन के लिए अन्य प्रतिस्पर्धी जरूरतों के कारण बहुत से बच्चों की शिक्षा को रोक सकती है। लोग शिक्षा पर खर्च करने में सक्षम नहीं हो सकते या अपने बच्चों को विद्यालय की बजाय काम के लिए भेजने को प्राथमिकता दे सकते हैं।

रीतियाँ, परंपरायें और विश्वास

परंपरायें और रीतियाँ समुदाय पर आधारित होती हैं और इसके विश्वास को आकार देती हैं जो समुदाय के बच्चों में शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक समुदाय की मान्यता है, सशक्त बच्चे, उनके या उनके अभिभावकों द्वारा पूर्वजन्म में किये गये पापों के कारण ईश्वर द्वारा दण्ड के परिणाम हैं, ऐसे समुदाय अशक्त बच्चों की शिक्षा को कर्म में हस्तक्षेप मान सकते हैं। ये बच्चे और उनके परिवार शिक्षा प्रणाली से कलंकित और बहिष्कृत हो सकते हैं।

लैंगिक भेदभाव:

लैंगिक भूमिकाओं के बारे में समुदाय की मान्यतायें और कार्य लड़कियों का शुरूआत में ही विद्यालय से बहिष्कार करने में भेदभावपूर्ण हो सकती हैं।

विशेषाधिकार रहित एवं सीमान्त समूहों के प्रति मनोवृत्तियाँ:-

समुदाय का उनकी मान्यताओं और शोषणात्मक कार्यों के कारण अशक्त विशेषधिकार रहति एवं सीमान्त समूहों के प्रति एक नकारात्मक मनोवृत्ति हो सकती हैं जो शिक्षा प्रणाली में इन समूहों की समुचित भागीदारी को बाधित कर सकती है।

टिप्पणी

जबकि स्थानीय समुदाय की प्रकृति, प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं की प्रकृति को निर्धारित एवं प्रभावित करती है, शैक्षणिक संस्थायें भी स्थानीय समुदाय को प्रभावित करती है। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से हम विद्यालय को बाहर के संसार (समुदाय) से कटे हुए द्वीप के रूप में नहीं मान सकते हैं। विद्यालय समुदाय से पृथक अस्तित्व के रूप में संचालित नहीं हो सकता है और न ही होना चाहिए।

विद्यालय और समुदाय के बीच विशाल अन्तराल को पाटने के लिए दोनों को निकट आना चाहिए। इसके लिए संवाद मूलभूत है किन्तु किनके बीच? समुदाय और विद्यालय के बीच। इस संवाद को विद्यालय और समुदाय अन्त पृष्ठ के माध्यम से संभव बनाने में शिक्षक सबसे सक्रिय एजेन्ट है। चूँकि समुदाय में प्रत्येक समूह बच्चों की शिक्षा में विभिन्न भूमिका निभाता है, योगदान को अधिकतम करने के क्रम में उनके बीच अन्तराल को पाटने के प्रयास होने चाहिए। जब लोगों के ये विभिन्न समूह समुदाय की बेहतरी के लिए सहयोग करते हैं तब शिक्षा अधिक सफलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से स्थान लेती है।

इस तरह से स्थानीय समुदायों एवं शैक्षणिक सुविधाओं के बीच संबंध आपसी एवं अन्योन्याथित है।

समुदाय विद्यालय और शिक्षक से बच्चों के माध्यम से सामाजिक आंकाक्षाओं एवे अपेक्षाओं को अनुभूत करने की अपेक्षा करता है। इस तरह से समुदाय विद्यालय और शिक्षक या शैक्षिक प्रणाली को प्रभावित करता है। एक शैक्षिक प्रणाली की रूपरेखा एक समुदाय की केवल विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती है बल्कि वृहद समुदाय या एक सम्पूर्ण राष्ट्र की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाई जाती है।

एक शैक्षिक प्रणाली अपने पाठ्चर्या के माध्यम से नये विचारों, मूल्यों और व्यवहार को बनाये रखेगा और प्रचारित करेगा। ताकि ऐसे मूल्यों को मन में बैठाना एक वास्तविकता हो सकता है, अभिभावकों एवं समुदाय के अन्य सदस्यों का विद्यालय के कार्यक्रम में सहयोगात्मक एवं सक्रिय भागीदारी शैक्षिक प्रक्रिया को सुसाध्य बनायेगी। इन विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों आदि को समुदाय आधारित करने में समुदाय के सदस्यों के साथ ऐसी सभी अन्त: क्रियाओं में शिक्षक एक अग्रणी भूमिका निभायेंगे।

शिक्षा का मुख्य साझीदार होने के नाते समुदाय को शिक्षा में मालिकाना दिया जाना चाहिए तथा इसके द्वारा वह सम्बद्धता का नेतृत्व करता है जो शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निरीक्षण में समुदाय की सहभागिता को बढ़ाता है। उसी समय सहभागी समुदाय विद्यालय को लाभप्रद संसाधनों जैसे मानवबल, सामग्री और वित्तीय संसाधनों को प्रदान करने में सक्षम होगा।

केवल यह शर्त है कि शिक्षक समुदाय, इसकी जरूरतों, आकांक्षाओं और परेशानियों को अवश्य समझें। इस प्रक्रिया को सुसाध्य किया जा सकता है यदि शिक्षक उस समुदाय के सदस्यों को प्रबद्ध कर देते है। Delor आयोग अवलोकन करता है-''जब शिक्षक स्वयं समुदाय का एक

टिप्पणी

अंग है जहाँ वे पढ़ाते हैं तो उनकी सहभागिता अधिक स्पष्टता से परिभाषित होती है। वे समुदाय की जरूरतों के लिए अधिक संवेदी और उत्तरदायी हैं तथा समुदाय के लक्ष्यों के प्रति कार्य करने में बेहतर रूप से सक्षम हैं। इस प्रकार विद्यालय और समुदाय के बीच जुड़ाव को सशक्त करना यह सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि विद्यालय इसके वातावरण के साथ सहजीवी होने में सक्षम है।''

क्रियाकलाप -1

1. रणनीतियों की सूची बनाइयें जो विद्यालय और समुदाय अन्त पृष्ठ को सशक्त करने में विद्यालय द्वारा अपनायी जानी चाहिए।

 ....

 ....

 ....

2. आप द्वारा सूचीबद्ध रणनीतियों पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ विचार विमर्श करें।

 ....

 ....

 ....

3. निहितार्थ लिखें।

 ....

 ....

 ....

2.4.1 अधिगमकर्ताओं के भाषा विकास पर समुदाय का प्रभाव

मौखिक भाषा का विकास बच्चे की सबसे प्राकृतिक और प्रभावी उपलब्धि है। लगभग सभी बच्चे अपनी प्रारंभिक आयु में प्रयोग और समय के साथ बिना औपचारिक निर्देश के अपनी भाषा के नियमों को सीखते हैं। वातावरण अपने आप में भी एक सार्थक कारक है। बच्चे भाषा के उस विशिष्ट प्रकार को सीखते हैं जो उसके आस-पास लोग बोलते हैं।

जैसा हम सभी जानते हैं कि चलना सीखने के समान, दैनिक परिस्थितियों में अभ्यास और

टिप्पणी

विकास के लिए बातचीत करना सीखने को समय अपेक्षित है। जन्मजात बच्चे तुरंत नहीं बोलते किन्तु सामाजिक रूप से अन्त: क्रिया भी करते हैं। यद्यपि वे शब्दों के प्रयोग से पूर्व अर्थ सम्प्रेषित करने के लिए चिल्लाते है और भंगिमाओं का प्रयोग करते हैं। वे प्राय: अर्थो को समझ जाते है जिसे दूसरे सम्प्रषित करते हैं। भाषा अधिगम और सामाजिक अन्त: क्रिया करना यह प्रधान नियम नहीं है किन्तु अन्य लोगों के साथ सम्बन्ध बनाने और अनुभवों की समझ बनाने में यह प्रधान नियम है (वेल्स 1986)

जब बच्चों की योग्यतायें विकसित होती हैं तो हमेशा एक मुश्किल प्रश्न होता है जवाब देना। सामान्यत: बच्चे 12 से 18 माह की आयु के बीच अपना पहला शब्द बोलता है। वे 4 से 4½ वर्ष की आयु में जटिल वाक्यों का प्रयोग शुरू कर देते हैं। विकास के अन्य पहलुओं के विरूद्ध भाषा अर्जन अनुमान के योग्य नहीं है। एक बच्चा अपना पहला शब्द 10 महीनों में कह सकता है जबकि दूसरा 20 महीनों में। एक बच्चा 5½ वर्षों में जटिल वाक्यों का प्रयोग कर सकता है जबकि दूसरा 3 वर्षों में।

प्राथमिक शिक्षा प्रथमत: भाषा शिक्षा है और भाषा केवल संस्कृति का एक घटक नहीं हैं किन्तु संस्कृति का वाहक भी है। इसलिए सीखने वाले बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझने में गृह-भाषा महत्व प्राप्त करती है। विद्यालय भाषा के रूप में मातृ-भाषा के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए। बच्चे की पैतृक भाषा की क्षमताओं के अनुपयोग के परिणामत: अलगाव, असहयोग, समापन और बड़ी संख्या में विद्यालय प्रणाली छोड़ने की घटना होती है।

बच्चे चिन्तन की सन्दर्भ आधारित शैली की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं जबकि विद्यालय चिन्तन की सन्दर्भ से स्वतंत्र विधि पर लक्षित करते है। जनजातीय बच्चों की भाषा उनके समुदाय की मनोसामाजिक वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होती है। जब जनजातीय बच्चे प्रभावी भाषा के माध्यम से शिक्षा लेते हैं तो वे समुदाय के सन्दर्भ के कारण मनो-सामाजिक भाषायी समस्याओं का सामना करते हैं। नीचे एक केस अध्ययन दिया गया है कि कैसे एक बच्चे की भाषा जिस समुदाय से वह संबद्ध है उससे प्रभावित हो जाती है।

> तमिलनाडु के गुडुलुर में जनजातीय समुदायों के जनजातियों का एक प्रकार है पानिया जो अपनी जनजातीय भाषा में सामाजिक है। किन्तु जब वे विद्यालय में विभिन्न व्याकरणिक संरचना वाले तमिल के मौखिक एवं लिखित रूप को अभिव्यक्त करते थे तो यह एक मनो-सामाजिक भाषायी प्रवाह का नेतृत्व करता था।

इस केस अध्ययन से हम विश्लेषण करते हैं कि विद्यालय उपलब्धि में बाधा तमिल भाषा के द्विभाषी प्रकृति का आरोपण करता है। अधिकांश देशी बच्चे विद्यालय से वापस आ जाते हैं क्योंकि वे आधिकारिक भाषा को प्रयुक्त और बोलते नहीं है जो विद्यालय में भाषा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है।

जैसा हम जानते है कि विद्यालय अधिगम में मदद न देने वाली एक अपरिचित भाषा से घिरा होता है जिसका तात्पर्य है कि बच्चे राष्ट्रीय भाषा को ग्रहण नहीं करते है और अधिगम को बहुत

टिप्पणी

मुश्किल पाते हैं। विद्यालय में अधिगमकर्ता की जरूरतों और रूचियों तथा पाठचर्या और सम्पादनात्मक रूपात्मकताओं के बीच बहुत सी शिक्षा शास्त्रीय असंतुलन हैं। बहुत से बच्चे शीघ्रता से रूचि खो देते हैं विद्यालय छोड़ देते हैं परिणाम स्वरूप विद्यालय बीच में छोड़ने का उच्च दर होता है।

बहुत से दृष्टान्त/शोध अध्ययन हैं जो दिखाते है कि बच्चे मातृभाषा को अच्छी प्रकार जानते हैं और यह भाषा शिक्षा की शुरूआत में अनिवार्य हैं तकनीकी उन्नति के युग में वैश्वीकरण के सन्दर्भ में घरेलू भाषा ओर विद्यालयी भाषा को जोड़ने के लिए रणनीतियों में एक बच्चे को बहुत सी भाषायें सीखनी जरूरी है और उस उपयुक्त रणनीति को घरेलू भाषा से विद्यालयी भाषा में संप्रेषित होने की प्रक्रिया में विकसित होना जरूरी है। अभिभावकों बच्चों, सहपाठियों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

शिक्षकों को विद्यार्थियों को विद्यालय पाठ्यचर्या में उनके द्वन्द्वात्मक सामग्रियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जब पाठ्यपुस्तकें तैयार हो रही हो तो अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए। देश की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता पर विशेष ध्यान दें और मातृभाषा शिक्षा की जरूरत को महत्व दें जो समय की जरूरत थी एक बोझ नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को इस समस्या से पार पाने के लिए एकमात्र रणनीति थी बच्चे को घरेलू भाषा में शिक्षा देना अपेक्षाकृत अबोध्य मानक भाषा में शिक्षा प्रदान करने को भाषायी असमानता से पार पाने के लिए हमें वैकल्पिक रणनीतियों को देखना चाहिए। शिक्षा को बाद के स्तरों में मातृभाषा को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए विद्यालय भाषा में संप्रेषणीय और शैक्षिक कौशलों को अर्जित करने के लिए निर्मित यांत्रिकता के साथ मातृभाषा शिक्षा प्रदान करने में शैक्षिक रूप से उपयुक्त उपागम अपनाना चाहिए। शिक्षक जो व्यवसायी हैं उनकी मनोदशा में सशक्त परिवर्तन लाना अपेक्षित होना चाहिए।

सामुदायिक भाषा अधिगम एक उपागम है जिसमें विद्यार्थी भाषा के जिन पहलुओं को सीखना चाहते हैं उसे विकसित करने के लिए वे एक साथ कार्य करते हैं। शिक्षक एक परामर्शदाता एवं एक भावानुवादक के रूप में कार्य करता है जबकि अधिगमकर्ता एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है यद्यपि कभी-कभी यह भूमिका परिवर्तित हो सकती है।

सामुदायिक भाषा अधिगम में बाधायें:-

एक बहुभाषी समुदाय में जब एक भिन्न भाषा सीखते है तो वहाँ निश्चित बाधाएँ आती है जो निश्चय ही एक दूसरे का सामना करेंगी। एक बहुसांस्कृतिक समुदाय में भाषा अधिगम में आने वाली इन बाधाओं के कारण हैं कि देशी और विदेशी समूह प्रत्येक अपनी सांस्कृतिक नियमों पर आधारित विभिन्न तरीकों से सोचेगें, कार्य करेंगे और लिखेंगे। शोध दिखाते हैं बहुसांस्कृतिक वातावरण में विद्यार्थी उनसे कम बातें करते हैं जो उनकी संस्कृति से परिचित नहीं होते हैं।

टिप्पणी

भाषा विकास का पोषण:-

मातापिता, अभिभावकों और शिक्षकों को अधिगमकर्ता के भाषा विकास का पोषण निश्चित रणनीतियों के माध्यम से करना जरूरी है। शिक्षक भाषा विकास के अवसरों से पूर्ण वातावरण प्रदान कर स्वाभाविक भाषा को बनाये रखने में सहायता कर सकता है। यहाँ शिक्षकों, मातापिता एवं अन्य अभिभावकों के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिये गये हैं।

- समझना कि प्रत्येक बच्चे की भाषा या बोली संप्रेषण के एक वैध प्रणाली के रूप में आदर के योग्य है। यह बच्चे के परिवार और समुदाय की पहचानों, मूल्यों और अनुभवों को प्रदर्शित करता है।

- बच्चों में अंत: क्रिया को प्रोत्साहित करना। विशेष रूप से मिश्र आयु वर्गो में सहपाठियों को जानना, भाषा के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। विस्तृत सामग्रियों वाली गतिविधियाँ बातचीत को प्रोन्नत करती हैं। व्यक्तिगत गतिविधियाँ और वे गतिविधियाँ जो सहयोग और विचार-विमर्श का पोषण करती हैं के बीच एक संतुलन होना चाहिए, जैसे नाटक, खण्ड बनाना तथा पुस्तक साझा करना। पाठ्यचर्या का प्रत्येक क्षेत्र भाषा के माध्यम से समृद्ध होता है क्योंकि सक्रिय अधिगमकत्ताओं से पूर्ण कक्षायें मुश्किल से कभी शान्त रहती हैं।

प्रगति जाँच-3

नोट (a) आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है:-

(b) अपने जवाब की तुलना इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से करें।

1. बच्चों की शिक्षा के संबंध में समुदाय की मुख्य भूमिकायें क्या हैं?

....

....

....

2. समुदाय विद्यालय को कैसे प्रभावित करता है?

....

....

....

3. समुदाय के उत्थान में शिक्षक कैसे सहायता करते हैं?

....

....

....

टिप्पणी

2.4.2 अधिगमकर्ताओं के सांस्कृतिक विकास पर समुदाय का प्रभाव

जैसा कि हमने अधिगमकर्त्ता के भाषा के विकास पर समुदाय के प्रभाव और कैसे विद्यालय तथा समुदाय अंतरपृष्ठ उसे सुदृढ़ करते हैं के बारे में विचारित किया है। हम भाषा के अलावा इसे संस्कृति से जोड़ते हैं जो संपूर्ण मानव जाति का एक मौलिक अधिकार है अपनी स्वयं की संस्कृति का उत्सव मनाना और आनन्द लेना। बच्चे के अधिकारों के सम्मेलन के अनुच्छेद 29 के अनुसार बच्चे की शिक्षा बच्चों के अभिभावकों को अपनी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और मूल्यों के प्रति आदर के विकास के लिए निर्देशित होनी चाहिए।

इससे हम स्पष्टत देख सकते है कि भाषा संस्कृति का एक वाहक है। यह सम्पूर्ण सांस्कृतिक रिक्थ का एक अंग है और इसे संस्कृति से पृथक नहीं किया जा सकता है। हमें इसे जोड़ना चाहिए इसलिए नहीं क्योंकि वह बच्चे का मौलिक अधिकार है किन्तु इसलिए कि यह उन्हें गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में लाभदायक है।

संस्कृति का अर्थ:-

संस्कृति के अर्थ के बारे में बात करें:- प्रत्येक समूह एक दूसरे के साथ या तो सामान्य रूचियों एवं उद्देश्यों से संबद्ध है चाहे शिक्षित या अशिक्षित, ग्रामीण या शहरी हो। जो परंपराओं का आकार धारण करता है जिसे इसका लोकगीत कहा जा सकता है। लोक कलायें पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ है जिसके माध्यम से एक समूह अपने साझा जीवन के तरीके को बनाये रखता और आगे बढ़ाता है। वे एक समूह की सुंदरता, पहचान और मूल्यों की समझ को अभिव्यक्त करते है। लोक कलायें सामान्यत: निष्पादन के माध्यम से, उदाहरण के द्वारा या परिवारों, दोस्तों, पड़ोसियों एवं सह कर्मियों के बीच अनौपचारिक तरीके से सीखी जाती है। एक सजीव सांस्कृतिक रिक्थ, लोक कलायें भूत एवं वर्तमान को जोड़ती हैं कभी स्थायी नहीं होती, लोक कलायें जैसे ही नई परिस्थितियों को धारण करती हैं बदल जाती हैं जबकि वे अपने पारंपरिक गुणों को बनाये रखती हैं।

संस्कृति मानवीय अभिव्यक्ति के एक अद्भूत फलक को प्रस्तुत करता है जिसे कई तरीकों से और कई कारणों से पढ़ा जा सकता है। इसका प्राथमिक लक्षण है कि इसके घटक सामुदायिक-पारंपरिक निष्पादन में मानव सत्ताओं के बीच गत्यात्मक अंत:क्रियाओं से प्रत्यक्षत: आते प्रतीत होते हैं। जैसे कि संस्कृति एक समूह के अन्तर्गत समयान्तराल से बढ़ चुकी हैं जो समान मानवजातीय रिक्थ, भाषा, व्यवसाय, धर्म या भौगोलिक क्षेत्र को साझा करती हैं और ये घरेलू उत्पन्न पारंपरिक गतिविधियाँ समूह को वर्गीकृत एवं चिहिन्त करती है। ज्ञान के ये पारंपरिक रूप निष्पादन के माध्यम से एक-एक या छोटे समूह आदान-प्रदान के अन्तर्गत अनौपचारिक रूप से सीखी जाती हैं। यह निजी है किन्तु उसे सार्वजनिक बनाया जा सकता है जब समूहों के द्वारा उनकी पहचान को स्वयं या दूसरों को प्रतीकात्मक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लोकगीत हम सभी के जीवन में पहले आते हैं और देर तक रहते हैं। तकनीकी,

टिप्पणी

विज्ञान, टेलीविजन, धर्म, शहरीकरण और बढ़ती साक्षरता की संयुक्त शक्तियों के बावजूद हम जीवन के बारे में और महत्वपूर्ण प्रेक्षणों और अभिव्यक्तियों को संचारित करने के आधार के रूप में अपने नजदीकी व्यक्तिगत संगठनों को प्राथमिकता देते हैं।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) और कार्य योजना (1992) बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा के सांस्कृति परिप्रेक्ष्य पर विचार करता है और उनके अन्तर्निहित क्षमताओं को खोजाता है। शिक्षा के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य शिक्षकों और विद्यार्थियों को लोकगीत, लोक कहानी, पहेलियाँ, स्थानीय इतिहास, लोक खेल और समुदाय के मिथकों को संग्रहित करने के लिए प्रेरित करता है जिसमें बच्चे के सांस्कृतिक विकास और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए समृद्ध अधिगम संभावनायें हैं और यह समुदाय में अनुभूतियों को अन्यों के साथ साझा कर स्व-अधिगम का एक साधन है। बच्चे के सांस्कृतिक विकास में समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय संस्कृति का यदि सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाये तो यह अधिगम के अन्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जो संस्थानात्मक ज्ञान का आधार हो सकता है। स्थानीय इतिहास, इसकी लोक परंपरायें, कला, शिल्प आदि की विशाल शैक्षिक संभावनायें है और जो शिक्षक द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक आनंदपूर्ण बनाने में प्रयुक्त हो सकती हैं।

जनजातीय सामाजिक जीवन और गाँव से उदाहरण:-

उदाहरण के लिए, जनजातीय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में 'माहुल' के वृक्ष के बहुत से अभिप्राय हैं और बच्चों को जीवन के विविध क्षेत्रों में इसके महत्व के बारे में पढ़ाया जा सकता है। वृक्ष के फल को सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, पकाया जाता है और करी के रूप में खाया जाता है। जबकि बीज का प्रयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है और बीज का पुनरूत्पाद मक्के के खेत में खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। यह सर्दियों में गायों के लिए एक औषधि के रूप में भी प्रयुक्त होता है। बीज जलता है तो धुआँ निकलता है जो गर्दन में किसी प्रकार के सूजन को उपचारित करने में प्रयुक्त होता है। फूल से मदिरा निकलता है और पीने के उद्देश्य के अतिरिक्त यह एक एंटिसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है और बवासीर के उपचार में भी सहायता करता है। वृक्ष का तना घर में जलावन के रूप में लाभप्रद है।

संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था 'माहुल के वृक्ष' द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे यह आजीविका के महत्वपूर्ण साधन के रूप में सेवा करता है और जनजातियों के लिए आमदनी सृजित करता है। प्रत्येक परिवार के पास लगभग 40-40 माहुल के वृक्ष होते है और इसके फूलों, फलों तथा मदिरा को बेचकर धन कमाते हैं।

गाँव में वृक्ष का सन्दर्भ लोकगीतों, कहानियों, पहेलियों आदि में पाया जाता है। इस प्रकार हम पाते है कि यह लोगों की सृजनात्मक अवृत्तियों को प्रेरित करता है और उनकी उदारता और सौन्दर्यबोध को प्रेरित करता है।

टिप्पणी

यह उनके सामाजिक धार्मिक जीवन के प्रति मजबूती से समर्पित भी है। जनजातीय शादियों में वृक्ष का तना उत्सव के स्थल पर केन्द्र में रखा जाता है। वृक्ष का एक मांगलिक प्रतीक है जो परिवार और प्रजनन को प्रस्तुत करता है। यह भी विश्वास किया जाता है कि माहुल वृक्ष में देवी-देवताओं का निवास होता है और इसलिए वृक्ष को पूजा जाता है।

प्रत्येक गाँव का अपना स्थानीय इतिहास मिथक और आख्यान है जो इसके वृक्षों, तालाबों देवी-देवताओं, लोगों आदि से घिरा हुआ है। इनमें से कुछ को बच्चे पहले ही जानते हैं नहीं तो शिक्षक उनकों अपने गाँव के इतिहास के बारे में बता सकते हैं। यह बच्चों को उनकी संस्कृति और परंपराओं के गर्व करने में समर्थ करेगा।

त्योहार-संस्कृति का एक पहलू:-

अब हम विभिन्न त्योहारों के बारे में बात करते है जिन्हें एक वर्ष के 12 महीनों में हम मनाते है। प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक समुदाय के अपने त्योहार हैं जिनका विस्तार वर्ष भर है। प्रत्येक मौसम और प्रत्येक कारण का अवसर मनाने के लिए त्योहार हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय त्योहार का आयोजन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र-दिवस जिन्होंने क्षेत्र और समुदाय के साथ कभी कुछ नहीं किया था। किन्तु अब हम उसी भावना को बहुत से धार्मिक एवं विशिष्ट सामुदायिक त्योहारों में देख सकते हैं। कुछ ऐसे त्योहार हैं जिन्हें सभी जातियाँ और समुदाय मनाते हैं जैसे-क्रिसमस, दिवाली, नवरात्री/दुर्गापूजा, लोहड़ी, बसन्त पंचमी/सुफी बसन्त और ईद।

जैसा कि हम जानते है क्रिसमस इसाईयों का एक सुन्दर त्योहार है जो चारो ओर प्यार और खुशी फैलाता है। किन्तु अब इन दिनों प्रत्येक विद्यालय इस त्योहार को क्रिसमस वृक्ष के साथ मनाता है, सान्ता बच्चों को रमणीय उपहार बाँटता है और इसकी सुखद भावना के लिए आनन्दगान गाता है।

इसी प्रकार दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है किन्तु इसकी उपस्थिति अन्य देशों में इसकी सुन्दरता के कारण अनुभूत की जाती है। अमावश्या की रात में मोमबत्ती की रोशनी से चकाचौंध धरती की सुंदरता, पटाखों का मजा प्रत्येक ह्रदय को खुशियों से भर देता है। अत: हिंदु का ध्यान किये बिना और अहिन्दु प्रत्येक घर रोशनी से सुसज्जित होता है और सम्पन्नता का आनन्द लेता है।

उसी प्रकार नवरात्रि या दुर्गापूजा के दौरान गुजरात का गरबा या डांडिया नृत्य प्रत्येक को आकर्षित करता है जहाँ तक कि बंगाली लोग अपने स्वयं के महान दुर्गापूजा के त्योहार की ओर मुड़ जाते है। उसी प्रकार मजे और आमोद-प्रमोद वाली होली प्रत्येक को समीप लाती है।

ईद के दौरान गैर-मुस्लिम दोस्त त्योहरों की नजाकत को पसन्द करने का इन्तजार करते है जो उनके मुस्लिम दोस्तों को प्यार और दोस्ती की एक मिसाल देना कभी नहीं भूलते।

हम सभी बसन्त पंचमी के बारे में जानते हैं जो बसन्त ऋतु का स्वागत करने वाला त्योहार है

टिप्पणी

जब देवी सरस्वती पूजी जाती है। किन्तु क्या आप जानते है कि इस दिन मुस्लिम का सुफी बसन्त भी मनाया जाता है। इस सुफी बसन्त के उद्‌भव के बारे में एक बहुत मनोरंजक कहानी भी है।

उपर्युक्त सभी त्योहार आनंद, प्रसन्नता और प्रत्येक की खुशी के बारे में हैं। प्यार, खुशी, धैर्य और प्रत्येक दूसरे की संस्कृति का आदर करने की भावना धर्मनिरपेक्षता को सशक्त करती है और प्रत्येक दूसरे की संस्कृति से अच्छी आदतें सीखने की सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करती है। किसी त्योहार के अभिनय का मुख्य उद्‌देश्य मनोरंजन, सामाजीकरण और शिक्षा को सम्मिलित करना है।

एक लोक खेल

कालाहांडी के गाँवों में जनजातीय लड़कियों के बीच एक पारंपरिक खेल खेला जाता है जिसमें लड़कियाँ अपने फुरसत के क्षणों के दौरान गाँव की गलियों में जुटती हैं और खेलती हैं। यह खेल उस तरीके से खेला है कि लड़कियाँ मछलियों और विभिन्न धानों के नाम दुहराती हैं। यह खेल प्रत्येक को यह भूमिका निभाने तक जारी रहता है।

इस खेल के माध्यम से बच्चे विभिन्न प्रकार की मछलियों के नाम के साथ-साथ धान के नाम सीख सकते हैं। इसका प्रयोग उन्हें मछलियों उनके अधिवास और भोजन आदि के बारे में अधिक सीखाने में किया जा सकता है। उसी प्रकार उन्हें धान के बारे में सीखाया जा सकता है कि यह किस मौसम और महीने में तथा कब पैदा होता है तथा कहाँ पाया जाता है आदि। लड़कियाँ मछुआरों तथा ग्राहक की भूमिका कर सकती है। वे धान और मछली को तौलने की इकाई को सीखती हैं। यह भूमिका बच्चों में उनके संवाद कौशल और प्रश्न पूछने के कौशलों को विकसित करने में सहायता करती है।

एक शिक्षक के रूप में आपको उस समुदाय की संस्कृति की समझ होनी चाहिए जहाँ विद्यालय स्थित है। इसके माध्यम से किया जा सकता है।

- समुदाय में विविध प्रकार की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अन्वेषण
- लक्षणों और आदतों की समझ जो कि एक संस्कृति को समाविष्ट करता है और इस प्रकार प्रतिफूल सांस्कृतिक धैर्य और विभिन्नता के सम्मान को सशक्त करने में।
- पूर्वाग्रह, पूर्वधारणा और मिथक को टालता है। बच्चे को इसके व्यस्क जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करता है।

विद्यालय की गतिविधियों के विविध पहलुओं में स्थानीय संस्कृति को शामिल कर अधिगमकर्ता के सांस्कृतिक विकास में विद्यालय और समुदाय अंतरपृष्ठ निर्णायक भूमिका निभाता है। जैसे कि यह ज्ञान को एक तत्काल मूल्य प्रदान करता है, यह समुदायों और बच्चों को दिखाता है कि उनके अपने ज्ञान और मान्यतायें वास्तव में इनका कुछ मूल्य है यह बच्चों में उनकी अपनी

टिप्पणी

सांस्कृतिक पहचान के प्रति उच्चतर स्वाभिमान भी सृजित करता है। हीनता और स्व अस्वीकृति की भावना की सीमा को न्यूनतम करता है जो कि व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास में बहुत सहायक है।

इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम और विद्यालय-समुदाय संबंधों में परिवर्तन करना है। इसके अतिरिक्त गाँवों से डाटा संग्रह करना, विद्यार्थी अपने नियमित विज्ञान के पाठों के रूप में पौधों और जानवरों का अध्ययन करने के लिए पास के जंगलों में गये। कुछ स्थानीय ग्रामीण उनके साथ विशेषज्ञ के रूप में उन्हें उस गाँव के विविध देशी जातियों को समझने में सहायता देने के लिए आये। इसके अतिरिक्त पाठ्यचर्या को दैनिक जीवन से जोड़ा जा सकता है और विद्यार्थियों के अधिगम को सुधारने में संसाधनों के अधिक विस्तृत विन्यास का प्रयोग करने में शिक्षक समर्थ होता है।

सर्वप्रथम कला, नृत्य, लोकगीत के संदर्भ में उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए समुदाय से अभिभावकों को आमंत्रित कर सांस्कृतिक मेला का आयोजन करे जो एक-दूसरे को परिचित होने का एक अवसर प्रदान करता है तथा विद्यार्थियों को समुदाय की विविध संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर प्रदान करता है।

- समुदाय अपने सम्मानित सदस्यों जैसे धार्मिक नेताओं, जनजातीय प्रमुखो को कक्षाकक्षो में समुदाय के इतिहास, परंपराओं, रीतियों और संस्कृति के बारे में बात करने के लिए भेजकर विद्यालयों में योगदान कर सकते हैं जो कि समुदाय में ऐतिहासिक रूप से मनाये जाते हैं।
- विद्यार्थी समुदायों का दौरा करें और गाँव के इतिहास तथा उत्पत्ति और वन संबंधी विविध समस्याओं के कारणों के बारे में प्रश्न पूछें। विद्यालय में पढ़ायी जाने वाली संकल्पनाओं को उन्हें समझने में समुदाय के सदस्यों को मदद करनी चाहिए तथा विद्यार्थी को अपनी समझ बढ़ाने के लिए समुदाय में उपलब्ध किसी भी संसाधन का उपयोग करना चाहिए।
- विद्यमान चक्रों जो हैं उनका वार्षिक चक्र या जीवन चक्र का अनुकरण करते हुए पाठ्यचर्या को संगठित करना।
- देशी पाठ्य सामग्रियों को तैयार करने में समुदाय के सदस्यों और बच्चों को शामिल करना।
- लोक कहानी, खेल, पहेलियाँ, गीत जो पाठ्यचर्या में जुड़ते हैं को सूचीबद्ध करने में समुदाय के सदस्यो और बच्चों को शामिल करना।
- देशी ज्ञान के सर्वोदय आदतों को अलेखित और प्रचारित करना।
- शिक्षा शास्त्रीय कौशलों में तकनीकी सहायता प्रदान कर समुदाय के देशी साधन सेवी को सुसाध्य करना।

देशी ज्ञान पारंपरिक ज्ञान को आवश्यक रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है किन्तु नये ज्ञान को संचारित करने के देशी तरीके को समझा जाना चाहिए। हमे हमारे देशी ज्ञान को नयी पीढ़ी को

टिप्पणी

संचारित करने के लिए नवीन तरीकों का पता लगाना जरूरी है यदि हम इन्हें खोना नहीं चाहते हैं तो अतः विभिन्न मानवजातीय और जनजातीय समुदायों के धार्मिक नेताओं को आमंत्रित कर कहानी, लोक कहानी, मान्यतायें, आदतों और सम्पत्तियों के रूप में पारंपरिक ज्ञान के सजाने को प्रोन्नत करने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप एक प्लेटफार्म प्रदान कर सकते है। इस प्रकार आज के सन्दर्भ में इस पारंपरिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने में विद्यालय और समुदाय अन्तरपृष्ठ सहायता करता है और बच्चों को उनकी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है।

माहुल वृक्ष

- फल
- फूल
- बीज
- जलावन की लकडी
- औषधि
- देवी एवं देवता
- माहुल वृक्ष से व्यक्ति एवं स्थान पहचाने जाते है।
- पारगमन के अनुष्ठान
- जातक कहानियाँ लोक कहानियाँ, गीत पहेलियाँ

क्रियाकलाप-2

1. स्थानीय समुदाय की यात्रा करें और लोकगीत, लोक खेल और लोक कहानी के रूप में किन्हीं तीन देशी स्थानीय जानकारी को पहचाने जिन्हें आप अपने पाठ्चर्या में शामिल करना चाहेगे।

....

....

....

टिप्पणी

2.4.3 अधिगमकर्ता के जीवन कौशल के विकास पर समुदाय का प्रभाव

एक लोक कहानी

एक मुर्गी प्रतिदिन नदी में पानी पीने जाती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ पानी पीने आने वाली मुर्गी का अवलोकन करता था। एक दिन उसने मुर्गी को खाने का निर्णय लिया। जब भयभीत मुर्गी ने मगरमच्छ के निश्चय का जाना तो उसने उसे पुकारा और कहा ''भैया मुझ पर आक्रमण मत करो।'' मगरमच्छ पीछे हट गया, उसने सोचा वह मुर्गी को कैसे मारे जिसने उसे अपना भाई बना लिया। अत: उसने उसे मुक्त कर देने का निर्णय लिया।

अगले दिन जब उसने मुर्गी को देखा तो उस समय उसने मुर्गी को न छोड़ने का निर्णय लिया। किन्तु पुनः मुर्गी ने पुकारा ''भाई मुझे मत खाओ'' इस समय भी मगरमच्छ द्वंद्व में था और मुर्गी को नहीं खाया। बाद में मुर्गी के कथन को सोचने पर उसने सोचा कि कैसे वह मुर्गी का भाई हो सकता था, ''मैं पानी में रहता हूँ और वह जमीन पर रहती है, अत: कैसे वह सम्बद्ध हो सकती है?'' इस प्रश्न का जवाब पाने में असमर्थ होने पर उसने पूरे घटनाक्रम को छिपकली को बताया और उससे कहा कि वह भाईबहन के रहस्य को सुलझाने में मदद करे। धूर्त छिपकली ने तत्काल एक जवाब दिया। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते हो कि कछुआ, तुम और मैं अण्डे से पैदा हुए हैं? ये सभी मुर्गी देती है। इस प्रकार हम सभी भाई और बहन है।'' अब यह रहस्य सुलझ गया था और मगरमच्छ ने मान लिया कि वह मुर्गी का भाई है। उस दिन से उसने कभी मुर्गी का शिकार नहीं किया।

अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के लिए कहानी पर चिन्तन करते हैं।

- एक जनजातीय समुदाय में कहानी क्या प्रस्तुत करती है?
- क्या आप अनुभव करते हैं कि इस कहानी को अधिगमकर्ता के जीवन कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है?
- यदि हाँ तो किन जीवन कौशलों के बारे में कहानी बताती है?

जैसा हमने देखा कि कहानी बेहतर संप्रेषण, सकारात्मक मनोवृत्ति और अन्तवैयक्तिक कौशलों के माध्यम से एक मजबूत अन्त: वैयक्ति बन्धन को विकसित करती है जहाँ लोग अपनी खुशी और गम को साझा करते है और एक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व बनाते हैं।

अब एक प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य आना चाहिए कि जीवन कौशल क्या है?

दस कोर जीवन कौशल

1. स्व जागरूकता 2. तदनुभूति 3. विवेचनात्मक चिन्तन 4. सृजनात्मक चिन्तन 5. निर्णय निर्माण 6. समस्या समाधान 7. अन्तवैयक्ति संबंध 8. प्रभावी संचार 9. तनाव से जूझना 10. संवेदनाओं से जूझना

जीवन कौशलों का अर्थ:- जीवन कौशल अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए योग्यतायें हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन के माँगों और चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाती है। जीवन कौशल व्यक्तिगत कौशल या योग्यतायें हैं जो हम में से प्रत्येक को आगे बढ़ाती है और फिर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से बढ़ाती है। जीवन कौशलों की प्रभावी प्राप्ति किसी के बारे में किसी के सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकती है तथा दूसरी किसी की उत्पादकता, क्षमता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। ये अन्तवैयक्तिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उपकरण और तकनीके भी प्रदान करती है। जीवन कौशल समुदाय में विद्यमान लोकगीत, लोक परंपराओं, स्थानीय इतिहास, स्थानीय मान्यतायें, रीतियों और भेदभावों की प्रभावफ़ी उपयोग के लिए जरूरी हैं जिनमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक आनंदपूर्ण एवं प्रभावी बनाने में विशाल शैक्षिक संभावनायें हैं।

जीवन कौशलों की व्याख्या:-

दस केन्द्रिक कौशल हैं जो विस्तृत रूप से तीन सामान्य वर्गों में विभाजित हैं जो इस प्रकार हैं:- चिन्तन कौशल, सामाजिक कौशल और संवेदनात्मक कौशल। एक शिक्षक के रूप में आपको प्रत्येक कौशल की व्याख्या सामान्य भाषा का प्रयोगकर और सामान्य उदाहरण देकर करना चाहिए। जीवन कौशल विशिष्ट स्थितियों में प्रयोग करने के लिए रखी जाती हैं। अधिगमकर्त्ताओं में इन जीवन कौशलों के विकास के लिए अवसर प्रदान किये जाते हैं। जीवन कौशल हमें अपने बारे में सोचने के तीके और दूसरों के हमारे बारे में सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकता है।

टिप्पणी

1. चिन्तन कौशल

1. सृजनात्मक चिन्तन हमें हमारे दैनिक जीवन की स्थिति में अनुकूलात्मक रूप से और लचीलेपन से जवाब देने में मदद करता है। यह हमारे प्रत्यक्ष अनुभव, उपलब्ध विकल्पों के अन्वेषण और हमारी क्रियाओं या अक्रियाओं के विविध परिणामों के परे देखता है।
2. सृजनात्मक चिन्तन को जाने वाली वस्तुओं का पता लगाने का विलक्षण तरीका है जिसके चार घटकों के लक्षण हैं:-
   - प्रवाहता
   - लचीलापन
   - मौलिकता
   - विस्तार

2. विवेचात्मक चिन्तन

- विवेचात्मक चिन्तन हमें सूचना एवं अनुभव का यथार्थ में विश्लेषण करने में समर्थ करता है और कारकों का मूल्यांकन करता है जो हमें सोचने और करने के तरीके को प्रभावित करता है।
- यह हमारे जीवन संबंधी किसी भी निर्णायक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है उदाहरणार्थ-हमारे पास क्या विकल्प है? क्या प्रत्यके विकल्प अनुकूल हो सकता है? क्या मैं वास्तव में इसे चाहता हूँ?

3. निर्णय निर्माण:-

- निर्णय निर्माण हमारे जीवन के निर्णयों का रचनात्मक रूप से सामना करने में मदद करता है।
- स्वास्थ्य के लिए इनके परिणाम हो सकते हैं यदि किशोर विभिन्न विकल्पों तथा विभिन्न विकल्पों के प्रभाव और जो विभिन्न निर्णय हो सकते हैं का मूल्यांकन कर अपने कार्यों के बारे में सक्रियता से निर्णय लेता है।

4. समस्या समाधान

- समस्या समाधान कौशल न केवल हमारी समस्या को नियंत्रित करने बल्कि उन्हें अवसरों में बदल सकने में हमे समर्थ करता है।
- यह निर्णय करने और संवेदनाओं तथा तनाव को व्यवस्थित करने में भी प्रेरित करता है।

सामाजिक कौशल

1. स्व जागरूकता

- स्व जागरूकता हमारी शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों, चरित्र, हमार जरूरतों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, स्वयं और भावनाओं को समझने की योग्यता है उदाहरणार्थ:- मैं अपने आप को पसंद् करता हूँ हाँलाकि मैं त्रुटिपूर्ण हूँ।

2. प्रभावी संचार

- प्रभावी संचार मौखिक और अमौखिक दोनेां तरह से अभिव्यक्त करने की योग्यता है, उन तरीकों में जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है।

3. अन्तवैयक्ति संबंध

- यह सकारात्मक तरीके से लोगों के साथ सम्बद्ध होने में सहायता करता है।
- यह मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने और बनाये रखने में सक्षम साधन भी है जिसका हमारे मानसिक और सामाजिक स्वस्थता में अधिक महत्व हो सकता है।
- रचनात्मक रूप से संबंधों को समाप्त करने के योग्य होने में भी यह साधन हो सकता है।

4. तदनुभूति

दूसरे व्यक्ति के समाधान से संवेदनशील होने की योग्यता तद्नुभूति है, जैसे एड्स पीड़ित के मामले में या मानसिक बीमार लोगों के साथ जो कलंकित हो सकते हैं तथा जिन पर सहायता के लिए वे निर्भर होते हैं उन लोगों द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाना।

रचनात्मक कौशल

1. संवेदनाओं से जूझना

- यह हमारे और दूसरों के अन्दर संवेदनाओं को पहचानने में शामिल है, संवेदनायें कैसे व्यवहार को प्रभावित करती है के प्रति जागरूक होता है तथा संवेदनाओं का जवाब उचित रूप में देने में सक्षम होता है।
- तीव्र संवेदनायें जैसे क्रोध या उदासी हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है यदि हम उचित तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं।

2. तनाव से जूझना:-

- तनाव से जूझने का अर्थ है हमारे जीवन में तनाव के स्रोतों को पहचानना, यह हमें कैसे प्रभावित करता है इसे पहचानना और इस प्रकार से कार्य करना कि अपने पर्यावरण या

टिप्पणी

जीवन चर्या में परिवर्तन कर तथा आराम होना सीखकर हमारे तनाव के स्तर को नियंत्रित करने में हमें मदद करे।

जीवन कौशल व्यक्तिगत क्रियाओं के प्रति निर्देशित हो सकती हैं या अन्यों के प्रति क्रियायें या क्रियाओं में लागू हो सकती हैं जो कि आस-पास को प्रेरक बनाने में इसे परिवर्तित करता है।

जैसा हम जानते हैं कि भारत में बच्चे भिन्न परिस्थितियों में रहते हैं और सामान्यत: विकास के विविध कार्यों को पूर्ण करने में जो उनके अभिभावकों, शिक्षकों, सहयोगियों एवं समुदाय से गुप्त एवं खुले है के लिए उन्हें निर्देशन एवं सहायता दोनों अपेक्षित है। उन्हें सुरक्षित एवं सहायक वातावरण, सटीक एवं आयु के अनुकूल सूचना तथा कौशल निर्माण का अधिकार है। ये उन्हें उत्तरदायी एवं उपयोगी नागरिक बनाने में अपेक्षित है तथा उसी समय वे सामाजिक रूप से दक्ष, सफल एवं समुदाय के लिए एक संसाधन होंगे। सीमान्त एवं असुरक्षित समुदायों में अधिकांश बच्चे निम्न आत्म सम्मान एवं अंतवैयक्तिक कौशल के अभाव से पीड़ित हैं। विशेषत: लड़कियों में निम्न आत्म-सम्मान होता है क्योंकि ऐसे समुदाय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेदभाव विद्यमान होते हैं।

जीवन कौशल शिक्षा का अर्थ:-

जीवन कौशल आधारित शिक्षा शिक्षण अधिगम की एक अंतक्रियात्मक प्रक्रिया का प्रस्ताव करती है जो अधिगमकर्ताओं को ज्ञान अर्जित करने और मनोवृत्तियाँ तथा कौशल विकसित करने में समर्थ करता है जो कि स्वस्थ व्यवहार के अर्जन में सहायता करने में निर्णय करने और सकारात्मक कदम उठाने के लिए जरूरी हैं।

जीवन कौशल की शिक्षा कक्षा-कक्ष आधारित सहभागी गतिविधि की अपेक्षा अधिक है। यह एक सशक्त करने वाला उपागम है जो बच्चों की रक्षा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने में और स्वास्थ तथा सकारात्मक संबंधों को प्रोन्नत करने में उनकी मदद करता है।

एक शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों के जीवन कौशलों को समृद्ध करने में उनके साथ कुछ गतिविधियाँ करने के लिए सुसज्जित होना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति लोकगीत और लोक कहानियों से समृद्ध है जो प्रतिभा, समझ और उमंग का एक समृद्ध खजाना है। समुदाय से, लोक कहानियों से कहानियाँ लेकर शिक्षक विविध परिस्थितियों में जीवन कौशलों के उपयुक्त संयोजन को लागू करने में विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं।

'बीरबल का रहस्य' शीर्षक कहानी नीचे दी गई है:-

'बीरबल का रहस्य'

एक दिन बीरबल जैसे ही सम्राट अकबर के दरबार में प्रवेश किया, उसने सभी दरबारियों को हँसते और मुस्कुराते हुए देखा। उसने राजा से पूछा महामहिम क्यों सभी एक विनोदी मनोदशा में है?

टिप्पणी

राजा ने जवाब दिया-'' ओह विशेष कुछ नहीं बीरबल।'' हम लोग लोगों की त्वचा के रंग के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। अधिकांश दरबारियों और यहाँ तक कि मैं भी एक साफ रंगरूप वाला आदमी हूँ। तुम हम लोगों की अपेक्षा श्याम वर्ण के क्यों हो?

हमेशा की तरह बीरबल के पास एक जवाब तैयार था।'' ओह मेरा मानना है कि आप लोग मेरे रूप रंग का रहस्य नहीं जानते हैं।''

''रहस्य, इसका क्या रहस्य है?'' - राजा ने पूछा!

''बहुत समय पहले, ईश्वर ने संसार सृजित किया और इसे पेड़पौधों, पक्षियों और जानवरों से भर दिया। किन्तु वे सन्तुष्ट नहीं थे। अतः उन्होंने सबको रूप, धन और मस्तिष्क देने का निर्णय किया। वे अपनी नई रचना से खुश थे। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक मानव को उनकी पसंद का उपहार इकट्ठा करने के लिए पाँच मिनट का समय दिया गया। मैं बुद्धि और समझ से परिपूर्ण एक दिमाग इकट्ठा करने में व्यस्त हो गया और दूसरी चीजें लेने का समय नहीं बचा। आप सभी रूप और धन इकट्ठा करने में व्यस्त थे और बाकी सब इतिहास है।''

इसे सुनकर सभी मौन खामोशी में चले गये। किन्तु बादशाह अकबर बीरबल के तत्काल बुद्धि पर हँसने लगे और उनकी बुद्धि की सराहना की।

अब आप को इस कहानी को वर्णित करने के लिए एक सम्पूर्ण सत्र लेना है और उसे समझना है कि कौन सा जीवन कौशल प्रयुक्त हुआ है और अन्य परिस्थितियों में जीवन कौशल को कैसे बढ़ायें।

दृश्य: सत्र के अंत में आपके विद्यार्थी समझने में सक्षम होंगे:-

- आधारभूत जीवन कौशलों को समझने में।
- स्वीकार करना कि जीवन-कौशल बढ़ाये जा सकते हैं और दैनिक जीवन के कार्यों में प्रयुक्त हो सकते हैं।

समय: 35 मिनट

जीवन-कौशल जो प्रयुक्त हुए हैं:- स्व जागरूकता, विवेचनात्मक चिन्तन, सृजनात्मक चिन्तन, प्रभावी संप्रेषण।

अग्रिम तैयारियाँ :- 1. कहानी की प्रति

2. 10 जीवन कौशलों का चार्ट

जुड़ाव :- आप कहानी को अन्य कहानियों,लोक कहानियों, समुदायों की वास्तविक घटनाओं से जोड़ सकते हैं।

टिप्पणी

शिक्षण विधियाँ:- कहानी कहना, विचार-विमर्श, सवाल-जवाब

चरण 1- विद्यार्थियों का अभिवादन करें और कहें कि हमारे देश के पास कहानियों का समृद्ध संग्रह है जो बहुत शिक्षाप्रद और मनोरंजक हो सकती हैं। कहें कि उन्हें एक मनोरंजक कहानी पढ़नी चाहिए।

चरण-2 अपने विद्यार्थियों के समक्ष कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़े और उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने को कहें।

चरण-3 कहानी को पढ़ने के पश्चात,आप विद्यार्थी को उसपर प्रकाश डालने को कहें और विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछें:-

1. आपने इस कहानी से क्या समझा?

2. जब ईश्वर ने प्रत्येक को कुछ चुनने को कहा तो बीरबल ने दिमाग क्यों चुना?

3. आप अधिक महत्वपूर्ण क्या समझते हैं-साफ रूप रंग या दिमाग और क्यों?

चरण-4 विद्यार्थियों को शाबाशी दें और उन्हें कहते हुए बतायें कि हम सभी के द्वारा जीवन कौशलों का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। हम विभिन्न लोक कहानियों और कुछ व्यक्तियों के वास्तविक जीवन घटनाओं के माध्यम से जीवन कौशलों के बारे में अधिक सीख सकते हैं।

चरण-5 आप अपने विद्यार्थियों को कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण कहानियाँ कहने के लिए प्रोत्साहित करें और कुछ मनोरंजक कहानियों पर विचार-विमर्श करें।

क्रियाकलाप-3

एक लोक कहानी या समुदाय से वास्तविक घटना चुनें और अपने विद्यार्थियों के जीवन-कौशलों को बढ़ाने के लिए उपर वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार एक सत्र लें तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर एक रिपोर्ट लिखें:-

1. सत्र के लिए आपने कौन सी कहानी प्रयुक्त किया? इसकहानी का सारांश लिखें।

2. इस कहानी में कौन से जीवन-कौशल प्रयुक्त हुए हैं?

3. क्या आपके विद्यार्थियों से अपेक्षित जवाब मिले जैसा आपने चाहा?

4. क्या आपने पाठ्चर्या के साथ एकीकृत किया था?

टिप्पणी

2.5 सारांश

इस इकाई ने आपको समुदाय की संकल्पना और विभिन्न संरचनात्मक और कार्यात्मक लक्षणों से समुदाय को समझने के साथ परिचित कराने का प्रयास किया है। हमने प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में समुदाय की भूमिका पर भी विचार किया विशेषत: प्रारंभिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में। हमने विद्यालय और समुदाय अंतरपृष्ठ के बारे में बात किया जो विद्यालय और समुदाय दोनों के आपसी सहयोग एवं भागीदारी से सशक्त हो सकता है-विभिन्न सफल कहानियों एवं रणनीतियों के माध्यम से विभिन्न राज्यों के उदाहरणों के साथ।

हम जानते हैं कि बच्चे का अधिगम समुदाय की संस्कृति और जीवन कौशलों, जहाँ बच्चा रहता है से अधिक प्रभावित होता है। बच्चे के पास संदर्भ विशेष से स्वतंत्र विचार होता है जबकि विद्यालय के पास विचारधारा पर आधारित शैली होती है। हम लोगों ने भाषा, संस्कृति और जीवन-कौशलों से संबंधित विविध मुद्दों पर भी विमर्श किया है। विद्यालय और समुदाय अंतरपृष्ठ के माध्यम से अधिगम को सार्थक एवं आनंदपूर्ण बनाने में, लोक कहानियों, लोक गीतों और खेलों के जुड़ाव के माध्यम से तथा विभिन्न स्थानीय बोली में और बच्चे की मातृभाषा में संबोधित कर हम विद्यालय से बच्चे के अलगाव को रोकते हैं। इस इकाई में दैनिक जीवन में दस केन्द्रिक जीवन कौशलों के उपयोग पर व्याख्यान और विचार-विमर्श किया है।

- स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपरा के प्रति खुला विचार, मैत्रीपूर्ण एवं संवेदनशील रहें।
- सामुदायिक उत्सवों और घटनाओं में स्वयं को सम्मिलित करें।
- विभिन्न सामुदायिक उत्सवों एवं अवसरों आदि में समुदाय के नेताओं से मुख्य-सूचनायें प्राप्त करने की कोशिश करें।

2.6 प्रगति जाँच के उत्तर

प्रगति जाँच-1

1. समुदाय, समाज का वह हिस्सा होता है, जिसमें एक जैसी संस्कृति, रीति-रिवाज, परम्पराएं, भाषा तथा जीवन शैली होती है। समुदाय को समझने के लिए रणनीतियाँ–
   - अपने आप को समुदाय के उत्सवों एवं क्रियाकलापों में शामिल करना
   - समुदाय के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से बातचीत करना

प्रति जाँच-2

1. वास्तव में शिक्षा कर्मियों को बच्चों, अभिभावकों तथा समुदाय को प्रेरणा प्रदान करना था ताकि विद्यालय/अधिगम केन्द्रों को सीखने के लिए सकारात्मक तथा ऐच्छिक स्थान बनाया जा सके।

टिप्पणी

2.7 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

Government of India (undated) *Sarva Shiksha Abhiyan- Framework for Implementation*. Ministry of HRD, Department of Elementary Education and Literacy, New Delhi

Jayaram, N, (2008) *School-Community Relations in India: Some Theoretical and Methodological Considerations,* Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi.

Gaysu R. Arvind(2008) *Locating Community in School Education: Emerging Perspectives and Practices to Empowered Participatory Governance,* Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi.

K.B. Everard, Geoff Morris, Ian Wilson, Effective School Management: 2004, London

D.B. Rao, The School and Community Relations: 2004, Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi

2.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

1. व्याख्या कीजिए कि विद्यालय, समुदाय तथा समाज एक दूसरे से अंतसंबंधित है।
2. विद्यालय एवं समाज से संबंधित भाषा एवं सांस्कृतिक विकास पर समुदाय का क्या प्रभाव पड़ता है?

टिप्पणी

इकाई-3 विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदान

संरचना

3.0 प्रस्तावना

शिक्षा में सम्मिलित नीति निर्माताओं, शिक्षकों एवं अन्यों ने समुदायों के बढ़ते हुए सार्थक भूमिका को पहचाना है जिन्हें समुदाय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रशासन, व्यवस्थापन एवं निरीक्षण में निभा सकता है। यह धारक साक्ष्य है कि विद्यालयी शिक्षा में समुदाय की सहभागिता का शिक्षा की पहुंच, अवरोधन एवं गुणवत्ता पर एक नाटकीय प्रभाव हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा दिया गया एक प्रमुख सुझाव स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं के व्यवस्थापन के लिए

टिप्पणी

समुदायों के सशक्तिकरण से संबंधित था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्थापन में समुदाय के सदस्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने को सुनिश्चित करने के क्रम में जिला एवं उप-जिला स्तर पर एक उपयुक्त शैक्षणिक ढांचा स्थापित करने का सुझाव दिया जैसे–जिला शिक्षा बोर्ड एवं ग्रामीण शिक्षा समिति पंचायती राज संस्थाओं से सम्बद्ध 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन से विकेंद्रीकरण एवं समुदायों के सशक्तिकरण ने एक प्रोत्साहन पाया। ततपश्चात् भारत के विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्थापन में समुदाय की सहभागिता के लिहाज से अद्‌भूत मात्रा में अनुभव संचित हुए। सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक उपकरण है, विद्यालयी शिक्षा की योजना एवं व्यवस्थापन में समुदाय की भागीदारी पर भी प्रकाश डालता है। यह इकाई विद्यालय शिक्षा में समुदाय के योगदान को समझने में आपकी सहायता करेगी। वर्तमान इकाई विद्यालय शिक्षा में पहुंच, भागीदारी एवं गुणवत्ता में सुधार करने में समुदाय के महत्त्व पर केंद्रित करता है।

3.1 अधिगम उद्‌देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आपको सक्षम होना चाहिए:

1. विद्यालय शिक्षा में समुदाय क्यों और कैसे सम्मिलित हो सकता है को समझने में।
2. विद्यालय शिक्षा में समुदाय की सहभागिता के महत्त्व को विश्लेषित करने में।
3. विद्यालय शिक्षा में सम्मिलित समुदाय द्वारा प्रयुक्त विविध विधियों पर चर्चा करने में।
4. क्षेत्र स्तरीय अनुभवों पर चर्चा करने में जिससे अध्यापकों एवं मुख्य अध्यापक विद्यालय शिक्षा में समुदाय को शामिल करने की जरूरत को सीख एवं समझ सकें।

यह इकाई समुदाय की संकल्पना एवं विद्यालय शिक्षा के सुधार में उसके योगदान की व्याख्या आपको करेगा।

3.2 केस 1 : दो गांवों और एक शहर की कहानी

मेरा नाम गीता है। मैं शिक्षा विभाग में कार्य करती हूं। अधिक आशा एवं उत्साह के साथ। मैं सांसी के गांव में पहुंची। मैंने बच्चों को खेलते, औरतों को खेत में काम करते तथा कुछ पुरुषों को चारपाई पर बैठकर गप करते देखा। मैंने उनसे पूछा मैं क्लस्टर संसाधन केंद्र/खण्ड संसाधन केंद्र कहा पा सकती हूं। उन्होंने एक दूसरे को भाव शून्य होकर देखा। बहुत से अन्य लोगों से पूछने के पश्चात् मैं क्लस्टर संसाधन समन्वयक से मिली। वे अपने कार्यालय के बाहर बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों तथा विद्यालय व्यवस्था समिति के सदस्यों से मिलना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि वे व्यस्त थे और केवल एक सदस्य मिल सका। मैं क्लस्टर संसाधन केंद्र गयी और यहां अन्दर अंधेरा था। मैंने उनसे सभा के रिकार्ड दिखाने का आग्रह किया और मैंने पाया कि ये रिकार्ड बहुत गंदी तरह से रखे गये थे और वहां सभा का कोई नियम नहीं था। मैं विद्यालय व्यवस्था समिति के दो सदस्यों से मिली जो विद्यालय जाने

टिप्पणी

वाले बच्चों के माता-पिता थे। उन्होंने सूचना दिया कि वे पिछले 6 महीनों से किसी सभा में कभी नहीं गये थे। मैंने गांव के दो विद्यालयों का दौरा किया और बच्चों तथा शिक्षकों को गायब पायी। मध्याह्न का भोजन दिया जाता था किन्तु मात्रा पर्याप्त नहीं थी। मैं विक्षुब्ध हो गयी और सोचना शुरू कर दी कि क्यों लोग विद्यालय की व्यवस्था में रुचि नहीं रख रहे थे? ग्रामीण विद्यालय समिति के सदस्य शिक्षक एवं विद्यालय की उपस्थिति का पर्यवेक्षण क्यों नहीं कर रहे थे?

कुछ दिनों के पश्चात् में 'सुरखा' गांव गई और वहां का दृश्य दूसरे अन्य गांवों जैसा था। मैंने उनसे कहा यदि वे मुझे क्लस्टर संसाधन केंद्र का रास्ता दिखा सके। एक नवयुवक मुझे लेकर क्लस्टर संसाधन केंद्र गया जहां मैंने पाया कि कुछ शिक्षक बैठे थे और अपनी समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। क्लस्टर संसाधन समन्वयक मुझे विद्यालयों में ले गये जहां मैंने अधिकांश शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को उनकी कक्षाओं में पाया तथा कुछ विद्यार्थी कला कक्ष में थे। जब मैंने रिकार्ड के लिए कहा उन्होंने तत्काल सभी रिकार्ड दिखा दिये। मैं देखकर हतप्रभ थी कि उनमें से सभी अच्छी तरह रखे गये थे तथा ग्रामीण शिक्षा समिति का रिकार्ड स्थान पर रखा था। अभिभावक जो विद्यालय विकास समिति के सदस्य थे उत्साहपूर्वक बता रहे थे कैसे उन्होंने विद्यालय विकास योजना का सूत्रपात किया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि मध्याह्न भोजन के लिए बरतन समुदाय द्वारा दिये गये थे। समुदाय के कुछ सदस्य शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए गणित की कक्षायें भी लेते थे। अभिभावकों में से एक विद्यालय में मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करने जायेगा तथा दूसरा अभिभावक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा देता था। विद्यालय विकास व्यवस्था समिति के सदस्यों ने सूचित किया कि वे विशेष रूप से लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्त्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नाटकों का आयोजन करते हैं तथा विद्यार्थियों की चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सकों की व्यवस्था करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शिक्षकों की सहायता से सदस्यों ने भी उन घरों का दौरा किया जहां से बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे थे। लोग जिनसे हम मिले समुदाय के प्रयासों की सराहना किये तथा ग्रामीण शिक्षा समिति/विद्यालय विकास समिति जैसी संरचनाओं से परिचित भी थे।

मैंने शहरी क्षेत्रों में भलस्वा झुग्गी का दौरा किया। गलियां संकरी थी तथा लोग पानी लेने के लिए एक पंक्ति में खड़े थे। वहां शौचालय की सुविधा नहीं थी तथा गलियां गंदे पानी से भरी थी। मैंने पूछा यदि मैं क्लस्टर समन्वयक से मिल सकूं तथा अभिभावकों से भी जो विद्यालय व्यवस्थापन समिति के सदस्य थे। उन्होंने मुझे क्लस्टर समन्वयक का फोन नंबर दिया तथा मैं अभिभावकों से नहीं मिल सकी क्योंकि वे काम के लिए गये थे। अगले दिन मैं कलस्टर समन्वयक तथा दो अभिभावकों से मिली। जब मैंने रिकार्ड जांचा तो पायी कि पूर्ववर्ती वर्ष में केवल दो सभायें हुई थी तथा विद्यालय की गतिविधियों का निरीक्षण करने में अभिभावकों ने भी अक्षमता दिखायी क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम तथा कार्य के अधिक घण्टे के कारण समय नहीं था। फिर भी एक NGO के प्रतिनिधियों ने मुझे ब्रिज कोर्स केंद्र दिखाया जो बच्चों के लिए चल रहे थे तथा वे नियमित विद्यालय न जाने वाले बच्चों तथा नामांकित न होने वाले बच्चों का पता उनके घरों का सर्वेक्षण कर लगाते थे। यह NGO शिक्षा के महत्त्व के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा था। एक ब्रिज कोर्स केंद्र चला रहा था तथा बच्चों का नामांकन कराने में सहायता करने

टिप्पणी

के लिए समय-समय पर सरकारी विद्यालय का दौरा भी करता था। वे विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को मुक्त विद्यालय के माध्यम से दसवीं में उपस्थित होने में सहायता कर रहे थे।

प्रगति जाँच-1

नोट : आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है:

1. दो गांवों और एक शहर की कहानी पढ़कर आपने कैसा अनुभव किया? कौन-सा गांव या शहर आपके स्थान के समान है?

   ....

   ....

   ....

2. सुरखा गांव में समुदाय कैसे सहभागी था? उनकी गतिविधियों का वर्णन करें।

   ....

   ....

   ....

3. भलस्वा झुग्गी में विद्यालय एवं समुदाय के बीच कौन मध्यस्थ है? ऐसे संगठनों का अपने क्षेत्र में पता लगाने की कोशिश करो तथा वे कैसे योगदान कर रहे हैं?

   ....

   ....

   ....

4. सुरखा गांव सांसी गांव से कैसे भिन्न है?

   ....

   ....

   ....

3.3 समुदाय क्या है?

समुदाय सामान्यतः लोगों के एक समूह को सूचित करता है जिनकी सामान्य रूचियां है तथा एक साथ कार्य करते है। हम सभी एक समुदाय में रहते हैं तथा कुछ सामान्य कारक है जो हमें हमारे समुदाय से बांधे रखते हैं:

- भाषा
- क्षेत्र

टिप्पणी

- प्रथायें
- परंपरा और संस्कृति
- व्यवसाय
- सामान्य लक्ष्य

3.4 समुदाय के भागीदारी की सार्थकता

यह बढ़ती हुई अनुभूति है कि शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों में लोगों विशेषत: ग्रामीण गरीब एवं भूमिहीन मजदूरों, शहरी सीमान्त समूहों जैसे गंदी बस्ती एवं घनी आबादी में रहने वालों, वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य है।

शिक्षा में समुदाय की भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण है जिसका तात्पर्य है सभी बच्चों के लिए विद्यालयी सुविधाओं की उपलब्धता, सभी बच्चों को नामांकन प्राप्त करने एवं प्रणाली को सभी विद्यार्थियों को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी बनाना। किसी प्रकार की गतिविधि का लक्ष्य समुदाय और अभिभावकों/परिवारों को शिक्षा में शामिल करने का प्रयास करना है जो शैक्षिक हस्तातंरण को सुधारता है ताकि अधिकांश बच्चे बेहतर सीखे और बदलते संसार के लिए अच्छी तरह तैयार हों।

शैक्षिक प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित वित्तीय, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए समुदाय की भागीदारी एक साधन है। जनसंख्या के सभी वर्गों विशेषत कमजोर वर्गों की जरूरतों, समस्याओं, आकांक्षाओं एवं रूचियों के लिए शिक्षा को अपनाने में भागीदारी भी आवश्यक है।

विशेषत: समान अवसर प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के प्रजातांत्रीकरण के लिए भागीदारी भी अनिवार्य है। शिक्षा प्रणाली के प्रति समुदाय को तटस्थ होने से बचाने के क्रम में भागीदारी अपरिहार्य है। पहल को प्रेरित करने में यह भी एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।

3.5 विद्यालय शिक्षा में समुदाय को शामिल करने के लिए सरकार की पहल

विविध सरकारी प्रतिवेदनों और नीतियों ने एक शिक्षा प्रणाली के लिए समर्थन शुरू किया है जो समाज के प्रति अधिक अनुक्रियाशील एवं उत्तरदायी है। अत: 1980 के दशक के मध्य में समुदाय की भागीदारी भारत में विचार विमर्श का एक प्रमुख मुद्दा बना गया जब विकेंद्रीकरण को शैक्षिक सुधार एवं बदलती प्रक्रियाओं के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में जाना जाने लगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986/1992) तथा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक पुनरूद्धार (73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा) से स्थानीय स्वशासी निकायों ने विद्यालय के समर्थन में स्थानीय सृजन एवं सांस्थानिक अभ्यासों को लागू करने में समुदाय को सशक्त कर विद्यालय प्रणाली में सुधार के लिए एक संदर्भ सृजित किया।

टिप्पणी

- विशेषत: प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय शिक्षा की योजना एवं व्यवस्थापन में जिलों की क्षमता का निर्माण करने के लक्ष्य के साथ विद्यालय शिक्षा प्रणालियों को विकसित करने के लिए एक एकीकृत और विकेन्द्रिकृत उपागम के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा साथ-साथ चलने वाली कार्य योजना अपरिहार्य है। प्रशासन के प्रत्येक स्तर एक उचित ढांचा के लिए उत्तरदायित्व सृजित करने तथा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए समुदाय की भागीदारी को एक मौलिक जरूरत के रूप में देखा जाता था। समुदाय के विकास से समुदाय की भागीदारी या लोगों के सशक्तिकरण या सतही प्रजातंत्र में बदलाव घटित हुआ। नीतिगत प्रलेखों में इस पर बल दिया जाता था कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में लोगों को शक्ति प्रदान करने की जरूरत है। समुदाय को विद्यालय की गतिविधियों, गांव, प्रखण्ड और जिला स्तर पर विद्यालय शिक्षा की योजना में शामिल होना चाहिए।

- नीति एवं कार्य योजना के अनुसरण में राज्य सरकार ग्रामीण शिक्षा समिति एवं विविध अन्य भागीदार संरचनाओं जैसी स्थानीय निकायों को स्थापित करने में कदम उठाती है।

- सूक्ष्म स्तरीय योजना की तैयारी, घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से गांव में विद्यालय का नक्शा बनाना, तथा अभिभावकों के साथ समय-समय पर विचार विमर्श करना ग्रामीण शिक्षा समिति का मुख्य उत्तरदायित्व होना चाहिए। इन समितियों के अन्य कार्यों में समुदाय में जागरूकता का सृजन करना, यहां तक कि सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा शिक्षक का विकास तथा विद्यालय के प्रभावी एवं नियमित कार्य को देखने के लिए समुदाय की साझेदारी का विकास करना है।

- वास्तव में शिक्षा में समुदाय की भागीदारी विविध सतही संरचनाओं के सृजन जैसे–ग्रामीण शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, मां-शिक्षक संगठन, अभिभावक शिक्षक संघ, मातृ संघ तथा महिला निरीक्षण समूहों के साथ वास्तविकता में अनूदित हो जाता है। विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत जैसे–जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान में प्रारंभिक शिक्षा में विशिष्ट भूमिकाओं एवं कार्यों के साथ ग्रामीण शिक्षा समितियों तथा शिक्षक-अभिभावक संघों के निर्माण और भागीदारी पर अतिरिक्त बल दिया गया है। यद्यपि ग्रामीण शिक्षा समिति एवं अभिभावक-शिक्षक संघ राज्यों के समस्त विद्यालयों में स्थापित की जा चुकी हैं। उनकी प्रकृति तथा गठन, भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों में विविधता देखी जाती है।

- बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, सभी विद्यालयों के लिए विद्यालय व्यवस्था समिति स्थापित करने को भी अनिवार्य करता है तथा प्रारंभिक शिक्षा की योजना एवं व्यवस्थापन में ग्रामीण शिक्षा समिति/वार्ड समिति के कार्यों का भी विशेष रूप से उल्लेख करता है जिसको इकाई 4 में विस्तार में विचारित किया जायेगा।

टिप्पणी

प्रगति जाँच-2

नोट : आप के जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. विद्यालय शिक्षा में समुदाय की भागीदारी के महत्त्व की व्याख्या करें।

   ....

   ....

   ....

2. शिक्षा की योजना एवं व्यवस्थापन में ग्रामीण शिक्षा समिति के कार्यों का विश्लेषण करें।

   ....

   ....

   ....

लोगों तक जायें
उन्हें प्यार करें
उनके साथ रहें
उनके साथ सीखें
अपने ज्ञान को उनके साथ जोड़े
उनके पास क्या है से शुरू करें
जब आप अपना कार्य समाप्त करें
लोग कहेंगे
हम इसे स्वयं कर सकते थे

एक उत्तरदायी बच्चे को ऊपर उठाने में समुदाय की सहभागिता सहायता करती है। विद्यालयों का दौरा कर सफाई एवं कक्षा कक्ष में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का निरीक्षण करने में यह अभिभावकों समितियों को विद्यालयों में उनके बच्चों के अधिगम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षकों के साथ बच्चों के निष्पादन पर चर्चा करने और उनके बच्चों को गुणवत्ता अधिगम में सहायता प्रदान करता है।

टिप्पणी

समुदाय विभिन्न तरीकों के माध्यम से सम्मिलित हो सकता है:

- विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए सर्वेक्षणों में भाग लेकर, बालश्रम पर जागरूकता बनाने में, नामांकन जागरूकता में भाग लेकर।
- विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में भागीदारी, विद्यालय की स्थिति, विद्यालयी संसाधनों जैसे भवन, कक्षाकक्षों, शौचलयों, पेय जल सुविधाओं की उपलब्धता में भागीदारी।
- धन, सामग्री और श्रम के योगदान के माध्यम से सहभागिता।
- उपस्थिति (विद्यालय में अभिभावक सभा में), कक्षा कक्ष में शिक्षण-अधिगम तथा सफाई का निरीक्षण करने के लिए विद्यालयों का दौरा कर, शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों के निष्पादन पर चर्चा के माध्यम से सहभागिता।
- एक विशेष मुद्दा जैसे आधारभूत संरचना या शिक्षण विधि कैसे सुधारी जाये पर विचार के माध्यम से सहभागिता।
- सेवा उपलब्ध कराने में भाग लेना, जब शिक्षक अनुपस्थित हो तो पढ़ाना या व्यावसायिक कौशलों/संगीत की शिक्षा देना।
- बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की नियमितता का निरीक्षण करना।
- प्रोत्साहनों जैसे मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, विद्यार्थियों तक परिधान पहुंचाने का निरीक्षण करना, मध्याहन् भोजन की नियमितता एवं गुणवत्ता का निरीक्षण करना।

यह स्पष्ट है कि: क्षेत्रों का एक संभावित विस्तार है जिसमें पाठ्यचर्या के विकास तथा नीति की संरचना को समर्थन देने के लिए संसाधनों का संघटन तथा कक्षाकक्षों का निर्माण कर समुदाय शिक्षा में शामिल हो सकते हैं। वे विद्यालय की गतिविधियों के निरीक्षण में भी सहायता कर सकते हैं। इसे निम्नलिखित सारणी के माध्यम से वर्णित किया गया है:

टिप्पणी

शिक्षा में समुदाय की भागीदारी के आयामों एवं डिग्रियों का मैट्रिक्स

समुदाय की भूमिका/ शिक्षा कार्य	सेवाओं का उपयोग	संसाधनों का योगदान	सभाओं में उपस्थिति	मुद्दों पर सलाह	हस्तांतरण में सहभागिता	प्रदत्त शक्तियां एवं निर्णय निर्माण	वास्तविक शक्तियां एवं प्रत्येक स्तर पर निर्णय निर्माण
नीति की संरचना							
संसाधनों का संघटन							
पाठ्यचर्या का विकास							
शिक्षक की व्यवस्था करना							
पर्यवेक्षण							
वेतन का भुगतान करना							
शिक्षक प्रशिक्षण							
पाठ्य पुस्तक संरचना							
पाठ्यपुस्तक वितरण							
प्रमाणीकरण							
निर्माण एवं रख-रखाव							

ब्रे 2000 से अपनायी गयी सारणी 1 पेज 20.

प्रगति जाँच-3

नोट : जवाब लिखने के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. समुदाय विद्यालय शिक्षा में कैसे योगदान कर सकता है?

   ....

   ....

   ....

2. अपने क्षेत्र से सूचना संग्रहित करें और लिखें कि समुदाय किस तरह से बच्चों की शिक्षा को सुधारने में भाग ले रहे है?

टिप्पणी

....

....

....

3.7 विद्यालय शिक्षा को सुधारने में समुदाय क्या भूमिका निभा सकता है

समुदाय विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के साथ कार्य कर विद्यालय शिक्षा को प्रोन्नत कर सकता है, यदि विद्यालय के कार्यों में कोई अनियमितता पाई जाती है तो वे एक दबाव समूह या प्रहरी के रूप में कार्य कर सकते हैं। समुदाय निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं जो कि नीचे वर्णित हैं:

- शिक्षा के लाभों एवं बढ़ते हुए नामांकन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- विद्यालयों को व्यवस्थित करने में ग्रामीण शिक्षा समितियों/वार्ड शिक्षा समितियों/विद्यालय व्यवस्थापन समितियों में प्रतिनिधित्व करना।
- विद्यालय के विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति दर को बढ़ाने में।
- विद्यालय में लड़कियों के धारण को बढ़ाना।
- कक्षाकक्ष में शिक्षकों के शिक्षण का अवलोकन करने के लिए अभिभावकों की संख्या को बढ़ाना।
- शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना।
- विद्यालय में वित्तीय संसाधनों के उचित उपयोग का निरीक्षण करना।
- शिक्षकों की नियुक्ति करना एवं सहायता देना।
- विद्यालय के स्थान एवं अनुसूचियों के बारे में निर्णय करना।
- शिक्षक की उपस्थिति एवं निष्पादन का निरीक्षण एवं अनुकरण करना।
- विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए विद्यालय की सभाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित होना।
- कौशल निर्देश एवं स्थानीय संस्कृति की सूचना प्रदान करना।
- अध्ययन के साथ विद्यार्थियों की सहायता करना।
- शैक्षिक समस्याओं में योगदान देने वाले कारकों को पहचानना एवं संभावित समाधानों पर चर्चा करना।

टिप्पणी

विद्यालय-अभिभावक का पोषण करना एवं समुदाय की भागीदारी

वर्धित रूप से यह स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा में गुणवत्ता को सुधारने के लिए विद्यालयों एवं समुदायों को एक दूसरे के साथ निकटता से कार्य करना चाहिए। स्वस्थ विकास प्रोन्नत करने तथा अधिगम एवं विकास की बाधाओं को संबोधित करने के संबंध में विद्यालय पाते हैं कि वे अपने कार्य को बेहतर कर सकते हैं जब वे समाज के एक एकीकृत एवं सकारात्मक अंग के रूप में हैं। वास्तव में बहुत से विद्यालयों के लिए उनके शैक्षिक मिशन को सफल बनाने में उन्हें समुदाय के संसाधनों जैसे–पारिवारिक सदस्यों, पड़ोसी नेताओं, व्यवसाय समूहों, धार्मिक संस्थाओं, लोक एवं नीजि एजेंसियों, पुस्तकालयों, पार्कों एवं मनोरंजन स्थलों, समुदाय आधारित संगठनों, नागरिक समूहों, स्थानीय सरकार आदि का सहयोग बहुत जरूरी है। यदि समुदाय विद्यालय के साथ सम्बद्ध है तो यह विद्यालय के व्यवस्थापन में बेहतर नेतृत्व देता है तथा छात्रों के निष्पादन को सुधारता है। विद्यालय में सक्रिय रूप से भागीदार होने के लिए समुदाय को एक विद्यालय की चुनौतियों एवं सफलताओं के बारे में सूचित होना चाहिए, जानना चाहिए कि कैसे वे योगदान दे सकते है, गर्व की अनुभूति कर सकते हैं तथा विद्यालय की उपलब्धियों में स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय बेहतर निष्पादन कर सकते हैं यदि विद्यालय एवं समुदाय के बीच नजदीकी संबंध है जिसे निम्नलिखित तरीके से स्थापित किया जा सकता है :

- **अभिभावक एवं विद्यालय जो नियमित रूप से एवं स्पष्टता से संप्रेषित करते हैं**–वे विद्यार्थियों की सफलता में महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करते हैं। शैक्षिक अधिगम उद्देश्यों, विद्यालय कार्यक्रमों तथा विद्यार्थियों के निष्पादन के बारे में परिवारों को सूचित करते हैं। अभिभावक सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा विद्यालय द्वारा आयोजित खेल गतिविधि यों में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं।

- **विद्यालय जो सुव्यवस्थित है**–समुदाय उन विद्यालयों में योगदान देने में सक्षम होंगे जिनमें विद्यालय व्यवस्थापन समितियां गठित हैं तथा जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के अभिभावकों को प्रतिनिधित्व देते है। नियमित रूप से सभायें आयोजित की जाती हैं तथा सभा में दिये गये सुझावों को आगे बढ़ाया जाता है।

- **विद्यालय जो अभिभावकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं**–प्रधानाचार्य के कार्यालय एवं कक्षाकक्षों में माता-पिता एवं अभिभावकों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। माता-पिता के सुझाव मूल्यवान हैं एवं वे लागू किये जाते हैं।

- **शिक्षक जो माता-पिता को दिशा-निर्देश देने एवं सलाह देने को तैयार रहते हैं**–यदि एक माता-पिता को बच्चे के बारे चिन्ता है या एक बच्चे की विशेष जरूरतें हैं, शिक्षक अपने दिशानिर्देशों एवं परामर्शों के साथ सहायता करने को तैयार हैं। शिक्षक उन तरीकों के बारे में बात करने को भी तैयार रहते हैं। जिनमें माता-पिता अपने बच्चों की प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं तथा उनके गृहकार्य की जांच कर सकते हैं। सभी माता-पिता एवं अभिभावकों यहां तक कि वे लोग जो अच्छी तरह पढ़-लिख नहीं सकते उनका भी सम्मान किया जाता है।

टिप्पणी

- **माता-पिता एवं अभिभावक जो विद्यालयों के साथ अपने कौशलों और ज्ञान को साझा करते हैं**–कक्षा-कक्ष में सहायकों के रूप में स्वयंसेवी माता-पिता मैदानी दौरों में मदद करते हैं, खेल प्रशिक्षकों की भोजन से सहायता करते हैं, शौचालयों एवं हाथ धोने की सुविधाओं जैसी विद्यालय सफाई का निरीक्षण करते हैं, प्रयुक्त बाक्सों, बीजों, अपशिष्ट पदार्थ जैसी शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध करते हैं, साधन सेवियों के रूप में चयनित विषयों पर बच्चों को बोलने के लिए तैयार करते हैं, विद्यालय वार्षिकोत्सव, राष्ट्रीय पर्वों जैसे विद्यालय की गतिविधियों के आयोजन में सहायता करते हैं, छात्रों के नाटक, संगीत एवं नृत्य के निष्पादनों में उपस्थित रहते हैं तथा विद्यालय की सभाओं में सक्रिय भागीदार हैं।

3.9 समुदाय कैसे स्थानीय संसाधनों को पहचानता एवं कार्य प्रवृत कर सकता है

केस-2 : सूक्ष्म योजना में समुदाय की सहभागिता

मैं करोली गांव में कार्यरत एक स्वयंसेवी हूं। इस गांव की जनसंख्या 5300 है तथा यहां केवल एक विद्यालय है जो आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करता है। गांव द्वारा सामना की जाने वाली सबसे प्रमुख शैक्षिक समस्या है कि सभी अधिवासों के पड़ोस में विद्यालय नहीं है, गरीबी के कारण अधिकांश बच्चे (लगभग 25%) नामांकन नहीं कराते और उनमें से लगभग 30% बच्चे आठवीं कक्षा से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं। प्रशिक्षण लेने के पश्चात् मैंने सोचा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए कैसे मैं समुदाय के सदस्यों को शामिल कर सकता हूं? क्या इसे करने के लिए समुदाय में कोई संसाधन उपलब्ध हैं?

कुछ समुदाय के सदस्यों से मैं मिला और वे मुझे सहायता करने को तैयार हो गये। पहली चीज जो मैंने किया कि गांव के बारे में पूर्ण सूचना संग्रहित किया। ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों की सहायता से हमने जमीन पर गांव का एक नक्शा खींचा तथा विभिन्न घरों, संस्थाओं, धार्मिक स्थानों, कुओं, स्वास्थ्य केंद्र, समुदाय केंद्र एवं अन्य स्थानों को चिह्नित किया। हमने इन स्थानों को चिह्नित करने के लिए विभिन्न रंगों, पत्थरों, पत्तियों, कागज के झंडों एवं अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया। हमने इस नक्शा का प्रयोग संपूर्ण जनसंख्या एवं 6-17 वर्षों की आयु वाले बच्चों के घरों का पता लगाने के लिए भी किया। हमने उन घरों को भी चिह्नित किया जहां से बच्चे विद्यालय जाते थे तथा उन घरों को भी चिह्नित किया जहां से बच्चों ने कभी नामांकन नहीं कराया था या विद्यालय छोड़ दिया था। परिवार के सदस्यों, व्यवसाय एवं आमदनी की सूचना भी संग्रहित की गयी थी। इस प्रकार की सूचना लाभदायक थी क्योंकि इसने सुविधाओं के प्रकार के बारे में जानकारी दिया जो शहरी क्षेत्रों के गांवों या वार्डों में थी।

नक्शे ने जो सूचना प्रदान किया था वो थी–

- गांव में घरों की संख्या एवं प्रत्येक घर की स्थिति।

टिप्पणी

- गांव/वार्ड की आधारभूत संरचना–आंगनवाड़ी, पूर्व विद्यालय, विद्यालय/स्वास्थ्य केंद्र का स्थान।
- प्रत्येक घर में लोगों की संख्या।
- प्रत्येक घर से विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या।
- शिक्षित/अशिक्षित पुरुष एवं नारी व्यस्कों की संख्या।

नक्शा खींचने के पश्चात् हम चिह्नित करने में सक्षम हो गये थे यदि विद्यालयों की संख्या पर्याप्त थी या अधिक विद्यालय खोले जाने की जरूरत थी। हम समुदाय के सदस्यों के साथ बैठ सकते थे और विद्यालयी सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित शैक्षिक समस्याओं, बच्चों की सहभागिता आदि के बारे में उनके साथ विचार विमर्श किया। विचार-विमर्श ने हमें शैक्षिक समस्याओं को समझने में सहायता किया तथा समुदाय के सदस्यों ने रणनीतियां सुझाई जैसे–स्थानों को चिह्नित किया जहां दूसरा विद्यालय खोला जा सकता था, विद्यालय के समय तथा विद्यालय के कैलेण्डर को व्यवस्थित किया, स्थानीय शिक्षकों को नियुक्त किया आदि।

भारत संस्था द्वारा पटना में बनाया नक्शा।

प्रगति जाँच-4

नोट : आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया हैं।

1. शैक्षिक स्थिति को समझने के लिए किस प्रकार की सूचना अपेक्षित है
   - अशिक्षितों की संख्या..
2. गांव/वार्ड का नक्शा बनाने में हमें कौन सहायता करेगा?
   - समुदाय के सदस्य..

टिप्पणी

गांव/वार्ड का नक्शा विकसित करने की प्रक्रिया सूक्ष्म योजना कहलाती है। सूक्ष्म योजना निम्नलिखित की सहायता से हो सकती हैं–

- सर्वेक्षणों
- सहयोगी अधिगम एवं कार्य तकनीकें
- समूह केंद्रित विचार-विमर्श
- दृष्टिकोणों
- घर-घर सर्वेक्षणों
- अवलोकन

3.9.1 सहयोगी अधिगम एवं कार्य तकनीकें (PLA)

सहयोगी अधिगम एवं कार्य तकनीकें सूचना को संप्रेषित करने के लिए प्रतीकों के उपयोग पर आश्रित होती है। यह उपागम प्रभावी है क्योंकि यह अशिक्षित व्यस्कों एवं बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस प्रकार संवाद में सक्रिय योगदान के लिए लोगों की संख्या को बढ़ाता है।

3.9.2 चपाती समुदाय दर्शन

यह चपातियों के प्रतीकात्मक उपयोग को सम्मिलित करता है। एक चपाती गोल आकृति वाली एक सपाट रोटी है जिसे भारतीय परिवार प्रति दिन खाते हैं। भागीदारों को शामिल करने के लिए एक कार्यशाला सुसाधक एक कार्डबोर्ड की गोल आकृति वाली छोटी मध्यम एवं बड़ी आकृतियां देता है। आगे वह निवासियों से समुदाय की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्याओं को बड़ी चपाती से संबद्ध करने को कहता है किन्तु कम सार्थक समस्या को छोटी चपातियों से संबद्ध करने को कहता है। कार्यशाला का अनुकरण करते हुए चपातियों पर पोस्टर को चिपकाया जाता है तथा जागरूकता बढ़ाने, संवाद बढ़ाने के लिए भीड़ वाले एक लोकप्रिय स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है तथा एकमात्र मुद्दे के चारों ओर समर्थन एकत्र करते हैं।

3.9.3 बीजों, डण्डों एवं झण्डों का उपयोग

बदलते समय की स्थितियों या रास्ते की समस्याओं का वर्णन करते हुए सूचना एकत्र करने के लिए सुसाधक सामयिक आलेखन तकनीकों पर आश्रित रहता है। डाटा संग्रह की यह विधि समुदाय के सामयिक मैट्रिक्स के सृजन को शामिल करता है। जो बीज जैसी छोटी चीजों का उपयोग करते हुए जनसंख्या को दिखाता है। शुरू करने के लिए सुसाधक एक मैट्रिक्स बनाता है। प्रत्येक पंक्ति एक समस्या को दिखाती है जैसे–विद्यालय नहीं, अत्यधिक भीड़ वाले विद्यालय, विद्यालय में अपर्याप्त शिक्षक तथा प्रत्येक स्तम्भ वर्ष के एक महीने को दिखाता है। प्रत्येक भागीदार बारह बीज लेते हैं तथा उपयुक्त वर्ग में वर्ष की समस्या को दिखाते हुए एक-एक बीज रखते जाते हैं।

जैसा कि पूर्व के दो उदाहरणों में निरूपित किया गया हैं, सहयोगी अधिगम कार्य तकनीकें सूचना संप्रेषित करने के लिए प्रतीकों के प्रयोग पर आश्रित हैं। यह उपागम प्रभावी है क्योंकि जो लोग शिक्षित नहीं हैं वे भी हिस्सा ले सकते हैं। उसी प्रकार समुदाय का नक्शा बनाने का अभ्यास न केवल निवासियों को सूचना साझा करने की स्वीकृति देता है बल्कि वह लोगों के बड़े समूह

टिप्पणी

के बीच विचार विमर्श एवं उत्साह को भी प्रेरित करता है। समुदाय का नक्शा सीधे सतह पर खींचने के लिए सुसाधक चॉक का प्रयोग कर सकते हैं। निवासियों को उनके घरों के बारे में महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय सूचना संप्रेषित करने के लिए पत्तियों, टहनियों एवं डण्डों का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। उदाहरणार्थ– एक औरत जो अपने पति, उसकी मां और दो बच्चों के साथ रहती है एक छड़ी (मनुष्य), दो पत्तियां (औरत) एवं दो टहनियाँ (बच्चों) का स्थान नक्शे पर लेंगी जो उसके घर के प्रत्येक सदस्य को दिखाने के लिए उसके निवास को प्रस्तुत करता है। झण्डे जैसे प्रतीकों का उपयोग कर उन घरों की पहचान कराया जाता है जहां से बच्चे विद्यालय नहीं जाते। उसी प्रकार विद्यालय छोड़ चुके लड़कों एवं लड़कियों के लिए भिन्न-भिन्न पृथक प्रतीक प्रयोग किये जा सकते हैं। ये तकनीकें स्थानीय समस्याओं को पहचानेंगी तथा समुदाय की सहभागिता से समाधान प्राप्त किये जाते हैं।

प्रगति जाँच-5

नोट : आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. शिक्षा की योजना के लिए नक्शा कैसे लाभप्रद होगा?

 ....

 ....

 ....

2. एक गांव/वार्ड में शिक्षा से संबंधित सूचना संग्रह करने की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें?

 ....

 ....

 ....

3. सहयोगी अधिगम कार्य तकनीकों के क्या फायदे हैं तथा सहयोगी अधिगम तकनीकों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें।

 ....

 ....

 ....

3.10. केस 3 : समुदाय का अंतर पृष्ठ एवं विद्यालय शिक्षा

नगरीय मामलों के राष्ट्रीय संस्थान ने प्राथमिक वृद्धि परियोजना के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोगी अधिगम कार्य उपागम को अपनाया है। प्राथमिक समृद्धि परियोजना के मुख्य उद्देश्य है–सार्वभौमिक नामांकन तथा गुणवत्ता शिक्षण के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में अवधारण तथा विद्यालय की संवर्धित आधारभूत संरचना।

टिप्पणी

पड़ोसी समितियों में समुदायों को संघटित करना तथा शिक्षा की योजना, व्यवस्थापन एवं आपूर्ति में उनकी सहभागिता को समृद्ध करना प्रस्तावित था। इसका उद्देश्य था समुदाय एवं शिक्षा प्रशासकों के बीच एक अंत:पृष्ठ बनाना।

समुदाय को शामिल करने एवं उन्हें आत्मविश्वासी बनाने के लिए समुदाय के सदस्यों के दौरों एवं सभाओं के द्वारा समुदाय में एक प्रवेश बनाया गया था।

मैदानी सुसाधकों को प्रशिक्षण दिया गया था कि समुदाय के नेताओं से कैसे मिलें एवं उन्हें प्राथमिक समृद्धि परियोजना कार्यक्रम के उद्देश्यों को विश्लेषित करें।

रैलियों, स्लोगन, अभियानों, दीवार लेखन के माध्यम से समुदाय के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया था। इस प्रक्रिया में समुदाय के सदस्य शिक्षा के मुद्दे पर केंद्रित करने में सहायता करने के लिए सम्मिलित थे।

ऐसे अभियान शिक्षा के महत्त्व से संबंधित जागरूकता सृजित करने के अतिरिक्त समुदाय का भरोसा एवं विश्वास जीतने में सहायक है।

एक बार समुदाय के लोग जब साधन सेवियों एवं मैदानी सुसाधकों को पहचानना शुरू कर देते हैं तो सम्पूर्ण प्रक्रिया में उनकी सहभागिता बढ़ जाती है। अभियान, समुदाय की सभाओं के द्वारा अनुकरण किये जाते थे। इन सभाओं में विद्यालयों की उपलब्धता और कार्यान्वयन से संबद्ध लोगों की समस्याओं को समझने के लिए सहयोगी अधिगम कार्य तकनीकों की रेंज प्रयुक्त होती थी।

समुदाय के संसाधन एवं घरों के नक्शे समुदाय की सहायता से तैयार किये जाते थे। समुदाय के 35-40 सदस्यों का समूह एक साथ एकत्र होते हैं जो स्थानीय सामग्रियों जैसे टहनियों, ईंट के पाउडर, विभिन्न प्रकार के बीजों, पत्थरों, कंकड़ों, पत्तियों, कागज आदि की सहायता से जमीन पर नक्शा खींचते हैं। प्रत्येक नक्शा लगभग 300 घरों की सूचना रखता है। एक मुख्य नक्शा जिसमें मुख्य निशान एवं समुदाय के संसाधन होते थे का उपयोग कर नक्शों को एक साथ जोड़ते थे। मानचित्रण, समुदायों को उनकी शक्तियों एवं संसाधन का महत्त्व बताने, उनकी समस्याओं को पहचानने, तथा कार्य आधारित उनकी क्षमताओं की योजना करने में सहायता करते थे। समुदाय के नक्शे सूचना रखते हैं तथा विद्यालय से बाहर के बच्चों, विद्यालय छोड़ चुके, कार्यरत बच्चे, औरतों आदि वाले घरों को झंडे से सज्जित घरों की सूचना रखते हैं। सहयोगी अधिगम कार्य उपकरणों का उपयोग करने की प्रक्रिया में समुदाय के साथ अंत:क्रिया बढ़ गयी है तथा कुछ सक्रिय एवं उत्साही लोग स्वयंसेवियों के रूप में कार्यक्रम के साथ कार्य करने के लिए समुदाय में से पहचाने जाते थे। औरतें पड़ोसी समूहों में संघटित होती थी। पड़ोसी समूह (NHG) का तात्पर्य 50 से 250 लोगों का प्रत्येक के साथ स्थानिक रूप से नजदीक रहने वाले घरों का संग्रह है। प्रत्येक पड़ोसी समूह, समूह की रुचियों को प्रस्तुत करने के लिए एक सदस्य चुनते है। विभिन्न पड़ोसी समूहों के प्रतिनिधि पड़ोसी या बस्ती समिति के रूप में एक साथ लाये जाते थे जो सम्पूर्ण बस्ती से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए उत्तरदायी थे। बस्ती समिति एक अध्यक्ष, सचिव या कुछ मुख्य नेतृत्वकर्ता को चिह्नित करती है।

टिप्पणी

प्राथमिक समृद्धि परियोजना कार्यक्रम में बस्ती समिति का विकास बस्ती शिक्षा समिति था। जो NHC समिति के दो या अधिक सदस्यों को समाविष्ट कर बना था। बस्ती शिक्षा समिति के कार्य थे–नामांकन, उपस्थिति, अधिगम प्रक्रिया और विद्यालय के साथ जुड़ाव को सुनिश्चित करना।

अंतत: इन समूहों को स्थानीय निकाय या राज्य प्रशासन के साथ संवाद स्थापित करने के पहल के लिए प्रोत्साहित किया जाना था। एक बार इन समूहों के लिए (NHC) जब लोग चिहिन्त कर लिये जाते हैं तो PEEP कार्यक्रम के सुसाधकों ने सुनिश्चित कर लिया कि समूह में सभी जातियों, धर्मों और आर्थिक समूहों का प्रतिनिधित्व है।

समितियों ने नियमित सभायें की और कुछ गतिविधियों की पहल की थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के बच्चों की अधिगम जरूरतों को सहायता देने के लिए सहायक शिशु केन्द्र (SSK) स्थापित किया। SSK ने जरूरतों के अनुसार विभिन्न रूपों को अपनाया–एक बालवाड़ी (पूर्व विद्यालय), ट्यूशन केंद्र, किशोरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र। समुदाय के सदस्यों ने केंद्र के लिए स्थान चिह्नित किया। SSK कार्यकर्ता शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षित किये गये। इन केंद्रों को व्यवस्थित करने के लिए समुदाय ने अपेक्षित मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध करवाया। (स्रोत-Lorlene Hayt, Renu Khosla and Claudia Canepa)

उपर्युक्त उदाहरण ने निरूपित किया कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में समुदाय को सम्मिलित करने के लिए एक प्रयास किया गया था। समुदाय को योजना से कार्यान्वयन के स्तर तक परियोजना का एक अंग बनाया गया था। विभिन्न स्तर पर संरचनायें सृजित की गई थीं–पड़ोसी समितियां, पड़ोसी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाली बस्ती समितियां तथा शिक्षण समस्याओं पर केंद्रित करने के लिए बस्ती शिक्षा समिति बनाना। समुदाय ने निम्नलिखित गतिविधियों में सहायता किया–

- शिक्षा के महत्त्व पर जागरूकता सृजित करने में।
- घरों का सर्वेक्षण करने तथा प्रत्येक घर से विद्यालय न जाने वाले, विद्यालय छोड़ चुके तथा विद्यालय जाने वाले बच्चों की सूचना संग्रहित करने में।
- बस्ती का नक्शा तैयार करने में।
- स्थानीय निकाय/राज्य प्रशासकों के साथ अंत:क्रिया।
- पूर्व विद्यालय, उपचारी कक्षाओं एवं व्यावसायिक कौशल, प्रशिक्षण के लिए केंद्र स्थापित करने में।
- वित्तीय एवं संसाधन सहायता प्रदान करने में।

टिप्पणी

प्रगति जाँच-6

नोट : आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. उपर्युक्त केस अध्ययन पर आधारित व्याख्या करें कि बच्चों की शिक्षा में समुदाय कैसे सम्मिलित था तथा स्थानीय स्तर पर किस प्रकार की संरचनायें सृजित की गयी थी?

....

....

....

3.11 संरचनायें जिसके माध्यम से समुदाय निरूपित हो सकता है

क्षेत्र के नक्शे बनाने, सर्वेक्षण, समूह विचार विमर्श तथा PLA गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं से उपस्थित विद्यालयी सुविधाओं, नामांकन तथा बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति को सुधारने की योजना बनायी जाती हैं। जहां समुदाय निरूपित हो सकता है वहां किस प्रकार की संरचनायें अस्तित्व में हैं–

- विद्यालय व्यवस्था समिति (SMC)
- ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड समिति
- गैर सरकारी संगठन (NGO)
- स्वयंसेवी
- स्वयं सहायता समूह

इन विशिष्ट संरचनाओं की संरचना, भूमिका एवं कार्यों पर विस्तृत परिचर्चा अगली इकाई में होगी।

प्रगति जाँच-7

नोट : आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. अपने क्षेत्र से सूचना संग्रहित करें तथा पता लगायें कि ग्राम/वार्ड तथा विद्यालय स्तर पर किस प्रकार की संरचनायें अस्तित्व में हैं जहां समुदाय भाग लेता है?

....

....

....

निम्नलिखित दो केस अध्ययन विद्यालय के कार्य पर समुदाय की भागीदारी के प्रभाव को स्पष्टत: प्रवर्तित करते हैं। जबकि एक केस में भाग लेने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित नहीं किया गया था जो दिखाता है कि विद्यालय उचित प्रकार से व्यवस्थित नहीं थे। दूसरे केस में विद्यालय गतिविधियों में समुदाय सक्रिय भाग ले रहा था। केस अध्ययन का प्रतिवेदन Dr. अवस्थी कश्यपी (सहायक प्रोफेसर, NUEPA) द्वारा तैयार किया गया हैं जो उनके शोध कार्य के दौरान तैयार किये गये थे।

3.12 केस-4 अम्बेडकर प्राथमिक शाला, कृषिवाड़ी नवसारी, गुजरात : फरवरी 2006

अम्बेडकर प्राथमिक शाला कृषिवाड़ी एक विद्यालय है जो नवसारी रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। विद्यालय अत्यन्त अस्वच्छ स्थितियों से घिरा था। विद्यालय के सामने एक विशाल झील थी जो पड़ोस की झुग्गी की गंदगी से भरी थी। यह मच्छरों का एक प्रजनन स्थल था। बकरियाँ, सूअर और मुर्गियाँ विद्यालय की कक्षा कक्षों तथा मध्यान्ह भोजन पकाये जाने के स्थान के चारों ओर घूमती रहती थी। जिस कमरे में अनाज रखा जाता था वह बहुत गंदा था तथा अनाज में भी कीड़े-मकोड़े तथा गंदगी थी।

विद्यालय का एक मैदान तथा दीवार नहीं था तथा सम्पूर्ण मैदान बहुत गंदा था। ऐसे ही एक विशाल खुले मैदान में एक वृक्ष भी नहीं रोपा गया था। विद्यालय में पानी की एक टंकी थी जिसके आधे नल टूटे हुए थे। विद्यालय में टंकी के सामने विशाल कीचड़ था जो विद्यालय प्रवेश के सामने स्थित था। कोई दूसरा बेहतर प्रवेश नहीं हो सकता था क्योंकि अन्य दो तरफों से विद्यालय झील से घिरा था तथा तीसरी तरफ झाड़ियां थी। शौचालय का एक दरवाजा टूटा था अत: इसका प्रयोग करना संभव नहीं था तथा एक शौचालय बेहतर स्थिति में था जो बंद था संभवत: केवल शिक्षक इसका उपयोग कर सकते थे। जब इसकी अस्वच्छ स्थिति के बारे में पूछा गया तो शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय की एक चार दीवारी थी अत: समुदाय अधि

टिप्पणी

कांश वस्तुओं यहां तक कि दरवाजा, खिड़कियां, नल आदि को चुरा ले गया कई बार ढलान (Ramp), चुल्हा को तोड़ दिया तथा इसकी ईंटें ले गये। विद्यालय में बच्चों की अधिक संख्या थी अत: यह दो पालियों 8.00 से 12.00 एवं 1.00 से 5.00 बजे तक में चलता था। समुदाय में बहुत थोड़े से मूल निवासी गुजरात से थे, बाकी सब मुंबई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के आप्रवासी थे जिनमें से अधिकांश हीरे की फैक्टरी में कार्यरत थे। बच्चों से अंत:क्रिया में प्रकट हुआ कि वे कक्षा 3 तक मुश्किल से गुजराती समझ सकते हैं। कक्षा 4 एवं 5 के विद्यार्थी समझ सकते हैं किन्तु पढ़ना और अपना नाम तक लिखना नहीं जानते थे। जब शिक्षकों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे पूरे वर्ष अनियमित रहते थे। जब बीते हुए महीनों की उपस्थिति पंजिका जांची गयी थी तो उन्होंने उपस्थिति अंकित की हुई थी तथा यह केस 6वीं एवं 7वीं में भी था। तर्क दिया गया था कि उन्हें छात्रवृत्ति देनी थी जिसके लिए न्यूनतम उपस्थिति जरूरी थी तथा उन्हें छात्रवृत्ति देने के लिए शिक्षकों ने उनकी उपस्थिति दर्ज की थी जिन दिनों वे वास्तव में अनुपस्थित थे। विद्यालय की आलमीरा 300-400 कहानी की किताबों से भरी थी उनकी पैकिंग भी नहीं हटाई गई थी। दौरे के दिन 9 में से केवल 2 शिक्षक उपस्थित थे और पूछताछ मं यह पाया गया कि वे प्रशिक्षण पर थे जिसका समय 11.00 से 5. 00 बजे था जबकि सुबह की पाली 8.00 से 12.00 बजे होती है तथा विद्यालय में उपस्थित होने में कोई समस्या नहीं थी यदि इच्छा होती। जो दो शिक्षक उपस्थित थे वे भी दोपहर की पाली के थे। दोपहर की पाली में छुट्टी दी गयी थी तथा हो सकता है कि प्रथम पाली चल रही थी क्योंकि दल ने उनको दौरे की सूचना दे दी थी। समुदाय के सदस्यों से बात करने पर उन्होंने प्रधानाचार्य एवं कर्मचारियों से अंसतुष्टि जताई तथा बताया कि उनके बच्चों ने छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार समय पर नहीं प्राप्त किया और वहां शिक्षण नहीं चल रही थी। उनमें से एक अभिभावक ने चिह्नित किया कि उनकी बच्ची 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसने कुछ नहीं सीखा। मध्याह्न भोजन का अनाज भी बाहर ले जाते हुए देखा गया। समुदाय की सहभागिता के बारे में पूछे जाने पर तथा यह पूछे जाने पर कि उन्होंने अपनी आवाज MTA/PTA में क्यों नहीं उठाया? वे स्पष्टत: बोले कि उन्हें विद्यालय में नहीं बुलाया जाता था। केवल कुछ अभिभावक जो शिक्षकों के दिशानिर्देश पर कार्य करते थे बुलाये जाते थे और अन्यों की बात नहीं सुनी जाती थी। एक अभिभावक ने कहा कि आपने 15 अगस्त 26 जनवरी या रविवार जैसे सार्वजनिक अवकाश अवश्य सुना है लेकिन इस विद्यालय में शिक्षकों का एक CRC अवकाश था जो महीने में कम से कम दो बार होता था तथा इसके बाद भी उन प्रशिक्षणों का शिक्षण शैली एवं बच्चों के अधिगम में कोई अन्तर नहीं आया। लगातार दौरों में VEC, MTA तथा PTA के सदस्यों को बुलाया गया था। परिचयात्मक दौर के बाद यह पाया गया था कि सदस्य जो MTA तथा PTA के सदस्य थे उनके बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे जबकि वे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ रहे थे उनके माता-पिता किसी समिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। जबकि सीखाने अधिगम के पश्चात् बच्चों के माता-पिता पहुंचे थे कि दल विद्यालय में आ रहा था तथा दो समूहों के बीच बातचीत होती थी। शिक्षक उदासीनता के लिए समुदाय पर आरोप लगा रहे थे तथा समुदाय शिक्षकों पर कुछ न करने का आरोप लगा रहे थे। जैसा कि विद्यालय शहरी क्षेत्र में था, वार्ड के चुने हुए सदस्य भी दल के साथ बातचीत करने को आये थे जिनके पास शिक्षा के बारे में एक दृष्टिकोण था जो उनके शब्दों में उद्घाटित हुआ था–''मेरे पास समय नहीं है

किन्तु जब भी वे किसी चीज के साथ आये मैंने हस्ताक्षर कर दिये।'' समुदाय की भागीदारी क्यों? कितनी सभायें आयोजित की जा चुकी हैं? क्या चर्चा हुई? क्या वास्तव में उसने सहायता किया या भविष्य में विद्यालय के लिए क्या योजना है? इन जैसे बहुत से प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व का अभाव, शिक्षकों की उदासीनता समुदाय के व्यवहार में दिखती थी तथा शिक्षकों एवं समुदाय के सदस्यों के बीच कोई सौहार्द नहीं महसूश होता था।

उपर्युक्त केस अध्ययन स्पष्टत: प्रदर्शित करता है कि समुदाय सम्मिलित नहीं था तथा वे भौतिक संरचना, शिक्षक की उपस्थिति का निरीक्षण नहीं कर सकते थे। छात्रों की उपस्थिति भी छेड़ी गयी थी तथा विद्यार्थियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था।

3.13 केस : 5 जोबनटेकरी प्राथमिक विद्यालय, बडोदरा

जोबनटेकरी प्राथमिक विद्यालय गुजरात के वडोदरा जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था जिसमें दो कमरे, 53 बच्चे एवं 3 नारी शिक्षक थी। यह पूरी तरह से औरतों की टीम है जिसमें शिक्षक, मध्याह्न भोजन समन्वयक, रसोइया, सरपंच शामिल है। 6 माह पूर्व विद्यालय के लिए तारकोल की एक सड़क बनायी गयी थी अन्यथा 8 से 10 किलोमीटर कीचड़ युक्त रास्ता अथक प्रयास से पार कर पहुंचा जाता था। अनुपस्थिति की उच्च दर थी, बच्चे बाहर खेलते रहते थे या खेतों में माता-पिता का साथ देते थे तथा जब भी वे आते थे बहुत फटेहाल होते थे। विद्यालय में एक हैण्ड पम्प था जहां से लोग पानी लेते थे तथा झगड़ते हुए एक दूसरे से गाली गलौज करते थे। विद्यालय का बरामदा ग्रामीणों द्वारा मद्यपान करने, मांश खाने या शाम में जुआ खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसका अवशेष सुबह तक रहता है तथा विद्यालय के कर्मचारी उसे साफ करते थे। एक महिला शिक्षक ने विद्यालय के पर्यावरण को सुधारने की पहल शुरू की तथा उसके अटल प्रयासों से वह समुदाय तक पहुंच सकी। वह बच्चों को खेल विधि के माध्यम से गणितीय अंक, भाषा एवं अच्छा व्यवहार सीखाना चाहती थी। भोजन के समय के दौरान जब माता-पिता खेतों से लौट रहे थे वह बच्चों को कक्षाकक्ष से बाहर ले गयी और उन्होंने जो कुछ सीखा था उसे जोर-जोर से दुहराने को कहा। उधर से गुजरने वाले अभिभावक अपने बच्चों की आवाज सुनने के लिए रुके तथा दूसरों को भी टीका-टिप्पणी करने और बच्चों को बाधित करने से रोका। यह एक नियमित कार्य हो गया और धीरे-धीरे पानी भरने के समय होने वाला गपशप और गाली गलौज रुक गया तथा अभिभावक जोर से गपशप करने की अपेक्षा उनके बच्चे क्या कर रहे थे को जानने में उत्सुक हो गये। अभिभावकों ने अपने बच्चों को विद्यालय का मैदान साफ करते हुए भी देखा जिसे वे रात को मद्यपान के बाद छोड़ गये थे और अपनी गतिविधियों पर लज्जित होने लगे इस प्रकार उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। विद्यालय में मालिकाना के अभाव तथा अत्यन्त गरीबी के कारण विद्यालय के दरवाजों या खिड़कियों को रात में हटाने एवं बेचने का कार्य भी अभिभावकों ने रोक दिया।

इस शिक्षक ने गांव में जातिवाद तथा विद्यालय में जाति एवं लिंग पर आधारित में कार्य के बंटवारा को भी चिह्नित किया। अन्य कर्मचारियों एवं समुदाय के सदस्यों के विरोध के विपरीत

टिप्पणी

उसने उसे बदलने की पहल की। उसके सकारात्मक एवं विश्वासोत्पादक तर्कों के साथ निस्वार्थ प्रयासों ने समुदाय में उसके प्रति विश्वास बनाया तथा धीरे-धीरे विद्यालय में जाति एवं लिंग पर आधारित कार्यों का बंटवारा रुक गया। जब बच्चों एवं समुदाय का कार्यों के चक्रण प्रणाली के संबंध में उनकी विचार धारा पर साक्षात्कार किया गया तो एक रुचिकर कहानी सामने आयी। बनिया समुदाय के एक अभिभावक ने कहा कि वे एक आगन्तुक कक्ष में आमंत्रित किये गये थे। जैसा कि वह बहुत स्वस्थ नहीं थी, जो घर को साफ कर रही थी और चाय दे रही थी वह बहुत दुखी थी, उसके केवल दो बेटे थे। फिर उसने गर्व से वर्णन किया कि शिक्षक को धन्यवाद जिसने बच्चों को एक सांचे में ढाला जो घर का कार्य नहीं करते थे और वहां नहीं रहते थे तथा अब बच्चे घर को साफ करने और चाय देने में सहायता कर रहे हैं। इसका एक जोरदार प्रभाव था वह दूसरों को बताना चाहती थी कि जाति एवं लिंग का भेदभाव किये बगैर किसी को किसी भी प्रकार का कार्य करना चाहिए। एक बार मानसून के समय में महिला शिक्षक घुटनों तक पानी को पार कर विद्यालय में आयी। ग्रामीणों ने उसे खाई के समीप रोका तथा उसे वापस जाने को कहा क्योंकि दुपहिया से खाई को पार करना असंभव था तथा शेष रास्ता पैदल कीचड़ युक्त सड़क से पार करना था। उन्होंने उसे मानूसन के बाद आने को कहा। इसके जवाब उसने उनसे पूछा कि वे मानूसन में क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने कार्य करना रोक दिया था? वह जानती थी कि अत्यन्त गरीबी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्हें प्रतिदिन कार्य करने को बाध्य करती है। उसने उनसे पूछा कि वे उस खाई को कैसे पार करते हैं? आप मुझे वापस जाने को कहने की बजाय मुझे सीखा सकते थे। ग्रामीण शिक्षण के लिए उनकी ईमानदारी एवं लगन से अभिभूत थे। फिर किसी ने पीछे नहीं देखा शिक्षक ने प्रसन्नता से बताया। सभी छोटे कार्यों के लिए समन्वय समुदाय से बाहर आता है। अपनी अंत:क्रिया में उन्होंने वर्णित किया कि वह केवल जरूरत के समय समुदाय में मिलने नहीं जाती थी बल्कि विद्यालय के समय से एक या दो घंटे पूर्व पहुंच जाती थी और गांव के प्रत्येक घर में घूमती थी और पूछती थी कि क्या बच्चे विद्यालय जाने के लिए तैयार है? इस प्रकार एक नियमित सम्पर्क ने समुदाय के साथ एक हार्दिक संबंध बनाने में सहायता किया तथा समुदाय ने भी विद्यालय को व्यवस्थित करने में सहयोग दिया। बच्चे विद्यालय आने में अधिक नियमित हो गये।

विद्यालय का सबसे अद्‌भूत कारक था बच्चा केंद्रित शिक्षण। आधारभूत मूल्य छोटी कहानियों, कठपुतलियों खेलों और संगीत के माध्यम से संप्रेषित किये जाते थे। विभिन्न कीटों, जानवरों, पक्षियों के मुखौटे विभिन्न सामग्रियों जैसे कपड़ा, कार्डबोर्ड, चार्ट पेपर, मैट पेपर से बच्चों को प्राकृतिक अधिवास का एक विचार देने के लिए बनाये जाते थे। कक्षा एक से पांच तक के सभी विद्यार्थियों को अंकों (गिनती), पहाड़े गायन एवं नृत्य विधि द्वारा ड्रम, अभ्यास, योग का उपयोग कर सिखाया जाता था। वे गुजराती एवं अंग्रेजी कैलेण्डर के महीनों के नाम लयात्मक तालियों के साथ दुहराते थे। इस महान शिक्षक का उत्साह एवं विचार समुदाय को उत्साहपूर्वक शामिल कर सकता था। समुदाय ने विद्यालय की सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया जैसे–बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति का निरीक्षण, सांस्कृतिक एवं खेल कार्यक्रमों में भाग लेना, यहाँ तक कि शिक्षण में हाथ आगे बढ़ाना उदाहरणार्थ-किसानों ने अंकुरण एवं कृषि से संबंधित अन्य विषयों को परिचित कराने में सहायता किया।

टिप्पणी

प्रगति जाँच-8

नोट : आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया हैं।

1. क्या दिये गये केस अध्ययन में विद्यालय के कार्य को सुधारने में समुदाय के योगदान ने सहायता दिया?

   ....

   ....

   ....

2. जोबनटेकरी प्राथमिक विद्यालय बडोदरा में समुदाय के साथ सौहार्द बनाने में किसने सहायता किया?

   ....

   ....

   ....

3. अम्बेडकर प्राथमिक शाला कृषिवाडी, नवसारी में किस प्रकार की समुदाय की सहभागिता अपेक्षित हैं?

   ....

   ....

   ....

3.14 सारांश

समुदायों के अन्तर्गत सहायतात्मक अभिभावकीय एवं सामाजिक समर्थन विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देती है। जब समुदाय एवं अभिभावक सम्मिलित होते हैं सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विपरीत, जातीय पृष्ठभूमि या अभिभावकों के शैक्षिक स्तर के बावजूद विद्यार्थी अधिक प्राप्त करते हैं। इस प्रारूप में आपने सीखा कि प्रभावी कार्य एवं विद्यालय के व्यवस्थापन के लिए समुदाय की भागीदारी कैसे महत्त्वपूर्ण है। समुदाय का मालिकाना स्थानीय समस्याओं को पहचानने में समुदाय की सहायता करता है तथा नियोजन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर उपर्युक्त मानक भी सुझाते हैं। समुदाय वित्तीय संसाधनों को गतिशील कर सकती है। धन के उपयोग, शिक्षक उपस्थिति, विद्यालय उपस्थिति का निरीक्षण कर सकती है तथा शैक्षिक सहायता प्रदान कर सकती है। सर्व शिक्षा अभियान जो बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू करने का एक उपकरण है विद्यालय शिक्षा में समुदाय की सहभागिता पर प्रकाश डालता है।

टिप्पणी

3.15 प्रगति जाँच के उत्तर

प्रगति जाँच-1

1. **गतिविधि**–अपने क्षेत्र से सूचना संग्रहित करें और विस्तार से वर्णन करें।
2. सुरखा गांव में ग्राम शिक्षा समिति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितियां गठित हो चुकी है। समितियों के सदस्य अभिभावक है और विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
3. NGO विद्यालय एवं समुदाय के बीच मध्यस्थ है।
4. सांसी गांव में समुदाय सम्मिलित नहीं है और वे ग्राम शिक्षा समिति जैसी संरचना के प्रति जागरूक नहीं थे। वे अपने गांवों में विद्यालय संबंधित गतिविधियों की योजना में कभी भाग नहीं लेते। जबकि सुरखा गांव में अभिभावक सक्रिय रूप से सम्मिलित थे, सभाओं का रिकार्ड सुव्यवस्थित था।

प्रगति जाँच-2

1. शैक्षिक प्रणाली को समर्थ बनाने में अपेक्षित वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों की गतिशीलता बढ़ाने में समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। विशेषत: समाज के कमजोर वर्गों की सभी जरूरतों, समस्याओं, एवं रूचियों को शिक्षा में अपनाने के लिए भी भागीदारी अनिवार्य है।

   शिक्षा के प्रजातांत्रिकरण के लिए भी भागीदारी महत्त्वपूर्ण है जिसका तात्पर्य है योजना, निर्णय निर्माण एवं विद्यालय शिक्षा के व्यवस्थापन में स्थानीय लोगों की सहभागिता। भागीदारी समुदाय को विद्यालय शिक्षा में उत्तरदायी बनाता है। पहल को प्रेरित करने में यह एक महत्त्वपूर्ण उपकरण भी है।
2. ग्राम शिक्षा समिति, सूक्ष्म स्तरीय योजना, घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से गांव का नक्शा बनाने में तथा अभिभावकों के साथ सामयिक परिचर्या तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इन समितियों के कार्य में समुदाय के बीच बच्चों के लिए शिक्षा के महत्त्व पर जागरूकता उत्पन्न करना शामिल है ताकि सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय के प्रभावी एवं नियमित कार्य को देखने के लिए शिक्षक एवं समुदाय की सहभागिता को विकसित करने में भी सहायता करती है।

प्रगति जाँच-3

1. समुदाय निम्नलिखित तरीकों से शामिल हो सकता है–
   - विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए सर्वेक्षण में भाग लेकर, बालश्रम, नामांकन पर जागरूकता उत्पन्न करने के अभियानों में भाग लेकर।
   - विद्यालय का बक्शा बनाने का कार्य, विद्यालय की अवस्थिति में भाग लेकर।
   - धन, सामग्री एवं श्रम के योगदान के माध्यम से सहभागिता।
   - उपस्थिति, कक्षाकक्ष में स्वच्छता एवं शिक्षण-अधिगम का निरीक्षण करने, बच्चों के निष्पादन पर चर्चा करने के माध्यम से सहभागिता।

टिप्पणी

- विशिष्ट मुद्दे जैसे आधारभूत संरचना या शिक्षण विधि कैसे सुधारे पर सलाह के माध्यम से सहभागिता।
- सेवा प्रदान करने में भागीदारी, जब शिक्षक अनुपस्थित हो तो शिक्षण करना या व्यावसायिक कौशल सीखाना या संगीत सीखाने के माध्यम से भागीदारी।
- बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की नियमितता का निरीक्षण कर।
- मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, वस्त्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने का निरीक्षण, मध्याह्न भोजन की नियमितता एवं गुणवत्ता का निरीक्षण कर।

2. अपने क्षेत्र से सूचना संग्रहित करें (संकेत उत्तर-7)

प्रगति जाँच-4

1. शैक्षिक स्थिति को समझने के लिए अपेक्षित सूचनायें निम्नलिखित हैं:
   - आयु समूह में अशिक्षितों की संख्या।
   - अधिवासों की संख्या।
   - (1 किलोमीटर के अंदर) प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (3 किलोमीटर के अंदर) माध्यमिक विद्यालयों की संख्या (5 किलोमीटर के अंदर)।
   - विद्यालय जाने वाले आयु समूह वालों की संख्या (6-17 वर्ष)।
   - नामांकित बच्चे, अनामांकित बच्चे, विद्यालय छोड़ चुके (6-17 वर्ष) के बच्चे।
   - बच्चों की अधिगम उपलब्धियां।
2. गांव/वार्ड का नक्शा तैयार करने में निम्नलिखित सदस्य सहायता कर सकते है:
   - ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति
   - शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि
   - समुदाय के सदस्य
   - नक्शा तैयार करने वाले दूसरे विशेषज्ञ

प्रगति जाँच-5

1. नक्शों को निम्नलिखित सूचनायें देनी चाहिए जो विद्यालयी सुविधाओं की योजना में लाभप्रद होगी:
   - गांव में घरों की संख्या तथा प्रत्येक घर की स्थिति।
   - गांव/वार्ड की आधारभूत संरचना-आंगनवाड़ी, पूर्व विद्यालय, विद्यालय को अवस्थिति/स्वास्थ्य केंद्र।
   - प्रत्येक घर में लोगों की संख्या।
   - विद्यालयों की संख्या तथा क्या विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है।
   - विद्यालय जा रहे बच्चों की संख्या तथा प्रत्येक घर से विद्यालय नहीं जा रहे बच्चों की संख्या।
   - पुरुष एवं स्त्री दोनों में शिक्षितों/अशिक्षितों की संख्या।

टिप्पणी

2. सूचना संग्रह करने को विभिन्न विधियां निम्न हैं :
   - सर्वे
   - सहभागी अधिगम एवं कार्य तकनीकें
   - केंद्रित समूह परिचर्चा
   - दृष्टिकोण
   - घर-घर सर्वेक्षण एवं प्रेक्षण
3. सहभागी अधिगम एवं कार्य तकनीकें सूचना संप्रेषित करने के लिए प्रतीकों के उपयोग पर भरोसा करती है। यह उपागम प्रभावी है क्योंकि यह अशिक्षित व्यस्कों एवं बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस प्रकार संवाद में सक्रिय योगदान के लिए लोगों की संख्या को बढ़ाता है। विभिन्न विधियां जैसे चपाती समुदाय दृष्टिकोण, बीजों, डंडो एवं झंडों का उपयोग करना।

प्रगति जाँच-6

14. समुदाय निम्नलिखित तरीकों से सहायता करता है:
   - शिक्षा के महत्त्व पर जागरूकता सृजित कर।
   - घरों का सर्वेक्षण आयोजित कर तथा प्रत्येक घर से अनामांकित, विद्यालय छोड़ चुके तथा विद्यालय जा रहे बच्चों की सूचना इकट्ठा कर।
   - बस्ती का नक्शा तैयार कर।
   - स्थानीय निकाय/राज्य प्रशासकों के साथ अंत:क्रिया कर।
   - पूर्व विद्यालय, उपचारी कक्षायें और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र स्थापित कर।
   - वित्तीय एवं संसाधन सहायता प्रदान कर।

   सृजित संरचनायें थी–पड़ोसी समूह (NHG), पड़ोसी या बस्ती समिति (BC), बस्ती शिक्षा समिति (BEC), सहायक शिशु केंद्र (SSK)।

प्रगति जाँच-7

15. यदि कोई संरचनायें अस्तित्व में हैं तो उनका पता लगाने एवं उनके कार्यों का पता लगाने के लिए सूचना संग्रह करना जैसे–विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड समिति, गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी, स्व सहायता समूह।

प्रगति जाँच-8

16. केस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अम्बेडकर प्राथमिक शाला, कृषिवाड़ी, नवसारी में समुदाय सम्मिलित नहीं था इसलिए विद्यालय की स्थिति और इसके कार्य संतोषजनक नहीं थे जबकि जोबनटेकरी प्राथमिक विद्यालय बडोदरा में समुदाय सक्रिय रूप से सम्मिलित था और वे विविध गतिविधियों में सहायता करते थे जैसे सफाई एवं विद्यालय प्रांगण का रखरखाव, बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति का निरीक्षण करना तथा बच्चों को प्रायोगिक कौशलों को सीखाना।

17. जोबनटेकरी प्राथमिक विद्यालय में समुदाय के साथ सौहार्द्र बनाने में शिक्षक ने सहायता किया।
18. अम्बेडकर प्राथमिक शाला, कृषिवाड़ी, नवसारी में एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थापित किये जाने की जरूरत है और वे अभिभावक सदस्य बनाये जाने चाहिए जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अभिभावकों का उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के लिए प्रशिक्षण एवं अनुकूलन होना चाहिए। शिक्षकों को समुदाय के साथ सौहार्द्र स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए एवं विद्यालय की सफाई, स्वास्थ्य, एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देना चाहिए। बच्चों की उपस्थिति का निरीक्षण एवं विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की पहचान करनी चाहिए आदि।

3.16 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

Bray Mark (2001) Community partnerships in Education: Dimensions, Variations and Implication, Paris Education for All (EFA) Inter-Agency Commission, UNESCO.

Gaysu R. Arvind (2008) Locating Community in School Education: Emerging Perspectives & Practices to Empowered Participatory Governance, Paper presented at National Seminar on Community & School linkages: Principles and Practices (March 17-19 2008) NUEPA, New Delhi.

Government of India (Undated) Sarva Shiksha Abhiyan–Framework for Implementation. Ministry of HRD, Department of Elementary Education & Literacy, New Delhi.

Govinda, R & Diwan Rashmi (2003) Community Participation and Empowerment in Primary Education, Saga Publications, New Delhi.

Grant. A Corl (1979) Community Participation in Education, Allyn and Bacon, USA.

Jayram, N. (2008) School-Community Relations in India : Some theoretical and Methodological considerations, Paper presented at National Seminar on community and school Linkages: Principles and Practices (March 17-19 2008), NUEPA, New Delhi.

Kantha V. Vinay & Daisy Narain (2003) Dynamics of community Mobilisation in Govinda, R & Diwan Rashmi Community Participation and Empowerment in Primary Education, Sage Publication, New Delhi.

Lorlene Hoyt, Renu Khosla and Claudia Conepa (Leaves, Pebbles and Chalk): Building a Public Participation GIS in New Delhi, India Journal of Urban Technology Volume 12, Number 1, Page. 1-19.

Mitsue Uemura (1999) Community Participation in Education: What do we know? The world Bank.

टिप्पणी

Meenai Zubair (2008) Participatory Community Work, Concept Publishing Company, New Delhi.

Pailwar, Veena K. & Mahajan Vandana (2005) Janshala is Jharchand: An Experiment with Community Involvement in Education. International Education. Journal, 2005. 6(3).373-385. Pokhriyal H.C. (2008) Communitisation of Schol Education: Reflections from the field paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008) NUEPA, New Delhi.

Priyanka Pandey, Sangeeta Goyal, Venkatesh Sundavaraman (2008) Community Participation in Public Schools: The Impact of Information Compaigns in Three Indian State, Policy Research working paper 4776, The world Bank, South Asia Region, Human Development Department.

Ramachandran Vimala (2003) Community Participation and Empowerment in Primary Education: Discussion of Experiences from Rajasthan in Govinda. R & Diwan Rashmi Community Participation and Empowerment in Primary Education, Sage Publication New Delhi.

Society for Participatory Research in Asia Community Participation: A Training Module for Anganwadi Workers.

Tharlcan P.K. Michael (Undated) Community Participation in School Education: Experiments and Experiances under people's Planning campaign in Kerala.

http://decwatch.org/files/icdd/021.pdf

UNESCO, Dhaka Asania Mission Module Training Manual on Community Participation and Social Mobilization in Basic Education.

Vasavi A.R. (2008) Concepts and Realities of Community as Elementary Education, Paper Presented at National Seminar on community, and school linkages: Principles and Practises (March-17-19, 2008) NUEPA, New Delhi.

3.17 अन्त्य इकाई अभ्यास

1. ऐसे कम से कम छः तरीके लिखिए जो यह दर्शाते हैं कि समुदाय, विद्यालयी शिक्षा में योगदान देता है।
2. समुदाय, विद्यालयी शिक्षा को किस प्रकार बेहतर बना सकता है?
3. उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा समुदाय स्थानीय संदर्भों को पहचान सकता है तथा उन्हें संचालित कर सकता है।

टिप्पणी

इकाई-4 सर्वशिक्षा अभियान एवं शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत समुदाय की भागीदारी के लिए प्रावधान

संरचना

4.0 प्रस्तावना

सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए योजना, कार्यान्वयन एवं निरीक्षण मध्यस्थताओं में समुदाय की भागीदारी एक केन्द्रीय एंव महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों के अधिकार के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 ने शिक्षा में मुख्य पणधारियों विशेषत: स्थानीय पंचायती राज

टिप्पणी

संस्थाओं, अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं समुदायों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किये हैं। शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन में सर्व शिक्षा अभियान एक सार्थक उपकरण है जिसने गाँव/वार्ड, प्रखण्ड, कलस्टर एवं विद्यालय स्तर पर संरचनायें सृजित की हैं तथा उन्हें शैक्षिक गतिविधियों के साथ संलिप्त हाने के लिए उत्तरदायित्व नियत किये हैं। शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्तियों एवं समुदायों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को सृजित कर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। समुदाय बच्चों को विद्यालय में लाने के लिए अभियानों को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। पूर्ववर्ती खण्ड में आपने समुदाय की संकल्पना के बारे में सीखा है। यह खण्ड विविध शैक्षिक गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता पर केन्द्रित करेगा। खण्ड, शिक्षा में समुदाय की सहभागिता की सार्थकता को विश्लेषित करने में आपकी सहायता करेगा तथा कैसे स्थानीय स्तर की भागीदारी असहाय बच्चों की भागीदारी एव पहुँच को बेहतर बनाने में लाभदायक है को समझने में आपकी सहायता करेगा। खण्ड सर्व शिक्षा अभियान एवं बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून 2009 की विविध अनुसूचियों के कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी की व्याख्या करेगा।

4.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप सक्षम होगें:-

- शिक्षा में समुदाय की भागीदारी के महत्त्व का वर्णन करने में।
- विविध स्थानीय निकायों जैसे ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक-शिक्षक संघ तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितियों की भूमिका को शिक्षा के अधिकार के सन्दर्भ में पहचानने में।
- विश्लेषित करने में कि कैसे समुदाय शिक्षा की योजना एवं व्यवस्थापन में सहायता कर सकता है।
- सफल अनुभवों पर विचार विमर्श करने में जिससे शिक्षक सीख सकते हैं तथा विद्यालय गतिविधियों की प्रक्रियाओं की संरचना एवं कार्यान्वयन में समुदाय को अधिक सार्थक रूप से शामिल कर सकते हैं।

4.2 शिक्षा में समुदाय की भागीदारी

आपने अवश्य सुना होगा कि समुदायों ने विद्यालय खोलने के लिए जमीन दान किया है। कुछ समुदायों ने विद्यालयों को कृषि उत्पाद भेजा है। यद्यपि अब समुदाय और व्यावसायिक घराने विद्यालय को बरतन, डेस्क, कम्प्यूटर आदि देते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ अभिभावकों विशेष रूप में मातायें पेंन्टिंग शिल्प कला आदि जैसे व्यावसायिक कौशलों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा में समुदाय की भागीदारी का तात्पर्य है अभिभावकों एवं

टिप्पणी

समुदाय के सदस्यों की विद्यालय की योजना एवं व्यवस्थापन में भागीदारी जो कि गुणवत्ता की सुधार में सहायता करता है।

क्या आप जानते हैं कि शिक्षा में समुदाय की भागीदारी आंशिक रूप से दो रूपों-औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से स्थान लेती हैं।

अनौपचारिकः अनौपचारिक तरीका जिसमें स्थानीय समुदायों ने शैक्षिक प्रयासों में योगदान दिया है। यह विद्यालय के लिए भवन तथा श्रम प्रदान करने एवं निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री प्रदान करने के रूप में हो सकता है। 1950 एवं 1960 के दशक के दौरान विशेष रूप से तमिलनाडू में शिक्षा के लिए समुदाय के समर्थन को गतिशील बनाने में विचारणीय प्रयास किया गया था। स्थानीय समुदायों एवं अभिभावक समूहों द्वारा शैक्षिक संस्थाओं की जरूरतों के लिए नकद में भौतिक योगदान किये गये थे।

औपचारिकः- समुदाय की भागीदारी के लिए औपचारिक अभियांत्रिकी ने ग्राम पंचायतों एवं ग्राम शिक्षा समितियों/वार्ड शिक्षा समितियाँ जो करती है, उसका रूप ले लिया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों/वार्ड समितियों, अभिभावक-शिक्षक संघ, स्वयं सहायता समूहों, विद्यालय व्यवस्थापन समितियों जैसी विविध संरचनायें सृजित की जा चुकी हैं एवं विद्यालय प्रशासन एवं व्यवस्थापन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए विशिष्ट कर्त्तव्य दिये गये हैं।

क्या आप वर्णन कर सकते हैं कि उपयुर्क्त तस्वीर में किस प्रकार के संगठन को दिखाया गया है और क्या हो रहा है?

टिप्पणी

प्रगति जाँच-1

नोटः- आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. समुदाय की भागीदारी के दो प्रकारों का वर्णन करें।

....

....

....

2. जमीन का दान औपचारिक या अनौपचारिक समुदाय की भागीदारी है।

....

....

....

3. विद्यालय विकास व्यवस्थापन समिति औपचारिक या अनौपचारिक समुदाय की भागीदारी है।

....

....

....

4. अपने क्षेत्र के विद्यालय का दौरा करें एवं रिकार्ड करें कि समुदाय कैसे विद्यालय को समर्थन दे रहा है?

....

....

....

4.3 सर्व शिक्षा अभियान को प्रस्तुत करना

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समुदाय की भागीदारी को आप जाने उससे पहले हम सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के मिशन पर संक्षेप में चर्चा करते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का ध्वज-वाहक कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया था। यह बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 को लागू करने का एक उपकरण है जो अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ।

सर्व शिक्षा अभियान सम्पूर्ण देश को आवृत करने तथा 1.1 मिलियन अधिवासों में रहने वाले

टिप्पणी

लगभग 192 मिलियन बच्चों की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकारों की सहभागिता से कार्यान्वित हो रहा है।

यह कार्यक्रम उन अधिवासों में नये विद्यालय खोलता है जहाँ विद्यालयी सुविधायें नहीं हैं तथा उन विद्यालयों में वर्तमान आधारभूत संरचना को सशक्त करता है जहाँ पर्याप्त कक्षाकक्ष, पेयजल, शौचालय आदि नहीं हैं।

उन विद्यालयों को अतिरिक्त शिक्षक प्रदान किये जाते हैं जहाँ पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। शिक्षकों को अन्त सेवी प्रशिक्षण भी दिया जाता है, शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करने के लिए धन उपलब्ध कराता है।

सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशलों के साथ गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है। इसका विशेष लक्ष्य लड़कियों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा है।

यह कार्यक्रम विद्यालय आधारित मध्यस्थताओं के समुदाय के मालिकाना के लिए आयोजित किया जाता है। यह पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय व्यवस्थापन समितियों, ग्राम एवं नगरीय झुग्गी स्तरीय शिक्षा समितियों, अभिभावक-शिक्षक संघ तथा माता शिक्षक संघ आदि को प्रारंभिक विद्यालयों के व्यवस्थापन में शामिल करने का एक प्रयास करता है।

केस अध्ययन-1 सर्व शिक्षा अभियान तथा समुदाय

विविध राज्यों द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि समुदाय के सम्मिलन से सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों प्रभावी ढंग आगे बढ़ती हैं। सभी सिविल कार्यों में समुदाय की भागीदारी मालिकाना की एक समझ को सुनिश्चित करता है। सिविल कार्य जिसमें कक्षाकक्ष, चारदीवारी, रसोई का निर्माण शामिल होता है, ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय व्यवस्थापन समिति के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत खाता रखरखाव के पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक राज्य निर्माण के लिए उपलब्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग करता है जो निर्माण के लागत को कम करता है।

4.5.1 मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 बच्चों का अधिकार

बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का कार्यान्वयन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है जो अप्रैल, 2010 में लागू हुआ।

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के मुख्य लक्षण:-

- यह कानून शिक्षा को 6-14 वर्ष के बीच के प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है तथा प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम नियमों को विशेष रूप से उल्लिखित करता है।
- सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। मुफ्त शिक्षा सभी बच्चों को विद्यालय आने के समान अवसर प्रदान करने के लिए दिया जाता है तथा प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने या पूर्ण करने में लागत (खर्च) एक बाधा नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी

- कानून के लागू होने के 3 वर्ष के अन्दर राज्य पड़ोस में विद्यालय प्रदान करेंगे। प्रत्येक अधिवास में बच्चों के लिए 1 km के अन्दर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 km के अन्दर उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे।
- निजी विद्यालय गरीब परिवारों के कम-से-कम 25% बच्चों को अपने विद्यालयों में प्रवेश देंगे।
- यह कानून यह भी प्रावधान करता है कि कोई बच्चा रोका नहीं जायेगा या प्रारंभिक शिक्षा जो 8वीं कक्षा तक है की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा पास करना अपेक्षित नहीं है।
- कानून यह भी उल्लेख करता है कि प्रत्येक बच्चा को उपयुक्त आयु की शिक्षा दी जाती है जो अन्तर्निहित करता है कि बच्चे अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकित होंगे। उदाहरणार्थ यदि 9 वर्ष का बच्चा विद्यालय नहीं गया या पहले विद्यालय छोड़ चुके हैं, वे कक्षा 4 में नामांकित होंगे। कक्षा 4 में बने रहने के लिए 9 वर्ष के योग्य बनाने के लिए 'विशेष प्रशिक्षण/ब्रिज कोर्स' विद्यालय में प्रदान किये जायेंगे ताकि बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप लाया जाये।
- विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षाकक्ष एवं शिक्षक होने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 30 बच्चों पर एक शिक्षक का प्रावधान है।
- विद्यालयों में लड़कियों एंव लड़कों के लिए पृथक शौचालय होने चाहिए।
- विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितियों द्वारा व्यवस्थित होंगे।
- शिक्षा का अधिकार दोहराता है कि पहुँच केवल भौतिक पहुँच को नहीं दर्शाता बल्कि विद्यालय में बहिष्कारक कार्यों के द्वारा सामाजिक पहुँच को भी सुनिश्चित करता है, विशेषत जो जाति, वर्ग, लिंग एवं विशेष जरूरतों पर आधारित हैं।
- विद्यालय नक्शा कार्य, सामाजिक नक्शा कार्य के साथ संयुक्त होना चाहिए जिसका तात्पर्य है कि पिछड़े सामाजिक आर्थिक समूहों के बच्चे नामांकित होते हैं। समुदाय एवं अन्य सिविल संगठन ऐसे बच्चों की पहचान एवं उनके नामांकन में ममद करेंगे। सिविल सोसायटी संगठन एवं समुदाय का सम्मिलन सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों, गावों में रहने वाली असुरक्षित जनसंख्या, आबाद क्षेत्रों, अनाथालय एवं गलियों में रहने वाले बच्चों तक पहुँचने के लिए इच्छित है।

आप स्वीकार करेंगे कि विद्यालय से बाहर जो बच्चे रहे है उनकी पहचान करना आसान नहीं हैं, अन्तर एवं अन्तः प्रवजन के कारण यह एक मुश्किल कार्य है। बच्चों का एक झुंड गलियों में हैं जिनका जुड़ाव उनके परिवारों से हो भी सकता है नहीं भी। ऐसे बच्चों की पहचान एवं उनका नामांकन उपयुक्त आयु में कराना एक विशाल एवं जटिल कार्य है। ऐसे घरों के बारे में जहाँ बच्चे नही नामांकित हुए हैं या विद्यालय छोड़ चुके है समुदाय के सदस्य ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति को बता सकते हैं। कुछ गाँवों में समुदाय/स्वयं सहायता समूह इस उत्तरदायित्व को लेते हैं और बच्चों को विद्यालय भेजते हैं।

टिप्पणी

आप सहमत होंगे कि बिना लोगों के सहयोग एवं मालिकाना के शिक्षा के अधिकार एवं सर्व शिक्षा अभियान के लिए सफल होना संभव नहीं होगा।

प्रगति जाँच-2

नोट:- आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था?

 ....

 ....

 ....

2. सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है?

 ....

 ....

 ....

3. सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य गतिविधियाँ क्या है?

 ....

 ....

 ....

4. समुदाय की सहभागिता को बढ़ाने के लिए शिक्षा के अधिकार/सर्व शिक्षा अभिमान के अन्तर्गत कौन सी संरचनायें सृजित की जाती हैं?

 ....

 ....

 ....

4.3.2 शिक्षा का अधिकार/सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समुदाय की भागीदारी

सर्व शिक्षा अभियान बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को लागू करने के लिए एक वाहन है। जैसा कि ऊपर कहा गया है शिक्षा का अधिकार 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्यों के लिए अनिवार्य बनाता है। यह शिक्षा की योजना एवं व्यवस्थापन में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता की देखरेख करता है। शिक्षा के अधिकार को लागू करने में विभिन्न प्रकार की समुदाय आधारित संस्थायें जैसे अभिभावक शिक्षक संघ, माता शिक्षक संघ, ग्राम एवं नगरीय झुग्गी स्तरीय शिक्षा

टिप्पणी

समिति तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य शामिल रहे हैं। लगभग सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने ग्राम शिक्षा समिति/अभिभावक शिक्षक संघ/माता शिक्षक संघ/विद्यालय व्यवस्थापन समिति आदि का गठन कर लिया है।

4.3.3 समुदाय की भागीदारी का महत्व

आपने अवश्य देखा होगा कि जब समुदाय शिक्षा में रूचि लेता एवं शामिल होता है तब शिक्षा पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती है। बच्चा आसानी से सीखने में सक्षम है क्योंकि वह केवल पुस्तकों से नहीं सीखता है बल्कि अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़कर भी देखता है। समुदाय के सम्मिलन से स्थानीय लोगों द्वारा सामना किये जाने वाले समस्याओं को पहचानना आसान है। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारण करने में सहायता कर सकती है कि कहाँ नया विद्यालय खोला जाना जरूरी है, किन विद्यालयों को मरम्मत की जरूरत है। वे देख भी सकते हैं कि शिक्षक नियमित विद्यालय आ रहे हैं और उचित तरीके से पढ़ा रहे हैं। वे यह भी देख सकते हैं कि पर्याप्त कक्षाकक्ष उपलब्ध हैं और कक्षाकक्षों में अत्यधिक भीड़ नहीं है। समुदाय पर्यवेक्षण भी कर सकता है कि विद्यार्थियों को समय पर पुस्तकें दी गयी है तथा उन्हें मध्याहन भोजन नियमित दिया गया है। वे जानने के लिए दौरा कर सकते हैं और बच्चों के साथ खाते हैं कि अच्छी गुणवत्ता का भोजन दिया गया है। वे घरों का दौरा कर सकते हैं और बच्चों की पहचान कर सकते हैं जो विद्यालय नहीं आ रहें है। संक्षेप में हम कह सकते है कि बच्चों के नामांकन और शिक्षा में गुणवत्ता को सुधारने में समुदाय की भागीदारी बहुत लाभप्रद है।

जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि शिक्षा के अधिकार/सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सार्थकता तथा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सार्थक पाठ्यचर्या तथा अधिगम सामग्रियों को विकसित करने, पहुँच और आवरण को सुधारने, स्थानीय प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करने वाली समस्याओं को पहचानने, मालिकाना, स्थानीय उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी सुधारने, असहाय समूहों तक पहुँचने, अतिरिक्त संसाधनों को गतिशील बनाने तथा सांस्थानिक क्षमता को बनाने जैसे बहुत से उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक सक्षम रणनीति के रूप में विचारित होता है।

आप अवश्य जागरूक होंगे कि विविध शोध अध्ययनों ने उल्लिखित किया है कि ग्रामीण, गरीब, असहाय बच्चे, जो झुग्गियों में रहते हैं या तो वे कभी नामांकित नहीं हुए या यदि नामांकित हुए हैं तो विद्यालय छोड़ चुके हैं। अध्ययन यह भी दिखाता है कि यद्यपि ये बच्चे विद्यालय मे रहे किन्तु वे अधिक नहीं सीखे बढ़ती हुई स्वीकृति है कि लोगों की सहभागिता विशेषतः ग्रामीण गरीब एवं भूमिहीन श्रमिकों, शहरी सीमान्त समूहों जैसे झुग्गियों में तथा आबाद क्षेत्रों में रहने वाले, वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा औरतें शैक्षिक विकास कार्यक्रमों में अनिवार्य हैं। यदि ये समूह सम्मिलित हैं तो वे अपनी समस्याओं का वर्णन कर सकते हैं तथा उपयुक्त समाधान सुझा सकते हैं। राज्य उपयुक्त हस्तक्षेप कर सकते हैं।

संक्षेप में हम कह कहते हैं कि शैक्षिक गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी निम्नलिखित तरीकों में लाभदायक है

टिप्पणी

- यह शैक्षिक प्रणाली को समर्थ बनाने में अपेक्षित वित्तीय, मानवीय एव भौतिक संसाधनां की गतिशीलता को बढ़ाने में सहायता करता है।
- यह सभी वर्गो विशेषत: कमजोर वर्गो की शिक्षा की जरूरतों, समस्याओं, आंकाक्षाओं एवं रूचियों को अपनाने में आसान होता है।
- शैक्षिक सुधारो में समुदाय को सम्मिलित रखने के लिए भागीदारी अनिवार्य है। पहल को प्रेरित करने में यह एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है।
- समुदाय की भागीदारी शिक्षकों को सजग एवं उत्तरदायी रखेगी।

प्रगति जाँच-3

नोट:- आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. शिक्षा में समुदाय की भागीदारी के अभिप्राय का वर्णन करें।

....

....

....

4.3.4 शिक्षा में समुदाय का योगदान

शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान समुदाय के समर्थन से लागू होना चाहिए तथा यह विश्वास किया जाता है कि समुदाय वित्तीय समर्थन के साथ-साथ शैक्षिक एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान कर विभिन्न तरीकों से योगदान कर सकता है। यह एक रखवाले कुत्ते के जैसे कार्य कर सकता है तथा विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों एवं शिक्षकों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने में सहायता कर सकता है।

अब हम विचार विमर्श करेंगे कि समुदाय किस प्रकार योगदान कर सकता है।

समुदाय एक रखवाले कुत्ते/दबाव समूह के रूप में

समुदाय विद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक आदि के कार्यो का पर्यवेक्षण कर सकता है। निम्नलिखित उदाहरण आपको दिखायेगा कि समुदाय कैसे एक मुख्य अध्यापक के स्थानान्तरण को रोकने के लिए दबाव डालता है।

केस अध्ययन-2 समुदाय एक दबाव समूह के रूप में

हरियाणा के जिंद जिले के धमतन साहिब गाँव में समुदाय की भागीदारी के प्रभाव को दृढ़ता पूर्वक देखा गया था। विद्यालय समुदाय के जुड़ावों की प्रेरणा के पीछे विद्यालय की मुख्य अध्यापिका श्रीमती ज्योति श्ओिकांड के अथक प्रयास रहते है। नामांकन अभियानों, नियमित SMC सभाओं आदि की व्यवस्था कर मुख्य अध्यापिका ने समुदाय को नेतृत्व प्रदान किया है।

टिप्पणी

विद्यालय के नियमित दौरा से समुदाय ने शिक्षकों की अनुपस्थिति के निरीक्षण के लिए रखवाले कुत्ते की भूमिका भी निभाया है। इसके परिणाम स्वरूप विद्यालय के नामांकन में अद्भुत वृद्धि हुई। मुख्य अध्यापिका की पहल पर समुदाय ने गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के लिए पारा शिक्षकों की व्यवस्था की और उनके वेतन का भुगतान गाँव की पंचायत द्वारा किया गया था। समुदाय की नई गतिशीलता से गाँव के निजी विद्यालय बुरी तरह से प्रभावित हुए क्योंकि गाँव के सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में कराना शुरू कर दिया। अपनी राजनीतिक पहुँच की सहायता से निजी विद्यालय के व्यवस्थापन ने प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण दूरस्थ क्षेत्र में करा दिया। किन्तु समुदाय के नेताओं ने स्थानीय विधायक पर दबाव डाला और स्थानान्तरण को निरस्त कर दिया। इस प्रकार ऐसे कुछ उदाहरण विद्यालय की शैक्षिक समस्याओं को हल करने में समाज की भूमिका को रेखांकित करते हैं। श्री कमलेश (Ph.D. छात्र) द्वारा क्षेत्र अवलोकन।

समुदाय एक संसाधन के रूप में

आपने अवश्य अवलोकित किया होगा कि अभिभावक प्राय: अपने बच्चों की शिक्षा से संबद्ध होते हैं तथा प्राय सहायता प्रदान करने की इच्छा रखते हैं जो कि शिक्षा को सुधार सके। ऐसे स्थानों में जहाँ अनुपस्थिति और खराब निष्पादन विवेचनात्मक मुद्दे हैं, वहाँ अभिभावक और समुदाय के सदस्य शिक्षकों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली के अंग हो सकते हैं। समुदाय सुनिश्चित कर सकता है कि शिक्षक समय पर कक्षाकक्ष में पहुँचे एवं प्रभावी ढंग से कक्षाकक्ष में निष्पादन करें।

यह भी देखा गया है कि यदि जरूरत होती है तो अभिभावक भी आते है और पढ़ाते हैं या एक साधन सेवी के रूप में कार्य करते हैं। वे शिक्षा प्रदान करने के एक केन्द्रिक अभिकर्त्ता हो सकते है। अभिभावक बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान एवं कौशलों को दे सकते है।

निम्नलिखित उदाहरण आपकी समझ को बेहतर बनायेगा कि कैसे समुदाय के सदस्य योगदान दे सकते हैं।

केस अध्ययन-3 व्यावहारिक कौशल प्रदान करने में समुदाय उपयोगी है

कुछ विद्यालयों में साइकिल की यान्त्रिकी एवं कार्यप्रणाली की समझ को एक गतिविधि के रूप में रखा गया था। यद्यपि लगभग सभी शिक्षक साइकिल का प्रयोग करते थे किन्तु उनमें से कोई भी इसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या नहीं कर सका। साइकिल सुधारक को एक साधन सेवी के रूप में कार्य करने के लिए बुलाया गया था। उसने साइकिल के अंगों एवं उसके कार्यों को निरूपित किया तथा इस प्रक्रिया में वह शिक्षकों का शिक्षक हो गया। इस प्रयोग अन्य विद्यालयों में दुहराया गया था। यह माना गया था कि बच्चों को विविध अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए अभिभावक एक उपयोगी संसाधन हो सकते हैं।

4.3.5 प्रासंगिक पाठचर्या एव अधिगम सामग्री विकसित करना

आपने ध्यान दिया होगा कि जब अभिभावक एवं समुदाय पाठचर्या के विकास में शामिल होते

टिप्पणी

हैं तो वही पाठचर्या आसान एवं रूचिकर होता है। समुदायों एवं अभिभावकों की भागीदारी पाठचर्या एवं अधिगम सामग्रियों को सूत्रबद्ध करने में सहायता करती है जो कि समाज में बच्चों के दैनिक जीवन को प्रदर्शित करता है। जब बच्चे उन पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं तो वे आसानी से संबद्ध कर सकते है कि वे क्या सीख रहे हैं और वे पहले क्या सीख चुके हैं। निम्नलिखित उदाहरण स्पष्टत: दिखाता है कि अभिभावक एवं समुदाय के सदस्य व्यावहारिक कौशलों के निर्माण एवं संप्रेषण में सम्मिलित थे।

केस अध्ययन-4 अभिभावकों द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण

महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के भेंडा़ (वरोरा), घोड़ खिन्डी (यवतमाल) में बाल विज्ञान उत्सव आयोजित किया गया था। उत्सव के आयोजन में अभिभावकों ने सहायता किया था। माताओं ने अधिक उत्साह दिखाया था। उन्होंने अपनी पेन्टिंग, मृदा कला, नक्काशी आदि कौशलों को प्रदर्शित किया था तथा उसी समय वे उन सभी बच्चों को पढ़ा सकती थी। जबकि मातायें भागीदारी से आनंदित थी, शिक्षकों ने समुदाय के सहभागिता की शक्ति को स्वीकार किया। शिक्षकों ने बच्चों के लिए गतिविधि आधारित पाठ तैयार किये।

जब फसल एवं कृषि के बारे में सीखने का समय आया, शिक्षकों ने अनुभव किया कि पाठ्यपुस्तकों में दी गई सूचना अपर्याप्त थी। यह अनुभूत किया गया था कि उस क्षेत्र में कृषि की शैली पाठ्यपुस्तक में वर्णित कृषि से भिन्न थी। अत: उन्होंने कृषक अभिभावकों की सहायता लेने का निर्णय लिया। कुछ शिक्षकों ने अपने कक्षाकक्षों के लिए कृषक-अभिभावकों को आमंत्रित किया तथा कुछ ने अभिभावकों के कृषि फार्मों का दौरा व्यवस्थित किया। दोनों केसों में विद्यार्थियों ने कृषक-अभिभावकों से साक्षात्कार किया और वास्तविक अवलोकनों के द्वारा उनसे सीखा। शिक्षकों ने फायदों को स्वीकार किया क्योंकि यह जीवनानुभवों से संबद्ध था एवं बच्चे के पर्यावरण पर केन्द्रित था। अभिभावकों ने बच्चों एवं विद्यालय के साथ अंत:-क्रिया का एक अवसर प्राप्त किया।

4.3.6 समस्याओं को पहचानना एवं संबोधित करना

समुदाय पहचानने में सहायता कर सकते हैं एवं कारण दे सकते हैं जो शैक्षिक समस्याओं में योगदान दे सकते हैं जैसे- कम नामांकन, विद्यालय छोड़ना एवं बच्चों का खराब शैक्षिक निष्पादन। बहुत से क्षेत्रों में अभिभावक एवं समुदाय विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को पहचानने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं एवं नामांकन कराने में उनकी सहायता कर रहे हैं।

प्रगति जाँच-4

नोट:- आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. विभिन्न तरीकों का उदाहरण के साथ व्याख्या करें जिससे समुदाय योगदान कर सकता है।

....

....

टिप्पणी

....

2. क्या आप सोचते हैं कि पाठ्यचर्या के निर्माण में अभिभावक एवं समुदाय शामिल होने चाहिए?

....

....

....

4.4 समुदाय की भागीदारी शिक्षा को कैसे सुधार सकती है?

समुदाय की भागीदारी एक अन्तर पैदा करती है और शिक्षा की व्यवस्था को सुधार सकती है जो निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है।

केस अध्ययन-5 समुदाय संसाधनों को गतिशील करता है।

चित्र दुर्ग जिले के मोल्कला मुरू तालुक के कोण्डलहली के ए.के कॉलोनी का विद्यालय सीमान्त समुदायों के बच्चों को भोजन प्रदान करता है जो गाँव की जनसंख्या में समाविष्ट है। यह राज्य में आधारभूत सुविधाओं के अभाव वाले अन्य सरकारी विद्यालयों के समान था, जिसमें बच्चों की अधिक संख्या, अपर्याप्त कक्षाकक्ष, खेल के मैदान का अभाव एवं बीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों का दर अधिक था। विद्यालय समिति के सदस्य पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् तत्काल कार्य पर चले गये। वे जिला पंचायत से मिले और उनके विद्यालय के लिए अपने विचार प्रस्तुत किये। फल स्वरूप बाद की कार्यवाही के लिए जिला पंचायत ने 24,000 रूपये दिये और विद्यालय का मरम्मत हो गया। तत्पश्चात् वे अपना केस तालुक पंचायत के पास अधिक कक्षाकक्षों की जरूरत के लिए ले गये। इस केस में भी एक कमरा सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बनवाया गया था। विद्यालय समिति ने समुदाय को गतिशील किया तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये 5,000 रूपये से एक पानी का टैंक बनवाया। आगे का धन समुदाय के अन्दर से विद्यालय में शौचालय बनवाने के लिए आया। विद्यालय समिति ने भी विद्यालय छोड़ चुके बच्चों के पुनः नामांकन की जरूरत को स्वीकार किया और बच्चों को वापस विद्यालय लाने में सफल हुई। (प्रजायातना से एक अनुभव, कर्नाटक के दयाराम में स्थित प्रारंभिक शिक्षा पर नागरिकों की पहल विद्यालय प्रबंधन समिति एवं शिक्षा का अधिकार कानून, 2009)

ऊपर दिये गये उदाहरणों से आपने एक समझ बनाई कि कैसे समुदाय की भागीदारी ने विविध चैनलों के माध्यम से शिक्षा में योगदान दिया। तरीकों की एक सूची निम्नलिखित है जिसके माध्यम से समुदाय शिक्षा में योगदान दे सकते हैं विशेषत: जैसा कि शिक्षा के अधिकार में देखा गया और सर्व शिक्षा अभियान के माध्याम से लागू किया गया।

- विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को पहचानने में सहायता।

टिप्पणी

- सभी बच्चों को नामांकित कराने में प्रणाली को सभी विद्यालयों के लिए बनाये रखना।
- नामांकन एवं शैक्षिक लाभों के लिए अभियान चलाना।
- विद्यालयों के लिए धन उगाहना।
- विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करना।
- विद्यालय सुविधाओं को बनाना, मरम्मत करना एवं सुधारना।
- शिक्षकों की भर्ती करना एवं समर्थन देना।
- विद्यालय की अवस्थिति एवं अनुसूचियों के बारे में निर्णय लेना।
- शिक्षक की उपस्थिति एवं निष्पादन का निरीक्षण एवं अनुकरण करना।
- विद्यालयों को व्यवस्थित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को बनाना।
- बच्चों की अधिगम प्रक्रिया एवं कक्षाकक्ष व्यवहार के बारे में सीखने के लिए विद्यालय सभाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित होना।
- कौशल निर्देश एवं स्थानीय संस्कृति की सूचना प्रदान करना।
- लड़कियों की शिक्षा की वकालत करना एवं प्रोन्नत करना।
- विद्यालय कैलेण्डरों को अनुसूचित करना।
- विद्यालयों के संचालन के लिए बजट का रख-रखाव करना।
- प्रखण्ड, जिला एवं विद्यालय के बीच जुड़ाव स्थापित करना।

प्रगति जाँच-5

नोट:- आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. शिक्षा के अधिकार में रखे गये गतिविधियों के प्रकार का उल्लेख उदाहरण के साथ करें जिनमें समुदाय सम्मिलित रहता है।

 ....

 ....

 ....

2. महाराष्ट्र में समुदाय ने शिक्षा में कैसे योगदान दिया? भारत के अन्य राज्यों के बारे में इसी प्रकार की सूचना एकत्र करें।

 ....

 ....

 ....

समुदाय की सहभागिता के सार्थक क्षेत्र

सर्वशिक्षा अभियान/शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत समुदाय की भागीदारी की औपचारिक संरचनायें

जैसा कि आप जानते है भारत विविधताओं का देश है तथा प्रत्येक राज्य ने ग्राम शिक्षा समिति एवं विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया है एवं उनको भिन्न नाम दिये हैं। किन्तु इन समितियों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व प्रकृति में समान हैं। इन समितियों की संरचना एवं कार्यो पर नीचे चर्चा की गयी है।

4.5 ग्राम शिक्षा समितियाँ

बचे हुए बच्चों एवं विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की पहचान करने में ग्राम शिक्षा समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर एक विद्यालय पंजिका तैयार की गई है। विद्यालय पंजिका विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या बताता है और फिर उन्हें विद्यालयी सुविधायें दी जाती हैं।

विद्यालय शिक्षा समितियों के निष्पादन हेतु प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:-

- प्रारंभिक शिक्षा के प्रति समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नामांकन अभियान, सामान्य जागरूकता अभियान, बाल मेला, माँ-बेटी मेला एवं किशोरी मेला जैसी गतिविधि यों का आयोजन करना।
- ग्राम शिक्षा समिति संरचना गतिविधियों में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह सामग्रियों के खरीद का देखभाल करती है साथ-ही-साथ कार्य का पर्यवेक्षण भी करती है।
- नामांकन, उपस्थिति, बच्चों के स्मरण एवं अधिगम स्तर को समृद्ध करने का नियमित निरीक्षण करती है।
- यह स्टॉक रजिस्टर एवं कैश बुक का रख-रखाव करती है। विद्यालय की जरूरतों एवं प्राथमिकता के अनुसार यह रख-रखाव के लिए आवंटित धन का पर्यवेक्षण भी करती है।

टिप्पणी

- जम्मू एवं कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में ग्राम शिक्षा समितियाँ पारा-शिक्षकों की नियुक्ति में शामिल हैं। ग्राम शिक्षा समितियाँ शिक्षकों की गतिविधियों का निरीक्षण भी करती हैं एवं उनका नियमितीकरण ग्राम शिक्षा समितियों के सुझाव पर होता है।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं शिक्षकों की अनुपस्थिति की जाँच करती है।
- विद्यालय के भवन का रख-रखाव करती है।
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अधिवास/विद्यालय स्तरीय वार्षिक कार्य योजना को तैयार करना एवं लागू करना जिसे सूक्ष्म योजना कहा जाता है।
- विद्यालय के सम्पूर्ण विकास के लिए नकद/वस्तु/श्रम दान करन के लिए समुदाय को प्रेरित करना।

केस अध्ययन-6 उत्तर प्रदेश में ग्राम शिक्षा समिति

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम शिक्षा समिति अनवार्य है। पंचायत में सभी प्राथमिक एवं कनिष्ठ सरकारी विद्यालयों के लिए एक ग्राम शिक्षा समिति है। ग्राम शिक्षा समिति में पाँच (5) सदस्य हैं। इसके प्रमुख हैं ग्राम-प्रधान (जो ग्राम सरकार चयनित प्रधान हैं)। अन्य सदस्यों में विद्यालयों में से सबसे वरिष्ठ मुख्य अध्यापक एवं इन विद्यालयों के बच्चों के तीन अभिभावक शामिल होते हैं। प्रधान एवं मुख्य अध्यापक संयुक्त रूप से विद्यालय के खाता का संचालन करते हैं। विद्यालय के खाते में पुनर्निर्माण एवं रख-रखाव, विद्यालय विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यालय पोशाक के लिए धन, विद्यालय भवन, कमरे, शौचालय, पेयजल जैसे सिविल कार्यों के लिए एवं संविदा शिक्षक के वेतन के लिए वार्षिक कोष आता है। ग्राम शिक्षा समिति से उम्मीद की जाती है कि वो विद्यालय के खाते में आने वाले कोषों एवं ग्राम पंचायत के खाते में आने वाले कोबों का प्रबंधन एवं निरीक्षण करे, कोषों के उपयोग का निर्धारण एवं इन कोषों के उपयोग के लिए सहमति प्रदान करे, यदि सिविल कार्य अपेक्षित हैं तो उनके लिए अतिरिक्त कोष का आग्रह करे. खातों का रिकार्ड रखें, एवं संविदा शिक्षकों का चयन करें (जिन्हें शिक्षा मित्र कहा जाता है)। संविदा 10 महीने के लिए होता है तथा ग्राम शिक्षा समिति निर्णय लेती है कि संविदा का अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण करना है या नहीं। दो तिहाई बहुमत के साथ ग्राम शिक्षा समिति संविदा शिक्षक को संविदा के दौरान किसी भी समय हटा सकती है।

टिप्पणी

उपर्युक्त तस्वीर में क्या हो रहा है? क्या आप वर्णन कर सकते हैं कि किस प्रकार की सभा हो रही है? तस्वीर-1 ग्राम शिक्षा समितियों का गठन एवं भूमिका

केस अध्ययन-7 ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों पर प्रकाश

नरवाना जिला जिंद, हरियाणा में नये गठित SMC के कार्यों ने इन औपचारिक संरचनाओं के कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं। शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार SMC के गठन को विद्यालय प्राधिकार ने अनुमोदित किया। SMC के गठन के लिए आयोजित सभाओं के रिकार्डो को विद्यालय प्राधिकार ने रखा था। किन्तु सदस्यों जिनके हस्ताक्षर एवं अंगुठे के निशान (अशिक्षित के मामले) विद्यालय रिकार्ड में उपस्थित थे, ने ऐसी सभाओं में उपस्थित होने से इंकार कर दिया। उन्होंने बातया कि विद्यालय के अध्यापक

टिप्पणी

ने उनके हस्ताक्षरों के लिए घर-घर का दौरा किया था। साक्षात्कार लिये गये अभिभावकों में से कोई भी SMC के गठन के उद्देश्यों को नहीं जानता था। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र में लैंगिक आयाम भी बहुत दृश्य थे। स्थानीय सत्ता की प्रतिनिधि (निगम समिति के सदस्य) एक महिला थी तथा उनके सभी कार्य उनके पति द्वारा निष्पादित किये जाते थे। वह भी SMC के गठन के बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ थी (तथ्य के बावजूद कि उनके हस्ताक्षर वहाँ थे) उन्होंने सहजता से जवाब दिया–''मेरे पति से पूछ लो बता देंगे। मैं तो बस हस्ताक्षर कर सकती हूँ।'' इस प्रकार की समितियों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? कमलेश नरवाना (Phd. विद्यार्थी, ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र, JNU) द्वारा वर्णित।

प्रगति जाँच-6

नोट:- आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों का वर्णन करें।

 ....

 ....

 ....

2. पता लगायें कि क्या आपके गाँव/वार्ड में ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति गठित की गई है?

 ....

 ....

 ....

क्रियाकलाप-1

1. ग्राम शिक्षा समिति की सभा का दौरा एवं प्रेक्षण करें।
2. आपके क्षेत्र में सभायें कितनी जल्दी-जल्दी होती हैं?
3. रजिस्टर देखें और प्रेक्षण करें कि सभा में लिये गये निर्णय कार्यान्वित हुए है?

4.6 विद्यालय प्रबंधन समितियाँ (SMC) / अभिभावक-शिक्षक संघ

कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने शिक्षा में समुदाय के मालिकाना एवं भागीदारी को सुनिश्चिय करने के लिए प्रत्येक सरकारी विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की

टिप्पणी

प्रणाली को प्रस्तुत किया है जिसे विद्यालय विकास एवं निरीक्षण समिति (SDMC)/ अभिभावक-शिक्षक संघ के रूप में जाना जाता है।

SMC का गठन:-

शिक्षा का अधिकार कहता है कि SMC के तीन चौथाई सदस्य (75%) अभिभावकों में से होंगे। उनमें से 50% औरते होंगी। कमजोर वर्गो का SMC में प्रतिनिधित्व गाँव/वार्ड में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा।

शेष एक चौथाई (25%) प्रतिनिधित्व इस प्रकार होगा (1/3 स्थानीय सत्ता, 1/3 विद्यालय के शिक्षक, 1/3 विद्यार्थी)।

शिक्षा के अधिकार में वर्णित SMC की सार्थक शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं:-

4.6.1 SMC/PTA के मुख्य कार्य

- शिक्षा के अधिकार के निर्देशानुसार विद्यालय विकास योजना बनाना।
- विद्यालय विकास योजना का पर्यवेक्षण एवं कार्यान्वयन को समर्थन देना।
- वित्त, प्रबंधन, शैक्षिक प्रगति का पर्यवेक्षण/निरीक्षण।
- शिक्षकों की नियमित उपस्थिति एवं समयनिष्ठा सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के मुख्य अध्यापकों को प्रतिबंधित एवं आकस्मिक छुट्टी प्रदान करना।
- अनुपयोगी उपकरणों, फर्नीचरों को नीलाम करना एवं धन को विद्यालय के शिक्षा कोष में देना।
- विद्यालय की भूमि में उपजी हुई फसलों की नियमित नीलामी एंव धन को विद्यालय के शिक्षा कोष में देना।
- नामांकन को गतिशील करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना एवं बच्चों को वापस विद्यालय लाने के लिए बृज कोर्स चलाना।
- संरचना की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।
- सुनिश्चित करना कि अभिभावक नामांकन करायें एवं सभी बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें।
- विद्यालय की शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों के सभी विकास का पर्यवेक्षण एवं पुनरावलोकन करना।
- सुनिश्चित करना कि सरकार के सभी पहल विद्यार्थियों तक पहुँचे।
- उपलब्ध कोषों का उचित रखरखाव एवं सामान्य लोगों के साथ इसके वितरण एवं उपयोगिता को साझा करना।
- विभिन्न विषयों में बच्चों की उपलब्धियों की वृद्धि का निरीक्षण करना।

टिप्पणी

- एक शैक्षिक डाटाबेस सृजित करना एवं बनाये रखना।

नीचे दिया गया एक उदाहरण बताता है कि कैसे SMC के सदस्य बिजली के कनेक्शन के मरम्मत के लिए माँग रखते हैं।

केस अध्ययन-8 SMC अभियान, नुआपाडा, उड़िसा

बोडेन प्रखण्ड के कमलामल विद्यालय में बच्चे और शिक्षकों ने छोटे झटके अनुभव किये थे क्योंकि 1100 kv का तार ट्रांसफार्मर से जुड़ा था। जो विद्यालय की चारदीवारी में स्थित था। विद्यालय विकास योजना के प्रशिक्षण ने SMC के सदस्यों की सहायता उनकी माँग को प्रभावी ढंग से कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में की। SMC ने माँग को नियमित रूप से आगे बढ़ाया एवं सुनिश्चित किया कि कार्यवाही एक महीने के अन्दर हो। जिला अधिकारी ने मामले को देखने के लिए इंजिनीयर नियुक्त किया एवं ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए 100,000रु. आवंटित किया। -दयाराम

प्रगति जाँच-7

नोटः- आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. SMC के कार्यों का वर्णन करें।

....

....

....

2. यदि आपके पड़ोस के विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ गठित किया गया है तो उसका पता लगायें।

....

....

....

3. क्या ये SMC/PTA सभायें करते हैं? यदि हाँ तो 1 वर्ष में कितनी? विद्यालयों का रजिस्टर देखें एवं नोट करें कि अंतिम तीन महीनों में कितनी सभायें आयोजित की गई थी?

....

....

....

टिप्पणी

4.7 राज्यों में समुदाय की भागीदारी के प्रति पहल

राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए समुदाय द्वारा किये गये पहलों के उदाहरण, गतिविधियों के प्रकार की आपकी समझ को सुधारने के लिए नीचे दिये गये हैं जिसमें समुदाय सम्मिलित है।

आंध्र प्रदेश:-

- लड़कियों की जरूरतों का प्रबन्ध करने के लिए बाल मित्र केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। शिक्षकों के चयन, केन्द्रों के निरीक्षण एवं शिक्षकों के वेतन में योगदान में अभिभावक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आसाम

- जरूरत के अनुरूप शिक्षकों को प्रतिस्थापित करना।
- विकलांग बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय में उनके नामांकन के लिए प्रेरित करना।
- विद्यालय के विकास के लिए कोष को गतिशील करना।

बिहार

- नियमित उपस्थिति के लिए विद्यार्थियों को पहल, भत्ता का आवंटन एंव पर्यवेक्षण
- लागत प्रभावी तकनीक पर आधारित संरचना कार्य।

दादर एवं नागर हवेली:-

- पेयजल सुविधा का प्रावधान
- शाला प्रवेश उत्सव (नामांकन अभियान)

गुजरात:-

- प्रारंभिक शिशु देखरेख केन्द्र सखी, सहयोगिनी एवं आंगनाबाड़ी की समितियों के द्वारा चलाई जा रही एवं व्यवस्थित हो रही हैं। ये समुदाय केन्द्रों का निरीक्षण करते हैं एवं स्थानीय संसाधनों को नकद एवं वस्तुओं में गतिशील करते हैं।
- आसन पट्टा (बैठने के लिए दरियाँ), पुस्तकें, कापियाँ, पेन-पेन्सिल जैसी शैक्षिक सामग्रियाँ एवं बच्चों को वैकल्पिक विद्यालयी प्रणाली में नमकीन देना।

हरियाणा:-

- बच्चों की उपस्थिति एवं शिक्षकों की नियमितता का निरीक्षण समुदाय द्वारा किया जाता है।
- जरूरतमंद तक पहल पहुँचे का भी पर्यवेक्षण समुदाय द्वारा किया जाता है।

टिप्पणी

हिमाचल प्रदेश:-

- मध्याह्न भोजन का नियमित वितरण एवं गुणवत्ता का निरीक्षण समुदाय द्वारा किया जाता है।

झारखण्ड:-

- ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति, रचना कार्य, लड़कियों का नामांकन, विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों का अनुमान, शिक्षक की नियुक्ति आदि कार्य करती है।
- बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों की समस्याओं एवं प्रगति का निरीक्षण करने के लिए नियमित तौर पर अभिभावक-शिक्षक संघ का आयोजन होता है।
- आम सभा के त्रैमासिक आयोजन द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षण।
- विद्यालय को सहजता से चलाने के लिए नियमित शिक्षकों की अनुपस्थिति में स्थानीय शिक्षकों के द्वारा प्रतिस्थापन।
- विद्यार्थियों के बीच अंत:क्रिया को प्रोन्नत करने के लिए 'चाइल्ड कैबिनेट' की स्थापना।
- विद्यालयों में नामांकन के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान।

कर्नाटक:-

- प्रारंभिक स्थापना एवं स्वयं सेवियों के प्रशिक्षण के अलावा महिला समाख्या से बिना वित्तीय सहायता के संघ बलवाड़ी चला रहे हैं। औरतों वाले ये संघ प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

मध्य प्रदेश:-

- जन शिक्षा अधिनियम कानून 2002 शिक्षा में गुणवत्ता एवं समानता लाने के लिए समुदाय को केन्द्र में लाता है।
- ग्राम शिक्षा पंजिका का नवीकरण।
- गैर आवासीय ब्रिज कोर्स, शहरी झुग्गियों में मानव विकास केन्द्र एवं शिशु शिक्षा केन्द्रों के लिए स्वयंसेवियों की नियुक्ति करना।

मणिपुर:-

- EGS/AIE केन्द्रों में शिक्षा स्वयं सेवियों की नियुक्ति

मिजोरम:-

- अधिवास योजना तैयार करना।
- ग्राम शिक्षा पंजिका रखना।

टिप्पणी

नागालैण्ड:-

- 'कार्य नहीं वेतन नहीं' सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए शिक्षकों के वेतन का वितरण।

उड़ीसा:-

- विद्यालयों में नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावकों को संघटित करना।
- लड़कियों के नामांकन के लिए पहल।
- विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की पहचान एवं उनका नामांकन।
- विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के मामले में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति।

राजस्थान

- बच्चों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण समुदाय द्वारा किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिक्षकों द्वारा बच्चों के लिए तैयार किये गये ट्रैकिंग रजिस्टर का निरीक्षण किया जाता है।
- जयपुर जिला के भुटेडा ग्राम पंचायत में विद्यालय में एक भी शौचालय नहीं बना था किन्तु प्रखण्ड अधिकारियों के रिकार्ड में बना दिखाया गया था। निरीक्षण समिति ने मुद्दे को उठाया और इसमें सुधार किया गया था।
- भुटेडा में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय के सदस्यों की शिकायत के आधार पर दो शिक्षकों को विद्यालय से हटा दिया गया था क्योंकि वे अनियमित थे।

पश्चिम बंगाल

- पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उनके न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत बच्चों के लिए शैक्षिक योजनाओं का विकास।
- 6-14 वर्षो की आयु समूह के बच्चों के लिए सूक्ष्म स्तरीय डाटाबेस का रख रखाव।
- खातों का रख रखाव (वाउचर, कैश बुक, रिपोर्ट आदि)।

प्रगति जाँच-8

नोट:- आपके जवाब के लिए स्थान नीचे दिया गया है।

1. गतिविधियों की एक सूची बनाइये जिसमें भारत भर के राज्यों के समुदाय शामिल हैं।

 ....

 ....

 ....

टिप्पणी

2. अपने क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए समुदाय की सहभागिता का पता लगाने की कोशिश करें।

....

....

....

3. क्षेत्रों को सूचित करें जहाँ समुदाय की भागीदारी इच्छित है।

....

....

....

4.8 सारांश

इस खण्ड में आपने सीखा कि कैसे समुदाय की भागीदारी शिक्षा को जोड़ते हुए किसी भी विकास कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। समुदाय का मालिकाना समुदाय की स्थानीय समस्याओं को पहचानने में सहायता करता है। समुदाय उपयुक्त रणनीतियों का सुझाव भी देता है और नियोजन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के द्वारा शैक्षिक समस्याओं के लिए व्यवहार्य समाधान देता है। पाठ को पढ़ने के पश्चात् आपने अवश्य नोटिस किया होगा कि विशेष रूप से सर्व शिक्षा अभियान के लाँच होने के बाद भारत में शिक्षा में समुदाय की भागीदारी किस प्रकार से बढ़ी है। सर्व शिक्षा अभियान ने विद्यालय स्तर पर विविध संरचनायें सृजित की हैं जैसे- विद्यालय प्रबंधन समिति/अभिभावक-शिक्षक संघ जो गतिविधियाँ एवं विद्यालयों के कार्यो का निरीक्षण करती है। गाँव एवं निगम स्तर भी ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड स्तरीय समिति जैसी संरचनाये हैं जो शिक्षा की योजना एवं प्रबंधन में लगी है। इन समितियों का अभिभावकों एवं समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ नजदीकी जुड़ाव है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून ने भी शिक्षा में समुदाय की बड़ी हुई भागीदारी पर प्रकाश डाला है। कानून स्पष्टत: कहता है कि समुदाय का विद्यालयों की योजना, प्रबंधन, निरीक्षण एवं कार्य प्रणाली में सक्रिय भूमिका है। शिक्षकों एवं प्रशासकों को शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए समुदाय के साथ निकट सहयोग से कार्य करने की जरूरत है।

4.9 प्रगति जाँच के उत्तर

प्रगति जाँच-1

1. औपचारिक एवं अनौपचारिक
2. अनौपचारिक

टिप्पणी

3. औपचारिक

4. गतिविधि

प्रगति जाँच-2

1. 2001

2. SSA का उद्देश्य है शिक्षा में पहुँच, भागीदारी एवं गुणवत्ता को सुधारते हुए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। यह लैगिक एवं सामाजिक विषमताओं को घटाने पर केन्द्रित करता है।

3. कार्यक्रम नये विद्यालय खोलने एवं पुराने विद्यालयों को प्रोन्नत करना चाहता है, अतिरिक्त कक्षाकक्ष बनाना चाहता है, अतिरिक्त शिक्षक भर्ती करता है एवं बच्चों की भागीदारी को सुधारने के लिए मध्याहन भोजन, पाठ्य पुस्तकों जैसी पहलों को प्रदान करता है। गुणवत्ता सुधारने के लिए यह अन्त सेवी शिक्षक प्रशिक्षण के प्रावधान पर प्रकाश डालता है।

4. विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति/अभिभावक-शिक्षक संघ प्रस्तावित हैं। गाँव एवं निगम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड स्तरीय शिक्षा समिति प्रस्तावित है।

5. शिक्षा का अधिकार - सन्दर्भ 4.3.1

प्रगति जाँच-3

1. समुदाय की भागीदारी का अभिप्राय-सन्दर्भ 4.3.3

प्रगति जाँच-4

1. समुदाय एक दबाव समूह के रूप में कार्य कर सकता है, शैक्षिक समस्याओं को पहचान एवं संबोधित कर सकता है जैसे- नामांकन न होने, विद्यालय बीच में छोड़ने के निम्न दर के लिए कारण ढूढ़ना आदि। यह सार्थक पाठ्यचर्या एवं अधिगम सामग्री तथा वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों के संघटन में सहायक हो सकता है। - सन्दर्भ 4.3.4

2. समुदाय की गतिविधियाँ-सन्दर्भ - 1.4

प्रगति जाँच-6

1. ग्राम शिक्षा समितियों के कार्य-सन्दर्भ 4.5

प्रगति जाँच-7

1. विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य-सन्दर्भ 4.6.1

प्रगति जाँच-8

1. समुदाय की गतिविधियों की सूची

   मेला आयोजित करना/जागरूकता के लिए अभियान चलाना, नामांकन अभियान चलाना, विशेष जरूरत वाले बच्चों की पहचान करना, बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना, निर्माण गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना, शौचालय एवं पेयजल का प्रावधान करना, विद्यालय जाने वाले बच्चों, उपलब्ध विद्यालयों की संख्या एवं कितने और विद्यालय एवं शिक्षक अपेक्षित है के बारे में सूचना देने के लिए अधिवास योजना तैयार करना, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति का निरीक्षण करना, पाठ्य पुस्तक एवं पोशाक वितरण, मध्याह्न भोजन योजना जैसी पहलों का निरीक्षण करना, खातों का रख-रखाव, ब्रिज कोर्स के लिए स्वयंसेवियों की नियुक्ति आदि।

4.9 सन्दर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

Bjork, christopher ed (2006) Educational Decentralisation: Asian Experiences and conceptual contributions, springer, netherland.

Darak G. Krshor (2008) प्रारंभिक शिक्षा में संसाधन के रूप में समुदाय की भागीदारी, समुदाय एवं विद्यालय के जुड़ाव सिद्धान्त एवं अभ्यास पर राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत शोध पत्र (मार्च 17-19ए2008) NUEPA, New Delhi.

Dayaram (2011) School Management Committee and the Right to Education Act 2009 - Resource material for SMC training, American Indian foundation.

Gaysn R. Arvind (2008) Locating community in school Education: Emerging

Perspectives and Proctices to Empowered Participatony Governance, Paper Presented at National Seminar on Community and School linkages: Principles and Paractices (March 17-19, 2008) NUEPA New Delhi.

Government of India (undated) sarva Shiksha Abhiyan-Framework for Implementation. Ministry of HRD, Department of Elemen by Education and literacy, New Delhi.

Govinda R R Diwan Rashmi (2003) community Participation and Empowerment in primary education, sage Publications, New Delhi

Grant A carl (1979) community Participation in Education, Allyn and Bacon, USA Jayram N (2008) - School-community Relation in India : Some Theoretical and Methodological Considerations, paper presented at National Seminor on Community and School linlcages: Principles and Practices (March 17-19, 2000) NUEPA, New Delhi Kantha V. Vinay & Daisy Narain (2003) Dynamics of community Mobilisation in Govinda R and Diwan

टिप्पणी

Rashmi Community Participation and Empowerment in primary Education, saga Publication, New Delhi.

Govt of India (2011) Sarva Shiksha Abhiyan : framwork for Implementation baded on the RTE 2009 Ministry of HRD, Department of school Education and literacy

Khanna Kailash (2007) Evolution of Policies in India in Mukhopadhaya Marmar & Madhu Parkar (ed.) Education in India, shipra New Delhi.

Mistsue Uemura (1999) community Participation in Education: What do wekura? The World Bank.

Meenai Zubair (2008) Participatory community work, concept Publishing company New Delhi.

Pailwas, Veena K& Mahajan Vandana (2005) Janshalo in Jharkhand : An Experiment with community involvement in Education, International journal, 2005, 6 (3) 373-3ps

Pokhniyal H.C. (2008) Communitisation of School Education: Reflections from the field paper Presented at National Smivar on community and school linkages. Principles and Practices (March 17-19]2008) NUEPA New Delhi.

Priyanka Panday, Sangeets Goyal, Venktesh Sundararaman (2008) Community Participation in Public School: The Impact of Information compaigns in three indian states, policy Research working paper 4776, The world Bank, South Asia Region, Human Development Department.

Ramchandran Vimla (2003) Community Participation and Empowerment in Primary Education Discussion fo Experiences from Rajasthan in Goivnda. R R Diwan Rashmi Community Participation adn Empowerment in Primary Education, Sage Publications, New Delhi.

Tharakan P.K. Michaek (undated) Community Participation in school Education: Experiments and Experiences under people's Planning campaign is kerala, http://decwatch.org/files/icdd/0.21pdf

Vasavi A.R. (2008) Concepts and Realities of community in Elementary Education, Paper presented at National Seminar on community and school lincages: Principles and Proctices (March 17-19, 2008) NUEPA. New Delhi

4.10 अन्त्य इकाई अभ्यास

1. शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी के विभिन्न प्रारूपों की चर्चा कीजिए।
2. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
3. ग्राम शिक्षा समितियों के मुख्य कार्यों को लिखिए।
4. विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के निर्माण के प्रारूप पर चर्चा कीजिए।